ISSN-0971-8397

विकास को समर्पित मासिक

# योजना

वर्ष : 51 • अंक : 2 मई 2007 मूल्य : दस रुपये

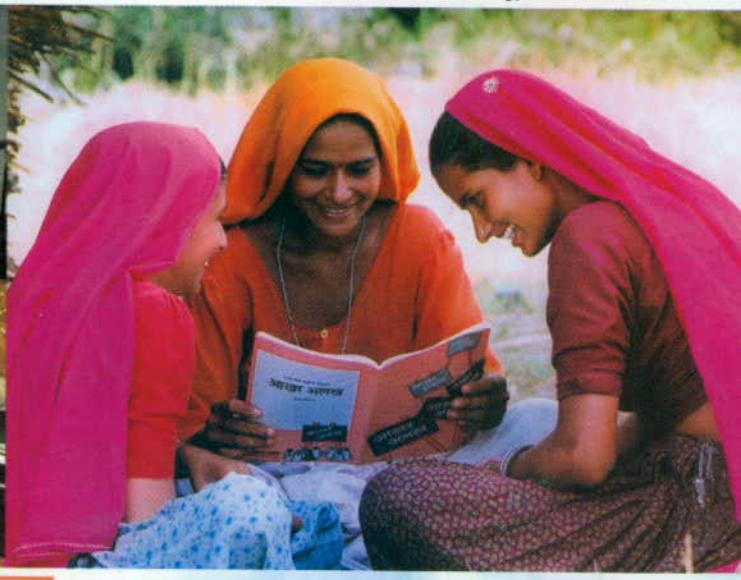

## क्षेत्रवार विश्लेषण

# 1857

मेरठ में विद्रोह, 10 मई 1857

**सन् 1857** स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम का वर्ष है। इस वर्ष भारतवासियों ने उस समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के खिलाफ़ सर्वाधिक गंभीर हथियारबंद लड़ाई का संचालन किया। इस संग्राम में भारत के लोग धर्म और जाति से परे एकजुट होकर लड़े।

प्रथम स्वाधीनता संग्राम (1857) की 150वीं वर्षगांठ पर योजना में साम्राज्यवाद का आर्थिक मूल्यांकन, स्वतंत्रता के समय से लेकर अब तक आर्थिक विकास से जुड़े मुद्दों, 1991 से लेकर वर्तमान तक आर्थिक सुधार के युग और भविष्य के लिये मार्गदर्शक आर्थिक दृष्टिकोण पर लेख शामिल किए जा रहे हैं। योजना अपने पाठकों को स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कुछ प्रमुख स्थलों से क्रमशः परिचित कराएगी। इसकी शुरुआत हम वर्ष 1857 के कालक्रम से कर रहे हैं।

— प्रधान संपादक

# योजना

वर्ष : 51 अंक 2 मई 2007 वैशाख-ज्येष्ठ, शक संवत 1929 कुल पृष्ठ : 56



प्रधान संपादक
अनुराग मिश्रा

कार्यकारी संपादक
राकेशरेणु

उप संपादक
रेमी कुमारी



संपादकीय कार्यालय
कमरा नं. 538, योजना भवन, संसद मार्ग,
नयी दिल्ली-110 001
दूरभाष : 23096738, 23717910
23096666/2508, 2511
टेलीफैक्स : 23359578
ई-मेल : yojana@techpilgrim.com
www.publicationsdivision.nic.in
a) dpd@nic.in
b) dpd@hub.nic.in



संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
एन.सी. मजूमदार

व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार एवं विज्ञापन)
जगदीश प्रसाद
दूरभाष : 26100207, 26105590
फैक्स : 26175516

आवरण - सी.एच. पटेल


## इस अंक में


| | | |
|---|---|---|
| संपादकीय | | 5 |
| कृषि क्षेत्र में व्यय एवं परिणाम | एम.एस. स्वामीनाथन | 7 |
| दृष्टि से ओझल बच्चे | ज्यां द्रेज़ | 9 |
| खाद्य एवं पोषण असुरक्षा को कम महत्व | मधुरा स्वामीनाथन | 13 |
| पहुंच और गुणवत्ता पर उठते सवाल | सुखदेव थोराट | 17 |
| सामाजिक क्षेत्र : चुनौतियां तथा कार्यनीतियां | शशांक भिड़े | 21 |
| प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 150 वर्ष | - | 26 |
| ग्यारहवीं योजना में महिलाएं | इंदिरा राजारमण | 28 |
| जनकल्याण एवं ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना | ऋतु सारस्वत | 32 |
| साक्षात्कार : कश्मीरी एक अर्थपूर्ण और समर्थ भाषा है | रहमान राही | 34 |
| झरोखा जम्मू-कश्मीर का | - | 36 |
| अनुकरणीय पहल : खेतिहर औरतों ने पत्रिका निकाली | - | 38 |
| चुनाव कैसे कराए जाते हैं | - | 39 |
| सेज : पुनर्वास की जिम्मेदारी विकासकर्ता की | - | 41 |
| आयकर कानून : सरलीकरण की ओर बढ़ते कदम | कृष्ण चन्द्र वर्मा | 42 |
| दक्षेस सम्मेलन : वादों-इरादों के बीच आशा की किरणें | - | 45 |
| ख़बरों में | - | 47 |
| मंथन : वक़्त के पाबंद बनिए | ज़ियाउर रहमान जाफ़री | 49 |
| स्वास्थ्य चर्चा : तंबाकू से प्रतिवर्ष एक लाख लोग मरते हैं | हरनारायण महाराज | 50 |
| नये प्रकाशन : भोजपुर का आंचलिक इतिहास | राजेन्द्र प्रसाद सिंह | 52 |



**यो**जना हिन्दी के अतिरिक्त **असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु** तथा **उर्दू** भाषाओं में भी प्रकाशित की जाती है। पत्रिका मंगवाने हेतु, नयी सदस्यता, नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिये मनीआर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर 'निदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें :

व्यापार प्रबंधक (प्रसार एवं विज्ञापन), प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक IV, लेवल VII, आर.के. पुरम, नयी दिल्ली-110 066 टेलीफोन : 26100207, 26105590

चंदे की दरें : वार्षिक : 100 रु. द्विवार्षिक : 180 रु.; त्रैवार्षिक : 250 रु.; विदेशों में वार्षिक दरें : पड़ोसी देश : 500 रु.; यूरोपीय एवं अन्य देश : 700 रु.



'योजना' में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। ज़रूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिये 'योजना' उत्तरदायी नहीं है।

# आपकी राय

## सर्वांगीण विकास के लिये महिला आरक्षण ज़रूरी

बजट विशेषांक काफी ज्ञानवर्द्धक रहा। इस अंक में आज़ादी के बाद से आज तक के सभी वित्तमंत्रियों के नाम एवं वर्ष का पूरा विवरण सामान्य अध्ययन के लिये काफी उपयोगी है। इस अंक के दो आलेख 'भारतीय स्त्री : दशा एवं दिशा' तथा 'महिला सशक्तीकरण व बजट प्रावधान' बड़े ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं; जो महिलाओं की बदलती परिस्थितियों का आगाज मात्र ही नहीं, एक स्वर्णिम बदलाव का संकेत दे रहे हैं। इस बार के आम बजट एवं रेल बजट में महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक दशा को बखूबी दूर करने का प्रयास किया गया है। यह जेंडर बजट से प्रेरित है।

लेकिन विडंबनापूर्ण स्थिति यह है कि 50 मंत्रालय और विभागों ने महिला बजट सेल स्थापित ज़रूर किए हों मगर, यह महिलाओं को लॉलीपॉप देने के अलावा कुछ भी नहीं है। महिलाओं के नाम से सरकार उपलब्धि भले ही गिना ले लेकिन 33.5 प्रतिशत महिला आरक्षण के नाम पर सरकार उहापोह की स्थिति में है। महिला आरक्षण का बिल संसद के अंतिम सत्र में रखा जाता है और सत्र की समाप्ति के समय उसे अगले सत्र में लाने का वायदा कर आलमारी में बंद कर दिया जाता है। आरक्षण का आधार जाति नहीं आर्थिक विषमता होनी चाहिए। साथ ही महिलाओं को जब तक आर्थिक समानता, सामाजिक समानता तथा राजनीतिक समानता नहीं दी जाएगी, तब तक देश का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। *योजना* का एक अंक आरक्षण पर केंद्रित हो, आज देश में यह एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। *योजना* ग्रामीण समाज से आज भी कोसों दूर है, इसका कारण इसकी जटिल भाषा है। भाषा का सरलीकरण कर इसे आम पाठक तक पहुंचाया जा सकता है। एक बात और, बजट बनाने के पीछे कौन-कौन-सी हस्तियां हैं जो यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यदि इसका उल्लेख होता तो इससे अंक और भी सुंदर हो जाता।

**हरि ओम उत्तम, समस्तीपुर, बिहार**

## बीमा क्षेत्र में एफडीआई

केंद्र सरकार बीमा क्षेत्र में एफडीआई की अधिकतम सीमा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करना चाहती है। ऐसा करना उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि विदेशी कंपनियां इससे न केवल भारतीय कंपनियों के प्रबंधन पर आधिपत्य स्थापित करने की ओर अग्रसर होंगी, बल्कि भारतीय जनता की छोटी-छोटी बचतों पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लेंगी। विगत सात वर्षों में निजी बीमा कंपनियां ऐसा कोई कमाल नहीं दिखा सकी हैं जिसका वायदा बीमा क्षेत्र का निजीकरण करते वक़्त किया गया था। न तो वे आधारभूत ढांचे में निवेश के लिये वांछित धनराशि उपलब्ध करा पाई हैं, न ही रोज़गार सृजन कर रही हैं और न ही उपभोक्ताओं के लिये बेहतर योजनाएं प्रस्तुत कर पाई हैं। बेहतर होगा, यदि सरकारें एलआईसी को ही मज़बूत बनाएं जो कि आईआरडीए व सरकार के सौतेले व्यवहार के बावजूद उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है।

**मनोज कुमार गुप्ता**
**बिलासपुर, रामपुर, उ.प्र.**

## सकारात्मक दृष्टि

*योजना* का बजट विशेषांक काफी सराहनीय और पठनीय है। हर अध्याय अपनेआप में पर्याप्त एवं सारगर्भित है। खासकर संपादकीय, जो जवाहरलाल नेहरू की कही हुई बातों को अक्षरश: याद दिलाता है। आपका सकारात्मक दृष्टिकोण निस्संदेह पाठकों एवं बुद्धिजीवियों में एक नयी सोच पैदा करने में मददगार साबित हुआ है। आप ने जो उम्मीद जताई है वह भी उचित है, क्योंकि बजट में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के बिना समुचित परिणाम एक कोरी कल्पना मात्र है।

अन्य स्तंभों में भी पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराई गई है। 'मंथन' के अलावा 'स्वास्थ्य चर्चा' जिसमें सुरक्षित मातृत्व पर प्रकाश डाला गया है, काफी उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक है। आर्थिक पहलुओं की समुचित जानकारी के साथ नये प्रकाशन में उपलब्ध *आयकर अपरिहार्य पुस्तक*' की विस्तृत चर्चा में शामिल है। इसी स्तंभ में उपन्यासकार मिथिलेश्वर द्वारा लिखित उपन्यास *माटी कहे कुम्हार से* जिसमें व्यापक फलक मौजूद हैं, की विस्तृत चर्चा है। यह भी स्पष्ट होता है कि मिथिलेश्वर का यह उपन्यास उनके पूर्व के पांच उपन्यासों से किस प्रकार भिन्न है।

*योजना* का बजट विशेषांक लेखों के माध्यम से न केवल समस्याओं की ओर इशारा करता है बल्कि उनके व्यावहारिक एवं वास्तविक समाधान की रूपरेखा भी तैयार करने में हमारी मदद करता है।

**राकेश कुमार, बिहार शरीफ, नालंदा**

## अंगूठी में मोती-सा

विकास को समर्पित *योजना* का मार्च 2007 बजट विशेषांक पढ़ा। बजट 2007-08 पर प्रस्तुत ज्ञानवर्धक लेखों सहित यह अंक अंगूठी में मोती के सदृश्य लगा। *योजना* का यह अंक बेहद आकर्षक व पठनीयता की दृष्टि से उत्कृष्ट लगा क्योंकि एक तरफ बजट विशेषांक तो दूसरी तरफ *योजना* का 50वां वर्ष। इस उत्कृष्ट और संग्रहणीय अंक के लिये *योजना* परिवार को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

**रुद्र प्रताप सिंह, अजनेरा, बलिया, उ.प्र.**

## अनूठी और बेजोड़

मार्च 2007 को अंक पढ़ना मेरे लिये नया और अकल्पनीय अनुभव था।

पत्रिका संपूर्ण है परंतु यदि प्रश्नोत्तरी की एक श्रृंखला शुरू कर दी जाए तो वह सोने पर सुहागा होगा।

दूसरा सुझाव लघु त्रुटियों का है जिन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। उपर्युक्त अंक में सीआरआर में बदलाव से इंकार किया गया है परंतु सीआरआर छह से बढ़ाकर साढ़े छह फीसदी कर दी गई है।

**दिनेश चौधरी , खेरली, राजस्थान**

## पूरक है योजना

माह चाहे जो हो उद्देश्य जाना-पहचाना है। उद्देश्य की बात करें तो *योजना* एक पत्रिका मात्र से संबंधित नहीं, वह तो हर मनुष्य के मानवीय गुणों से संबंध रखती है। इसके बगैर, मानव अधूरा है। *योजना* जिसके पास नहीं उसके पास कुछ भी नहीं।

**अखिलेश्वर मिश्र, इलाहाबाद, उ.प्र.**

## और अच्छे लेख मिलें

*योजना* को इसकी 'शोधयात्रा' लेखमाला के लिये वर्ष 2006 का ज्ञान मीडिया पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके लिये आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं। भविष्य में और अच्छे लेख पढ़ने को मिलें, यही कामना है।

**आलोक कुमार, बुलंदशहर, उ.प्र.**

## हिंसा विकल्प नहीं

नक्सलवाद को केंद्र में लिये *योजना* का फरवरी '07 अंक पढ़ा। हाल के समय में जिस तीव्रता के साथ नक्सली गतिविधियां पूरे देश में बढ़ी हैं उसने हमारी आंतरिक सुरक्षा के समक्ष निश्चित रूप से कई गंभीर ख़तरे उत्पन्न कर दिए हैं। यूपीए के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसार नक्सलवाद 'लॉ एंड ऑर्डर' से इतर यदि एक आर्थिक एवं सामाजिक समस्या है तो भी नगरों पर कब्ज़ा, जेलों से कैदियों की रिहाई, अवैध लेवी वसूली तथा सरेआम जनता एवं उनके प्रतिनिधियों की नृशंसतापूर्वक हत्या जैसे कृत्य क्या लोकतंत्र में स्वीकार्य एवं समर्थन के काबिल हैं? क्या इसका लाभ उठाने वाली देश में अनेक स्वार्थी शक्तियां नहीं हैं जिनके उद्भव एवं विकास का कोई तार्किक आधार नहीं है? ऐसी घटनाओं से क्या यह मान लिया जाए कि भारत में समस्याओं पर बातचीत व उनके समाधान के विधि-सम्मत रास्ते समाप्त हो गए हैं? हथियार भांजकर क्रांति लाने का ख्याल आखिर कहां तक उचित है जब तक कि उसको रचनात्मक एवं टिकाऊ आधार देने वाला कोई सुदृढ़ एवं सर्वमान्य विकल्प ही सामने न हो? एक समय संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य को (जहां सूरज कभी अस्त नहीं होता था) घुटने टेकने पर मज़बूर कर देने वाले अहिंसा के पुजारी के देश में क्या उनके ही सिद्धांतों की अब कोई अहमियत नहीं रही? अहिंसा की प्रासंगिकता क्या अब सिर्फ़ क़िताबों, विचारों एवं गोष्ठियों तक ही सिमट कर रह गई है?

आज देश के 13 राज्यों के लगभग 165 जिले नक्सलवाद से संक्रमित हैं। नेपाल से सटे बिहार की सीमा से लेकर आंध्र प्रदेश की रायलसीमा तक नक्सलवाद प्रभावित पट्टी के कई जिले मुक्त-क्षेत्र जैसे बन गए हैं जहां प्रशासन एवं पुलिस व्यवस्था की जगह नक्सलियों की समानांतर सरकारें चलती हैं। इन प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 37 हजार पुलिस बल की तैनाती के बावजूद अतिवादी संगठन 'लाल गलियारा' बनाने में कामयाब रहे हैं। खुली अर्थव्यवस्था के दौर में नक्सलवादियों का बढ़ता प्रभाव प्रशासन तंत्र की कमज़ोरी के अलावा देश में लगातार बढ़ रही विषमता का भी प्रमाण है। ऐसे में प्रधानमंत्री द्वारा सुझाए गए दोनों ही उपाय (प्रभावी पुलिस तंत्र एवं प्रभावित क्षेत्र की जनता में अलगाववादी बोध को कम करना) इस समस्या को कम करने में बहुत हद तक कारगर सिद्ध हो सकते हैं। वर्तमान समय में नक्सली दलों की आक्रमण शैली जिस अंदाज़ में निरंतर पेशेवराना होती जा रही है उसको देखते हुए प्रभावी पुलिस प्रतिक्रिया बेहद ज़रूरी है। केंद्र को भी अपनी भूमिका सिर्फ़ अर्धसैनिक बलों को भेजने व राज्यों की सुरक्षा संबंधी व्यय का भुगतान करने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। नक्सलियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान में केंद्र एवं राज्य खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव कोई नयी बात नहीं है। अतः इस ओर भी पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। दीर्घकालिक उपायों के अंतर्गत जब तक सरकार द्वारा प्रभावित इलाकों में भूमि सुधार लागू कर रोज़गार के अवसर उत्पन्न नहीं किए जाएंगे, आदिवासियों एवं विस्थापितों में वंचना एवं अलगाव बोध कम करके उन्हें उनका हक़ नहीं दिया जाएगा तब तक नक्सलवादी ग़रीब एवं पिछड़े वर्ग के लिये 'गोराकला डोरा' (झाड़ियों में छुपा देवता) बनकर देश की आंतरिक शांति एवं स्थिरता को भंग करते ही रहेंगे। प्रभावित राज्य सरकारें इस संदर्भ में आंध्र प्रदेश की 'ग्रे हाउंड्स' से निस्संदेह बहुत कुछ सीख सकती हैं।

**बिंदु विकास ओझा**
**बीएनआर कॉलेज, पटना सिटी**


# योजना

## का जून 2007 अंक

## हथकरघा पर केंद्रित

**भारत में कृषि के बाद आजीविका उपलब्ध कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र हथकरघा है। यह असंगठित उद्योग है जिसमें बड़ी तादाद में महिलाओं सहित कमज़ोर तबके के लोगों को रोज़गार मिलता है।**

**इस अंक के लेखकों में ऐसे विशेषज्ञ नाम शामिल हैं जिन्हें इस क्षेत्र की बुनावट की अनुभवजनित समझ है। इनमें अग्रणी हैं : एल.सी. जैन, पूनम बीर कस्तूरी, आदर्श कुमार और बी. श्याम सुंदरी आदि।**

**कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं। अंक का मूल्य है दस रुपये मात्र।**

# नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया से प्रकाशित कुछ नवीनतम पुस्तकें

**हे चो का यात्रा वृत्तांत : आठवीं सदी का भारत**

अनु. : डा. जगदीश चंद्रिकेश पृ. 104 रु. 40.00

आठवीं सदी में भारत की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक तस्वीर का एक कोरियाई यात्री द्वारा चित्रण। नौवीं सदी में गुम हुए चीन के एक गुफा मठ में बंद हे चो का यह यात्रा-विवरण एक हजार साल बाद सन् 1908 में ही बाहर आ सका। जर्मन और अंग्रेजी के एक अनुवाद के बाद हिंदी में पहली बार प्रस्तुत है यह यात्रा-विवरण।

**कालापानी : दंडी बस्ती का इतिहास**

प्रमोद कुमार पृ. 110 रु.50.00

कालापानी का सेलूलर जेल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों पर हुए बर्बर अत्याचारों का ऐसा अध्याय रहा है, जो तत्कालीन अंग्रेज सरकार की सामंतवादी सोच को उजागर करता है। यह एकांत जेल जिस सिद्धांत पर बनाई गई थी, उसका खुलासा करती यह पुस्तक जेल की यातनाओं की भयावहता का प्रामाणिक दस्तावेज है।

**पानीदार समाज**

अमन नम्र पृ.76 रु.135.00

देश के विभिन्न क्षेत्रों में कई स्वयंसेवी संस्थाएं व व्यक्ति पानी के संरक्षण के अनूठे प्रयोग कर रहे हैं। इस पुस्तक में ऐसे चुनिंदा अनूठे व अनुकरणीय प्रयोगों को चित्रों के साथ प्रकाशित किया गया है। यह जल संकट से परेशान लोगों के लिए उम्मीद की किरण तो है ही, साथ ही यह देश की जल-नीति निर्धारकों के लिए दस्तावेज भी है।

**इंकलाबी यात्रा**

मनोरमा दीवान पृ. 144 रु. 55.00

स्वाधीनता संग्राम में अपना अमूल्य योगदान देने वाले एक क्रांतिकारी दंपत्ति सीता देवी व प्रिंसिपल छबीलदास की प्रेरक जीवनी।

**भारतीय डाक : सदियों का सफरनामा**

अरविंद कुमार सिंह पृ.406 रु.125.00

भारत में डाक प्रणाली के 150 वर्ष के अवसर पर तैयार यह पुस्तक देश की डाक प्रणाली के प्रत्येक पहलू की विवेचना प्रस्तुत करती है। संदेश व संवाद प्रेषण के साथ-साथ डाक विभाग की बचत संस्थान, सशस्त्र बलों की सहयोगी जैसी महत्वपूर्ण भूमिका भी है। यह पुस्तक संचार क्रांति के कारण डाक विभाग के सामने आने वाली चुनौतियों की ओर भी ध्यान आकृष्ट करती है।

**रानी चेन्नम्मा**

वौडियार सदाशिव अनु. : श्यामसिंह 'शशि' पृ.116 रु.45.00

अंग्रेजों के खिलाफ रानी चेन्नम्मा द्वारा लड़ी गई साहसिक लड़ाई की ओजस्वी गाथा।

**श्रेष्ठ पंजाबी गद्य रचनाएं**

कुलबीर सिंह कांग अनु. : कुलवंत कोछड़ पृ.272रु.105.00

बीसवीं सदी के प्रारंभ से लेकर अंत तक, पंजाबी निबंध लेखन में हर क्षेत्र से उभरकर आए चुनिंदा लेखकों की रचनाओं का श्रेष्ठ संचयन।

**हरिशंकर परसाई : संकलित रचनाएं**

श्याम कश्यप (संपा.) पृ.222 रु.95.00

हिन्दी व्यंग्य को नवजीवन और नव दृष्टि देनेवाले प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की श्रेष्ठ रचनाओं का संकलन।

**पात्र-विपात्र**

एस. सोज अनु. उमा बंसल पृ.116 रु.60.00

एक बीमार बच्चे के जीवन संग्राम के बहाने चिकित्सा और अंध विश्वास की दुनिया को तार-तार करता हुआ महत्वपूर्ण उपन्यास।

## विभिन्न भाषाओं में उपर्युक्त एवं अन्य रुचिकर प्रकाशनों के लिए संपर्क करें

प्रबंधक (विक्रय एवं विपणन)

**नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया**

ए-5 ग्रीन पार्क, नई दिल्ली-110016, दूरभाष : 26564020, 26564540, 26564667 फैक्स: 011-26851795

ई-मेल: nbtindia@ndb.vsnl.net.in, वेबसाइट: http://www.nbtindia.org.in

**पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय**

म्यूनिसिपल उर्दू प्राइमरी स्कूल, बबूला टैक क्रास लेन, जे.जे. अस्पताल के सामने, मुम्बई-400 009 टेलीफैक्स : 91-22-23720442

**पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय**

61, महात्मा गांधी रोड, कोलकाता - 700009, टेलीफैक्स : 91-33-22413899

**दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय**

हाल नं. 1, बीडीए शॉपिंग काम्पलेक्स, बनाशंकरी 2 स्टेज, बंगलौर-560070 टेलीफैक्स : 91-80-26711994

नेशनल बुक ट्रस्ट किताब क्लब के सदस्य बनें और नेशनल बुक ट्रस्ट के प्रकाशनों पर **20** प्रतिशत की छूट पाएं

YH/5/7/13

## संपादकीय

ग्यारहवीं योजना के मसौदे में योजनावधि के अंत तक लगभग 10 प्रतिशत विकासदर के साथ अर्थव्यवस्था को यथासाध्य विकास के रास्ते पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2007-08 से यह योजना शुरू हो रही है। इस योजनावधि के लिये अन्य लक्ष्यों के अलावा कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत विकास दर, और अधिक रोज़गार सृजन, क्षेत्रीय विषमताएं कम करने और आधारभूत भौतिक और शिक्षा सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना भी शामिल है।

ग्यारहवीं योजनावधि में क्षेत्रवार विकास लक्ष्य रखे गए हैं। इस दौरान कृषि क्षेत्र में 4.1 प्रतिशत, उद्योग के क्षेत्र में 10.5 और सेवा क्षेत्र में 9.9 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य रखा गया है, जबकि दसवीं योजनावधि इन क्षेत्रों के लिये क्रमश: 1.7 प्रतिशत, 8.3 प्रतिशत और 9.0 प्रतिशत विकासदर का लक्ष्य रखा गया था।

ग्यारहवीं योजनावधि में पिछले दशक के दौरान कृषि के क्षेत्र में विफलताओं पर ज़ोर दिया गया है। ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्री प्रो. वाई.के. अलघ ने कृषि क्षेत्र में विकास दर की गिरावट को सचमुच बड़ी गंभीरता से लिया है, जिसके कारण ग्रामीण रोज़गार में कमी आई, शहरी-ग्रामीण असमानता बढ़ी और कृषि के क्षेत्र में निवेश और लाभ में कमी आई। प्रो. अलघ ने बताया है कि भारत के इतिहास में पहली बार देश में फसल बुआई वाले कुल क्षेत्र में काफी कमी आई है और साथ-साथ नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र में भी कमी आई है। ऐसी प्रतिकूल स्थिति में कृषि क्षेत्र को पुनर्जीवित करके उसे दो अंकों वाली विकासदर में ले जाना एक महत्वपूर्ण पहलू है। कृषि क्षेत्र में निवेश से भिन्न हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों को सुदृढ़ बनाना होगा जो अब तक अविकसित रहे हैं। समस्त भूमि और प्राकृतिक संसाधनों के कारगर विकास के लिये प्रयास की ज़रूरत है। देश की लगभग 50 प्रतिशत भूमि बेकार अथवा बंजर है। देश के 45-50 प्रतिशत क्षेत्र को स्थायी रूप से सिंचाई के दायरे में लाना संभव हो सकता है। वर्षा की कमी वाले शेष क्षेत्रों के लिये वैज्ञानिक विधि से वाटरशेड विकास के काम को प्राथमिकता देना ज़रूरी है। बंजर और बेकार पड़ी भूमि में खेती के लिये ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों को प्रभावकारी ढंग से भागीदार बनाया जाना चाहिए। सिंचाई के साथ-साथ जल संरक्षण, घर की छतों के जल का संग्रहण, जलशोधन और जल का समुचित इस्तेमाल भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। उन्नत बीज, उर्वरक और ऋण सुविधा, सुनिश्चित विपणन और प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करा हम कृषि क्षेत्र में 4.1 प्रतिशत विकासदर के लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। राष्ट्रीय किसान आयोग ने कृषि क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से एक ब्ल्यूप्रिंट तैयार किया है। कृषि आधारित सभी कार्यक्रमों में ग्रामीण इलाकों में रोज़गार के अवसर पैदा करने की संभावना है और इस पहल से लोगों के नगरों की ओर पलायन में कमी आएगी।

क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार सृजन योजनाओं जैसे सामाजिक क्षेत्रों में अतिरिक्त धनराशि ख़र्च करके मनोवांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं? योजना आयोग 'प्रथम' नामक संस्था द्वारा किए गए अध्ययन के इस निष्कर्ष से अच्छी तरह वाक़िफ है कि स्कूली शिक्षा के चार वर्ष पूरा करने वाले लगभग 38 प्रतिशत बच्चे छोटे वाक्य भी नहीं पढ़ सकते। इनमें से 55 प्रतिशत बच्चे तीन अंकों वाली संख्या को एक अंक वाली संख्या से विभाजित नहीं कर सकते। उसी प्रकार देश के अधिकांश राज्यों में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं अनुपस्थित, निम्न कौशल स्तर, दवाओं की कमी आदि से ग्रस्त हैं। दसवीं योजना का मध्यावधि मूल्यांकन बताता है कि लगभग 70-85 प्रतिशत लोग अपनी स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों के लिये निजी अस्पतालों में जाते हैं। और तो और, ग़रीब लोग रियायती और मुफ़्त सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होने के बावजूद निजी चिकित्सकों से महंगा इलाज कराने के लिये मज़बूर हैं। इसका मुख्य कारण ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की दूरी, उनकी कम संख्या में उपलब्धता और स्वास्थ्य सेवाओं की निम्नस्तरीय गुणवत्ता है। यह स्पष्ट है कि धन की कमी कोई समस्या नहीं है। समस्या उत्तरदायित्व की कमी की है। बिना अधिक ख़र्च किए सांस्थानिक सुधार के द्वारा स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है। इन क्षेत्रों में और अधिक निवेश से पहले वितरण तंत्र में सांस्थानिक सुधार लाना ज़रूरी है।

बेहतर आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता से कोई इनकार नहीं कर सकता। आधारभूत विकास और विशेषकर विद्युत क्षेत्र में सुधार की समस्या औद्योगिक विकास के मार्ग में प्रमुख रुकावट है।

जैसे-जैसे आर्थिक विकास की रफ़्तार तेज़ होती जाती है, वैसे-वैसे 'समावेशन' की चिंता भी बढ़ती जाती है। योजना आयोग के सामने एक बड़ी समस्या यही है कि वह कुछ तबकों की बेहतरी के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों के पीछे रह जाने की समस्या से कैसे निबटे। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ने ठीक ही कहा - "ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना को भारत को संपन्न और समानता आधारित देश बनाने, संवेदनशील और समावेशी देश बनाने के सपने को पूरा करना होगा। इसे अपनी जनता की ऊंची उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने में समर्थ होना होगा।" ❑

# IAS मुख्य - 2007-08

# E N S E M B L E

## पुनः उत्तरी दिल्ली केन्द्र पर

**2006 परिणाम**

शीर्षस्थ दस में

**रणधीर कुमार**
3रा स्थान
सामान्य अध्ययन
भूगोल एवं
साक्षात्कार

**अभिषेक प्रकाश**
8वाँ स्थान
भूगोल एवं
साक्षात्कार

**2005 परिणाम**

शीर्षस्थ दस में हिन्दी माध्यम से सर्वोच्च स्थान

गौरव उप्पल
3रा स्थान

सोलंकी विशाल वसन्त
8वाँ स्थान

विक्रान्त पांडेय
63वाँ स्थान

**2004 परिणाम**

शीर्षस्थ दस में हिन्दी माध्यम से सर्वोच्च स्थान

हरितश गुलशन
6ठा स्थान

प्रशांत कुमार
7वाँ स्थान

भास्कर केटामेनी
8वाँ स्थान

संजय बंसल
9वाँ स्थान

प्रदीप सिंह पुरोहित
13वाँ स्थान

एन्सेम्बल की स्थापना इस उद्देश्य के साथ की गयी है कि वह विद्यार्थियों को उनकी सारी समस्या का एक ही स्थान पर समाधान कर सके उसी गुणवत्ता और ईमानदारी से जिसके लिए यह ज्ञात है।

सिविल सेवा परीक्षा में एन्सेम्बल का नाम भूगोल से पर्याय है। सम्पूर्ण देश में भूगोल के उत्थान और इसकी लोकप्रियता में एन्सेम्बल की सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है सिविल सेवा परीक्षा में भूगोल के जितने भी विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं वह एन्सेंबल की कक्षा, उसका प्रकाशन और/या गुणवत्ता विकास कार्यक्रम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से जुड़ें होते हैं।

पिछले चार वर्षों में संस्थान के **273** विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जिसमें **13** विद्यार्थी सर्वोच्च 10 में रैंक रहे हैं और सर्वोच्च 100 में **48** परिणाम रहे हैं। पिछले तीन वर्षों से हिंदी माध्यम के टॉपर, **अजय कुमार मिश्रा (2003 में 5वां स्थान) प्रदीप सिंह राजपुरोहित (2004 में 13 वां स्थान) विक्रांत पांडेय (2005 में 63वां स्थान)** एन्सेंबल के ही रहे हैं।

सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण प्रत्येक 6–8वां विद्यार्थी एन्सेंबल का ही रहा है।

## IAS 2007-08 के कार्यक्रम

### मौलिक भूगोल

नौ दिनों की मौलिक कक्षाएँ जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को भूगोल की तमाम मूलभूत संकल्पनाओं से अवगत कराना है, जिसका उपयोग वह पाठ्यक्रम अध्ययन के अलावा संकल्पना बनाने में करेंगे। उन विद्यार्थियों के लिए अत्यावश्यक जिन्होनें भूगोल का कभी अध्ययन नहीं किया है।

**1 जून 2007 से**

### मुख्य परीक्षा कक्षा 2007

तीन माहों का गहन कक्षा कार्यक्रम जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों की उन सारी संकल्पनाओं और विश्लेषणों से अवगत कराना है जिसके आधार पर, वह अपने प्रश्नों का उत्तर लिख सकें।

**1 जून 2007 से**

### अग्रिम कक्षा मुख्य एवं प्रारंभिक परीक्षा समन्वित 2008

सामान्य अध्ययन एवं भूगोल पर पाँच माहों का विस्तृत कक्षा कार्यक्रम, जो विद्यार्थियों को उनके किसी अन्य 'प्रतिस्पर्धी की तुलना में प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी समय से पहले ही कराना है।

**30 जुलाई से मध्य दिसम्बर**

### गुणवत्ता विकास कार्यक्रम

उन विद्यार्थियों के लिए, जिन्होनें कहीं से भी, किसी संस्थान से प्रशिक्षण लिया है परंतु किसी कारणवश वे खुद को मुख्य परीक्षा के उत्तरों की गुणवत्ता को बढ़ा पाने में असमर्थ पाते हैं, उनकी संरचना नही बना पाते और उत्तरों का प्रारंभ एवं अंत नहीं कर पाते।

(30) (40)

भूगोल मुख्य परीक्षा 2007 के लिए चार दिनों का अति गहन कार्यक्रम, जिसके अन्तर्गत 30 दीर्घ उत्तर और 40 लघु टिप्पणियों का गहन विवेचन सम्मिलित हैं, प्रश्नों के आदर्श उत्तर मानचित्र विश्लेषण के साथ।

(80) (90)

**सामान्य अध्ययन** 2007 के लिए पांच दिनों का गहन कार्यक्रम जिसके अन्तर्गत प्रथम प्रश्न पत्र के 80 और द्वितीय प्रश्न पत्र के 90 उत्तरों का विवेचन उनके आदर्श उत्तर के साथ

ENSEMBLE **Knowledge Park:** B-5/4, Poorvi Marg, NEA, Opp. Sir Ganga Ram Hospital, Old Rajinder Nagar, New Delhi: 110060 Ph.: 011-42430022/33/44

उत्तरी दिल्ली: 2272, Hudson Lines, Kingsway Camp, Delhi-110009 Ph.: 011-27418242

YH/5/7/7

# कृषि क्षेत्र में व्यय एवं परिणाम

○ एम.एस. स्वामीनाथन

ग्यारहवीं योजना का 'तीव्र विकास एवं अधिक समन्वित विकास' शीर्षक दृष्टिकोणपत्र व्यावहारिक एवं प्रेरणादायक, दोनों है। इस दस्तावेज़ में उन सभी अहम मसलों का जिक्र है, जो प्राथमिकता एवं समग्रता के लिहाज़ से महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिये इसमें कृषि क्षेत्र के बारे में इस प्रकार कहा गया है - "यह सही है कि आर्थिक विकास, विशेषकर 1990 के दशक के मध्य के बाद से, पर्याप्त रूप से समन्वित नहीं रह पाया है, उस बिंदु से कृषि के विकास की गति गड़बड़ाई और वह एक संकटग्रस्त स्थिति में पहुंच गई, जो कुछ क्षेत्रों में किसानों की आत्महत्या के रूप में परिलक्षित हो रही है।"

इस दस्तावेज़ में इस तथ्य का भी जिक्र है कि 'ग्यारहवीं योजना की अहम चुनौती कृषि के क्षेत्र में 1980 से लेकर 1996-97 की अवधि में हासिल 3.27 प्रतिशत की विकास दर में आई दो प्रतिशत की उत्तरोत्तर गिरावट को रोकना होगा। यही गिरावट देश के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त उन कठिनाइयों की असली जड़ है, जो किसानों की आत्महत्या के रूप में प्रतिबिंबित हो रही है और कतिपय क्षेत्रों में इसने गंभीर रूप धारण कर लिया है। अपर्याप्त उत्पादकता विकास एवं उत्पादन के कम मूल्यों की वजह से होने वाली कम आमदनी तथा उचित दर पर ऋण की अनुपलब्धता ने बड़ी संख्या में किसानों को भारी कर्जे में डुबो दिया है। यहां तक कि मूल्य, उत्पादों की गुणवत्ता तथा मौसम व कीट संबंधी अनिश्चितताओं ने जोखिम से जुड़े बीमा की अनुपलब्धता के साथ मिलकर किसानों की स्थिति नाजुक बना दी है। इसकी वजह से बड़े पैमाने पर संकटकालीन प्रवास की प्रक्रिया शुरू हुई जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में महिला मुखिया वाले परिवारों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और महिलाओं पर काम का बोझ बढ़ा है और उनकी स्थिति अपेक्षाकृत अधिक असुरक्षित हुई है। वर्ष 2004-05 में खेती के मुख्य मज़दूरों में 34 प्रतिशत और सहायक मज़दूरों में 89 प्रतिशत महिलाएं थीं, जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के पिछले चक्र की गणना के मुक़ाबले अधिक है।'

इसके अतिरिक्त, दस्तावेज़ में यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि कृषि की दुर्गति होती है और ग़रीबी एवं भुखमरी लंबे समय तक बरकरार रहती है, तो नक्सलवाद का प्रसार (जो पहले से ही देश के 100 जिलों में व्याप्त है) और आगे बढ़ेगा। इस दृष्टिकोण का प्रतिपादन रोमन दार्शनिक सेनाका ने 2000 वर्ष पूर्व किया था। तब उसने कहा था - 'एक भूखा आदमी न तो तर्क की सुनता है और न ही धर्म की, और न ही वह किसी प्रार्थना के आगे नतमस्तक होता है।' जहां भुखमरी होगी, वहां शांति स्थापित नहीं हो सकती। दुर्भाग्य से हमारे यहां दुनिया के सबसे अधिक कुपोषित बच्चे, महिलाएं एवं पुरुष हैं। आधुनिक उद्योग रोज़गार रहित विकास को प्रोत्साहित करते हैं, जबकि फसल व पशुपालन, मत्स्यपालन, वानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण समेत कृषि रोज़गारपरक विकास को प्रोत्साहित करते हैं। यह एक और वजह है जिसकी खातिर कृषि पुनर्जागरण को सबसे अधिक तवज्जो मिलनी चाहिए।

यह दृष्टिकोणपत्र राष्ट्रीय किसान आयोग के कृषि क्षेत्र को संकट से उबारने संबंधी पांच रिपोर्टों में वर्णित सुझावों का समर्थन करता है। कृषि को संकट से उबारने संबंधी मुख्य रणनीतियां हैं :

- मृदा संरक्षण एवं विकास
- जल संरक्षण, जल स्रोतों को पुन:क्रियाशील बनाना एवं पानी की प्रति बूंद आवक में बढ़ोतरी हेतु पानी का दक्षतापूर्ण उपयोग
- ऋण एवं बीमा सुधार
- प्रौद्योगिकी वितरण तथा प्रौद्योगिकी एवं आगत आपूर्ति सेवाओं का समग्र पैकेज़
- सुनिश्चित एवं परिणामोन्मुख विपणन

आय एवं गैर कृषि रोज़गार सृजन के क्षेत्र में फसल-पशुधन-मत्स्य आधारित खेती एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। फसलों में सब्जियां, फल और फूल खासतौर पर महत्वपूर्ण हैं। दृष्टिकोणपत्र में जीविका के लिहाज़ से पशुधन के महत्व को सही ढंग से रेखांकित किया गया है। हालांकि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पैरा 3.2.33 में सुझाए गए पहल में चारा एवं भोजन को शामिल नहीं किया गया है। पशुओं की उत्पादकता में सुधार के लिये उनके पोषण में सुधार आवश्यक है। बागवानी में, बुआई संबंधी अच्छी एवं स्वस्थ सामग्री एवं बीज की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण पहलू है।

भारत सरकार की ओर से इस वर्ष पहली जून से पानी की प्रति बूंद अधिक आय एवं फसल संबंधी एक अभियान शुरू करने का प्रस्ताव है। यह एक सामयिक कदम है क्योंकि अब हमें पानी के संदर्भ में आपूर्ति संबंधी सुधार के बजाय मांग-प्रबंधन की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। पानी की प्रति इकाई उत्पादकता एवं लाभोत्पादकता में सुधार की काफी गुंजाइश है।

इस दृष्टिकोणपत्र में ज्ञान आधारित विषमता

## कृषि कार्यनीति संबंधी अन्य घटक

- उन्नत कृषि पद्धतियां अपनाकर मौजूदा प्रौद्योगिकी से ही मामूली अतिरिक्त लागत पर प्रति हेक्टेयर अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है।
- अधिकांश राज्यों में विस्तार सेवाएं दम तोड़ चुकी हैं। ज्ञान के प्रसार की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हैं। उन्नत विस्तार सेवाओं से जुड़ी केवीके अंतर ला सकती है।
- बीज बदलने की दर काफी कम है जिससे उत्पादन में कमी आती है। बीज उत्पादन में सुधार लाने में राज्य सरकारें प्रमुख भूमिका निभा सकती हैं।
- मृदा की स्थिति में गिरावट आना एक बड़ी समस्या है। राज्य सरकारों को मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं अवश्य स्थापित करनी चाहिए जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएंगी।
- सहकारी ऋण संस्थाओं को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। राज्य सरकारों को वैद्यनाथन समिति की सिफ़ारिशें अवश्य कार्यान्वित करनी चाहिए।
- आधुनिक विपणन प्रबंधन के विकास को प्रोत्साहन दिया जाए। एपीएमसी अधिनियम में संशोधन किया जाए; अनेक राज्यों ने संशोधन किया है पर अनेक राज्यों ने ऐसा नहीं किया है।
- अनुबंध खेती और अन्य कृषि उद्योग संपर्कों को बढ़ावा देना।
- एक फसल देने वाली कृषि के स्थान पर फार्म प्रणाली दृष्टिकोण अपनाना जिसमें गैर-फसल कृषि (डेयरी, मुर्गीपालन, मत्स्य-पालन) लाइव स्टॉक शामिल हो जो जलाभाव वाले क्षेत्रों के लिये विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं।
- अनुसंधान का विकास अवश्य किया जाना चाहिए ताकि कृषि उत्पादकता की समस्याओं, विशेषकर जलवायु में परिवर्तन के कारण आने वाली चुनौतियों का सामना किया जा सके।
- भूमि सुधार और भूमि अवधि से जुड़े मुद्दों पर पुन: बल दिया जाना चाहिए। उपर्युक्त घटकों को भिन्न-भिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिये उपयुक्त क्षेत्रीय (रीजनल) या मंडलीय (जोनल) कार्यनीतियों में मिला दिया जाना चाहिए। ❑

को पाटने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया गया है। इस क्षेत्र में भी राष्ट्रीय किसान आयोग ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। आयोग ने कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पात्रता से जुड़ी बहुआयामी एवं मांग आधारित सूचनाओं को ज़रूरतमंद लोगों तक शीघ्रता से पहुंचाने हेतु एक कारगर रणनीति पर बल दिया है। इस रणनीति में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की मदद से प्रत्येक ब्लॉक में एक ग्राम संसाधन केंद्र (विलेज रिसोर्स सेंटर) की स्थापना शामिल है। इन केंद्रों में टेली कांफ्रेंसिंग की सुविधा भी होगी। ब्लॉक स्तरीय केंद्र ग्राम स्तरीय ज्ञान केंद्रों या ज्ञान चौपाल से जुड़े होंगे। अंतिम मील एवं अंतिम व्यक्ति या तो इंटरनेट व सामुदायिक रेडियो या इंटरनेट व सेलफोन के जरिये संपर्क में रहेगा। हम आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के माध्यम से ग्रामीण एवं जनजातीय परिवारों को सूचना, ज्ञान तथा कौशल के मामले में सशक्त बना सकते हैं।

अंत में, इस दृष्टिकोणपत्र में द्वितीय हरित क्रांति या सदाबहार क्रांति में पारिस्थितिकी को हानि पहुंचाए बगैर कृषि उत्पादकता में सुधार की बात शामिल है। इसके लिये प्रौद्योगिकी, सेवाओं तथा लोक नीतियों के बीच एक संतुलित समन्वय की आवश्यकता होगी। किसानों में उत्साह तभी पैदा किया जा सकता है जब उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य मिले। इन सब बातों के लिये भारत सरकार को एक अखिल भारतीय दृष्टिकोण अपनाते हुए केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों, कृषि विश्वविद्यालयों व संस्थानों, वित्तीय संस्थानों, किसान संगठनों, कृषि आधारित उद्योगों, नागरिक संगठनों तथा जनसंचार माध्यमों को सदाबहार क्रांति के मुहिम में सक्रिय करना होगा।

कृषि के रूपांतरण एवं पुनरुत्थान की असीम संभावनाएं हैं। हमें इस दिशा में आवश्यक सामाजिक लामबंदी के लिये पंचायतों एवं ग्राम सभाओं सरीखी ज़मीनी स्तर की लोकतांत्रिक सस्थाओं से लाभ उठाना चाहिए। फसल, पशुधन एवं मत्स्यपालन संबंधी सामूहिक बीमा के मामले में पंचायतें बेहद सहायक सिद्ध हो सकती हैं। हम समग्र कृषि बीमा की अवधारणा को हक़ीकत में बदल सकते हैं। समग्र बीमा एक समग्र सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ मिलकर उत्पादन एवं उपभोग को प्रेरित करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। हमें आर्थिक रूप से वंचित समूहों की उपभोग क्षमता में बढ़ोतरी की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि ग्यारहवीं योजना की समाप्ति से पूर्व हम एक खाद्य गारंटी अधिनियम से लैस होंगे जिसमें रोज़गार गारंटी तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण पहलुओं का समावेश होगा। यदि यह संभव होता है तो हम महात्मा गांधी के सपनों को साकार करेंगे। ❑

**(लेखक एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन तथा राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष हैं)**

# दृष्टि से ओझल बच्चे

○ ज्यां द्रेज़

योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए दृष्टिकोणपत्र के प्रारूप की विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में चर्चा और आलोचना की गई है। तथापि इसमें बच्चों की स्थिति विशेषकर छह वर्ष से कम आयु के बच्चों पर नाममात्र का ध्यान दिया गया है।

तथ्य सर्वविदित हैं। भारत के लगभग आधे बच्चों को पौष्टिक भोजन नहीं मिलता, आधे से अधिक रक्ताल्पता (एनीमिया) के शिकार हैं और इसी अनुपात में बच्चे रोग प्रतिरोध टीकों से वंचित हैं। यह मानवीय अनर्थ न केवल संबंधित बच्चों और उनके परिवारों के लिये बड़ी हानि है और उनके मौलिक अधिकारों का हनन है, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के लिये त्रासदी है। भूख, कुपोषण और बीमारी के ध्वंसावशेष पर अच्छे समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता।

फिर भी यह देखकर हैरानी होती है कि दृष्टिकोणपत्र में इन मुद्दों पर कोई गंभीर चर्चा नहीं की गई है। शांतिपूर्वक खोजने पर छोटा बॉक्स नज़र आता है जो सर्वशिक्षा अभियान खंड से लिया गया है जहां छह वर्ष से कम आयु के बच्चों पर अंतिम चर्चा की गई है। बॉक्स (दो पैराग्राफ) इस शानदार वक्तव्य के साथ शुरू होता है कि बच्चों का विकास 11वीं योजना का केंद्रबिंदु है परंतु, इससे इसके तात्पर्य के संबंध में कोई संकेत नहीं मिलता। इसकी बजाय यह केवल इस आश्चर्यजनक सुझाव तक ही सीमित है कि आंगनवाड़ियों को बच्चों में अच्छे स्वास्थ्य और सफ़ाई की आदतें डालनी चाहिए।

अधिकृत तौर पर समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) नाम से प्रसिद्ध आंगनवाड़ी योजना ही ऐसी एकमात्र राष्ट्रीय योजना है जो छह साल से कम आयु के बच्चों की ज़रूरतों पर ध्यान देती है। वास्तविक स्थिति यह है कि इनमें से आधे आईसीडीएस के तहत पंजीकृत हैं। न्यूनतम साझा कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार आईसीडीएस को सर्व सुलभ बनाएगी ताकि प्रत्येक बस्ती में एक कार्यरत आंगनवाड़ी उपलब्ध कराई जा सके तथा उसमें सभी बच्चों को शामिल किया जा सके। यह कदम उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन के लिये भी ज़रूरी है (पीयूसीएल बनाम भारत संघ तथा अन्य, 2001 की सिविल रिट पेटीशन)। इसलिये आईसीडीएस के सर्व सुलभीकरण को 11वीं योजना की प्राथमिकताओं में होने की अपेक्षा करना स्वाभाविक है। तथापि, दृष्टिकोणपत्र में इनमें से किसी का उल्लेख नहीं है।

आईसीडीएस को सर्व सुलभ बनाने के पीछे मुख्य तर्क यह है कि यह छह वर्ष से कम आयु के बच्चों के अधिकारों, जिनमें उनके पोषण, स्वास्थ्य और स्कूल-पूर्व शिक्षा के अधिकार भी शामिल हैं, की सुरक्षा का आवश्यक माध्यम है। ये अधिकार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 (च) में अभिव्यक्त किए गए हैं जहां राज्य को निर्देश दिया गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि बच्चों को ऐसे अवसर और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जिनसे वे स्वस्थ तरीके से और आज़ादी तथा स्वाभिमान के माहौल में विकसित हो सकें। यदि हम बच्चों के अधिकारों को गंभीरता से लें तो इन अवसरों और सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिये एक संस्थागत माध्यम ज़रूरी है। आईसीडीएस या आंगनवाड़ी की यही मुख्य भूमिका है।

सरकारी क्षेत्रों की आईसीडीएस के प्रति उदासीनता संभवत: इस अवधारणा से जुड़ी हुई है कि यह कार्यक्रम भले ही काम का हो परंतु बेअसर है। निष्क्रिय आंगनवाड़ियों की दिल दहला देने वाली कहानियों या जहरीले खाद्य पदार्थ का उदाहरण देकर इस दावे को सतही समर्थन देना आसान है। तथापि, दिल दहला देने वाली इन कहानियों से आईसीडीएस की सामान्य दशा की सही जानकारी नहीं मिल पाती। सच्चाई यह है कि हाल के साक्ष्यों से पता चलता है कि आईसीडीएस अनेक राज्यों में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है तथा इन उपलब्धियों को सुदृढ़ बनाने की काफी गुंजाइश है।

समानता अध्ययन केंद्र द्वारा शुरू किए गए हाल के आईसीडीएस सर्वेक्षण से इन मुद्दों पर कुछ रोशनी पड़ती है। यह सर्वेक्षण मई-जून 2004 में छह राज्यों - छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में किया गया था। इसमें लगभग 200 आंगनवाड़ियों के अघोषित दौरे औचक नमूने के तौर पर किए गए तथा विस्तृत घरेलू साक्षात्कार किए गए। स्थानीय आंगनवाड़ी में पंजीकृत एक बच्चे वाली माताओं में से 90 प्रतिशत ने कहा कि आंगनवाड़ी नियमित तौर पर खुलती है। प्रत्यक्ष तौर पर निरीक्षण करने पर भी यह बात सामने आई। जांचकर्ता के अघोषित दौरे के समय लगभग 80 प्रतिशत आंगनवाड़ियां खुली पाई गईं जिन्हें नमूने के रूप में चुना गया था।

यहां तक कि आधे से अधिक नमूना आंगनवाड़ियों में स्कूल-पूर्व शिक्षा भी चल रही थी जो आईसीडीएस का सबसे कमज़ोर घटक है। 70 प्रतिशत से अधिक माताओं ने

## बाल विकास प्रारंभिक अधिकार

बच्चों का विकास ग्यारहवीं योजना का केंद्रबिंदु है। हम यह सुनिश्चित करने के लिये वचनबद्ध हैं कि काम, बीमारी या निराशा के बोझ तले हमारे बच्चों का बचपन न छिन जाए। हमारा उद्देश्य आईसीडीएस कार्यक्रम को असरदार ढंग से कार्यान्वित कर 0-6 वर्ष की आयु से बच्चों के जीवन की शुरुआत उचित ढंग से करना है।

यह एक समुदाय आधारित कार्यक्रम होगा जिसमें बच्चों के माता-पिता को भी शामिल किया जाएगा। बच्चों के आहार में काफी सोच-समझकर ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल किए जाएंगे जो मौसमी और क्षेत्रीय विविधताओं पर आधारित होंगे। इस योजना से गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं को पर्याप्त पोषण मिलेगा और उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा।

वर्तमान में आईसीडीएस केंद्रों का स्कूल-पूर्व घटक काफी कमज़ोर है। प्रारंभिक बाल शिक्षा (ईसीई) को एसएसए के तहत रखा जा सकता है। इसके बाद आईसीडीएस केंद्र बच्चों में अच्छे स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान से जुड़ी अच्छी आदतें पैदा करने पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। इसके लिये इन केंद्रों पर शौचालय और पेयजल का होना अनिवार्य होगा। समाज के बुजुर्गों से प्रति सप्ताह बच्चों के पास आने और उन्हें लोककथाएं और कविताएं आदि सुनाने का अनुरोध किया जाएगा क्योंकि ये बातें अक्सर स्कूली पाठ्यक्रम से नदारद होती हैं। इससे दो प्रयोजन सिद्ध होंगे - बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होगी तथा बुजुर्ग स्वयं को शैक्षिक प्रक्रिया का हिस्सा महसूस करेंगे। ❑

## महत्वपूर्ण नये सामाजिक हस्तक्षेप

- सभी बच्चों को एक वर्ष की स्कूल-पूर्व शिक्षा देना ताकि सुविधा वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को प्रारंभ से ही आगे बढ़ाया जा सके।
- छात्रावासों और व्यावसायिक शिक्षा सुविधाओं के प्रावधान सहित माध्यमिक शिक्षा का विस्तार ताकि कक्षा दसवीं तक सभी बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जा सके।
- गुणवत्तायुक्त उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिये सुविधाओं का विस्तार जिसमें उभरते वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों पर विशेष बल दिया जाएगा।
- चुनिंदा संस्थाओं को स्वायत्तता और संसाधन उपलब्ध कराना ताकि वे 2011-12 तक अंतरराष्ट्रीय स्तर प्राप्त कर सकें।
- प्रत्येक निवास स्थान से 2 घंटे की यात्रा दूरी के भीतर आपातकालीन प्रसव देखभाल सुविधा प्रदान करना।
- निर्वाचित संस्थाओं, राज्य विधान मंडलों और संसद में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।
- विधवा, विकलांग, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिला सहित अकेली महिला को शरण और संरक्षण देना।

**कृषि विकास को पट्टी पर लाकर 4 प्रतिशत की वृद्धिदर को गति देना**

- परिपूर्णता लाने के लिये कृषि को सुदृढ़ बनाना महत्वपूर्ण है।
- जल महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है, जहां संभव हो, सिंचाई का विस्तार करना और वर्षा सिंचित क्षेत्रों में बेहतर जल प्रबंधन करना।
- खाद्य उत्पादन के लिये खाद्यानों का उत्पाद महत्वपूर्ण है परंतु कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत वृद्धि के लिये आवश्यक है कि आपूर्तिकर्ता पक्ष की नीतियों का उद्देश्य विविधता लाने वाला हो।
- एनआरईजी मांग पक्ष की ओर से समर्थन देगी।
- बाज़ार समर्थन प्रचालनों को अवश्य ही सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए ताकि उचित मूल्य पर कारगर समर्थन सुनिश्चित किया जा सके। ❑

महसूस किया कि आईसीडीएस उनके बच्चों के कल्याण के लिये महत्वपूर्ण है।

इसमें दो राय नहीं है कि अनेक राज्यों में आईसीडीएस सेवाओं में तुरंत सुधार की ज़रूरत है। परंतु गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता होने का अर्थ यह नहीं है कि आईसीडीएस का कार्यक्रम मानकर कोई महत्व ही न दिया जाए। इस 'फोकस' सर्वेक्षण में इस प्रतिकूल दृष्टिकोण के लिये कोई औचित्य नहीं दिया गया है।

वास्तविकता यह है कि सर्वेक्षण के निष्कर्ष, आईसीडीएस की प्रभूत अंतर्निहित क्षमता को सामने लाते हैं। यह संभावना तमिलनाडु में भलीभांति नज़र आती है, जहां बच्चों का आहार अनेक वर्षों से राजनीतिक प्राथमिकता बना हुआ है। नमूने के तौर पर ली गई तमिलनाडु की प्रत्येक आंगनवाड़ी में एक प्रभावी भोजन कार्यक्रम था और नमूने के तौर पर चुनी गई लगभग सभी माताएं आहार की गुणवत्ता और मात्रा दोनों से संतुष्ट थीं। अन्य बुनियादी आईसीडीएस सेवाएं भी अच्छी हालत में थीं। उदाहरण के लिये तमिलनाडु में नमूने के तौर पर चुनी गई 97 प्रतिशत माताओं ने कहा कि बच्चों का नियमित वजन लिया जा रहा है और 86 प्रतिशत ने कहा कि आंगनवाड़ी में उपयोगी शैक्षिक गतिविधियां चल रही हैं। तमिलनाडु के नमूनों में प्रत्येक एकल बच्चे

को प्रतिरोधक टीका लगा था और इनकी संख्या काफी बड़ी थी। संभवत: तमिलनाडु में वास्तविक उपलब्धि का सर्वोत्तम संकेत यह तथ्य है कि नमूने के तौर पर चुनी गई 96 प्रतिशत माताओं ने अपने बच्चे की भलाई के लिये आईसीडीएस को महत्वपूर्ण माना और उनमें से आधी ने बहुत महत्वपूर्ण माना।

तमिलनाडु इस क्षेत्र में असरदार कार्रवाई का उदाहरण है। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि सफलता की कहानियां केवल इस राज्य तक ही सीमित नहीं हैं। उदाहरण के लिये महाराष्ट्र तेज़ी से तमिलनाडु के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। यहां की 90 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि स्थानीय आंगनवाड़ी नियमित रूप से खुलती है, या उनके बच्चों का वजन लिया जा रहा था, या आंगनवाड़ी में रोग प्रतिरोधक टीके लगाने की व्यवस्था है।

बड़ी संख्या में लोग (60 प्रतिशत) आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता को ऐसा व्यक्ति मानते हैं जो परिवार में स्वास्थ्य या पोषाहार संबंधी समस्या के मामलों में उनका मददगार बन सकता है। हालांकि चिंता के भी कुछ क्षेत्र हैं, विशेषकर स्कूल-पूर्व शिक्षा कार्यक्रम के संबंध में। परंतु महाराष्ट्र का अनुभव स्पष्ट दर्शाता है कि तमिलनाडु की उपलब्धियों का अनुकरण अन्यत्र भी किया जा सकता है।

उत्तर भारत के आईसीडीएस की स्थिति में काफी अंतर है। हिमाचल प्रदेश में इसे तुलनात्मक रूप से प्रोत्साहन दिया जा रहा है जबकि उत्तर प्रदेश में स्थिति असंतोषजनक है। फिसड्डी राज्यों में भी सक्रिय आंगनवाड़ी वाले गांवों में आईसीडीएस की संभावना साफ़ नज़र आई। यहां यह नोट करना भी महत्वपूर्ण है कि इन राज्यों ने मोटे तौर पर जैसा बोया है, वैसा काटा है। उदाहरण के लिये पूरक पोषाहार कार्यक्रम पर विचार कीजिए। इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि यहां 3-6 वर्ष के बच्चों के लिये सर्वोत्तम रूप से पोषक भोजन को घर ले जाए जाने वाले राशन के साथ शामिल कर देना चाहिए। साथ ही पोषण के संबंध में परामर्श दिया जाना चाहिए। तथापि बहुत से राज्य यह साधारण कदम भी नहीं उठा रहे हैं जिससे आईसीडीएस के पोषाहार घटक में सुधार हो। उदाहरण के लिये राजस्थान और उ त्तर प्रदेश में 3-6 वर्ष के बच्चों को एक ही तैयार भोजन (पंजीरी या मुरमुरा) रोज़ मिलता है और छोटे बच्चों को कुछ नहीं मिलता। इसलिये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि इन राज्यों में नमूने के लिये चुनी गई माताएं कार्यक्रम से असंतुष्ट थीं।

उत्तर भारत के राज्यों के आईसीडीएस को अपने लपेटे में लेने वाली अन्य बाधाएं हैं - निधियों की कमी, कर्मचारियों की कम संख्या, असंतोषजनक अवसंरचना, त्रुटिपूर्ण पर्यवेक्षण, अपर्याप्त प्रशिक्षण, केंद्रीकृत प्रबंधन आदि के बारे में ऐसी ही अभ्युक्तियां लागू होती हैं। इन कमियों को दूर किया जा सकता है और इनका लगातार बने रहना इस बात का द्योतक है कि बच्चों के कल्याण और अधिकारों के प्रति राजनीतिज्ञों में रुचि का अभाव है। तमिलनाडु, जहां बाल स्वास्थ्य और पोषण जीवंत राजनीतिक मुद्दे हैं, के विपरीत उत्तर भारत के राज्यों में आईसीडीएस नीति निर्माताओं के लिये सबसे कम महत्वपूर्ण है।

छह वर्ष से कम आयु के बच्चों के प्रति इसी राजनीतिक बेरुखी की पृष्ठभूमि में न्यूनतम साझा कार्यक्रम की प्रतिबद्धता प्रत्येक बस्ती में एक कार्यरत आंगनवाड़ी उपलब्ध कराना अति महत्वपूर्ण है। इस प्रतिबद्धता के अनुसरण में, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने नवंबर 2004 में आईसीडीएस के संबंध में विस्तृत सिफ़ारिशें तैयार की हैं।

हाल के अनेक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों जैसे - उच्चतम न्यायालय के आयुक्तों की रिपोर्ट और अप्रैल 2006 में हैदराबाद में 'बच्चों को भोजन का अधिकार' विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन वक्तव्य में इन सिफ़ारिशों को विस्तृत किया गया है। दुर्भाग्यवश इन रचनात्मक सुझावों पर ध्यान नहीं दिया गया है। निश्चित रूप से इसे 11वीं योजना के दृष्टिकोणपत्र के प्रारूप में स्थान नहीं दिया गया है। सार्वजनिक नीति और आर्थिक योजना में छह वर्ष से कम आयु के बच्चों की अनर्थकारी उपेक्षा को सुधारने का मौका गंवाया जा रहा है। ❑

**(लेखक जी.बी. पंत समाज विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद में विजिटिंग प्रोफेसर हैं)**

## लेखकों से अनुरोध

कृपया अपने लेख टाइप करा कर सीडी में भेजें। साथ में एक मूल टंकित प्रति हो। वापसी के लिये टिकट लगा लिफाफा अवश्य संलग्न करें। डाक टिकट लगा लिफाफा संलग्न न होने पर अस्वीकृति की दशा में रचनाएं वापस भेजना संभव नहीं होगा। लेख पर दो से अधिक लेखकों के नाम केवल विशेष शोध लेखों पर ही दें। जिन रचनाओं के साथ मौलिकता का प्रमाणपत्र संलग्न नहीं होगा वे स्वीकार नहीं की जा सकेंगी। रचना के प्रकाशन के संबंध में किसी प्रकार का पत्र-व्यवहार अथवा फोन न करें। विशेष अवसरों के लिये लेख तीन माह पूर्व प्राप्त हो जाने चाहिए। रचनाओं के साथ यथासंभव प्रासंगिक चित्र भी भेजें। सभी रचनाएं 'संपादक, योजना' के नाम प्रेषित करें।

**- संपादक**

IAS/PCS - 2006-07
Eng./ हिन्दी Medium

समाजशास्त्र का विशेषज्ञ संस्थान

# समाज शास्त्र
## द्वारा धर्मेन्द्र

**समाजशास्त्र की विशेषता-**

- ★ छोटा पाठ्यक्रम
- ★ किसी पृष्ठभूमि की आवश्यकता नहीं।
- ★ दिन-प्रतिदिन की घटनाओं से संबंधित, अतः रूचिकर।
- ★ 830-अंकों का योगदान ( 600-वैकल्पिक विषय, 200-निबंध तथा 30-सा० मुद्दे )
- ★ मात्र तीन महिने में कोर्स पूरा।
- ★ चयनित अध्ययन की अपार संभावनाएँ।

## Final Selection IAS/PCS - 2005-06

RANK 235

Aarti S. Parihar (U P S C)

RANK 1

Ajai Singh (UTT. P C S)

Manoj Sharma 121st Rank (UPSC)

Love Kumar 311th Rank (UPSC)

Ranjan Prakash 229th Rank (UPSC)

Sangeeta Bhatt (UTT. PCS)

Vikas Maheswari (Chattisgarh PCS)

Richa Mishra (M.P. PCS)

Manish Kr. Singh (UTT. PCS)

Prakash Chandra (UTT. PCS)

Kamla Devi Kol (M.P. PCS)

Vijay S. Dubey 46th B P S C

Birendra Kumar (UTT. PCS)

Rakesh Kumar UPPCS (C.D.P.O.)

## नि:शुल्क कार्यशाला

गुरूवार 07 जुन.,2007

हिन्दी :- 05.00 P. M.
Eng :- 09.00 A. M.

## नामांकन प्रारम्भ

**संस्था की रणनीतिः**

- अध्यापन की शुरूआत मूल अवधारणाओं के साथ-जिससे गैर-समाजशास्त्रिय पृष्ठभूमि के अभ्यर्थी सहजता प्राप्त करें।
- संपूर्ण, संवर्धित तथा अद्यतन पठन सामग्री (पत्राचार हेतु भी उपलब्ध)
- राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रिय अध्ययनों का विश्लेषण।
- ईक्नॉमिक एवं पॉलिटिक्ल वीक्ली, योजना एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं से समृद्ध क्लास नोट्स।
- गहन उत्तर लेखन अभ्यास।
- नवीनतम समाज शास्त्रीय अध्ययन, विवेचना के साथ।

Dharmendra's SOCIOLOGY

302, A-12-13, Top Floor, Ansal Building, Mukherjee Nagar, Delhi-9.
Ph.: 011-65152590, Cell 9868355720

YH/5/7/11

# खाद्य एवं पोषण असुरक्षा को कम महत्व

○ मधुरा स्वामीनाथन

*कुपोषण की समस्या से निपटने के लिये ग्यारहवीं योजना में सभी लोगों के लिये कम क़ीमत पर स्वच्छ पेयजल, शौचालय, जल निकासी की सुविधा, बुनियादी स्वास्थ्य सेवा आदि उपलब्ध होना चाहिए*

कैलोरी की मात्रा अथवा कुपोषण के मानकों के हिसाब से विश्व में अन्य देशों की अपेक्षा भारत में सबसे अधिक लोग भुखमरी के शिकार हैं।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़े कैलोरी की मात्रा में गिरावट के रुझान स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। ग्रामीण भारत में वर्ष 1972-73 के दौरान प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन कैलोरी की मात्रा 2,266 किलो कैलोरी थी जो 1993-94 में घटकर 2,183 किलो कैलोरी हो गई। वर्ष 1999-2000 के दौरान इसमें और भी गिरावट आई और यह घटकर 2,149 किलो कैलोरी रह गई। उपभोक्ता व्यय के लिहाज़ से ग्रामीण गृहस्थी के निम्नतम 30 प्रतिशत भाग में 1989 में कैलोरी की मात्रा 1,830 किलो कैलोरी थी, जो 1998 में घटकर 1,600 किलो कैलोरी हो गई। वर्ष 1999-2000 में ग्रामीण जनसंख्या का 77 प्रतिशत हिस्सा ग़रीबी रेखा के लिये आवश्यक कैलोरी की मात्रा यानी 2,400 कैलोरी से भी कम मात्रा का सेवन कर रहा था। आंकड़े अनाजों के सेवन की मात्रा में भी गिरावट दर्शाते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जो चयन से अधिक आर्थिक तंगी से परिचालित है। क्योंकि यह एक ऐसी परिस्थिति में उपजी है जहां कैलोरी की मात्रा में संपूर्ण गिरावट है और कुपोषण का उच्च स्तर बरकरार है।

विश्व के एक तिहाई कुपोषित बच्चे भारत में पाए जाते हैं। कुपोषित लोगों की कुल संख्या में गिरावट की दर अत्यंत ही धीमी रही है और यह रोम में संपन्न विश्व खाद्य सम्मेलन में अनुमोदित दर से भी धीमी है। योजना आयोग की मध्यावधि समीक्षा में यह स्वीकार किया गया है कि सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (एमडीजी) के तहत अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत असफल रहा है। पोषण के मोर्चे पर, वर्ष 2005 के लिये सहस्राब्दि विकास लक्ष्य के रूप में उस स्तर को हासिल करना था जहां 27 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हों, जबकि वास्तविक उपलब्धि 46 प्रतिशत थी।

इस भीषण भुखमरी और कुपोषण के संदर्भ में, ग्यारहवीं योजना का दृष्टिकोणपत्र खाद्य एवं पोषण सुरक्षा संबंधी समस्या को अपेक्षित महत्व और तवज्जो नहीं देता है। पोषण के संबंध में वांछित लक्ष्य ग्यारहवीं योजना के अंत तक कुपोषित बच्चों के अनुपात को आधा करना है। वर्ष 2005 में अधूरा रहे इस लक्ष्य को 2011 के लिये फिर से निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, कुपोषण में कमी लाने सरीखे लक्ष्यों को विकास के उद्देश्यों के मातहत देखा जाता है।

### लक्ष्य

ग्यारहवीं योजना में 'भुखमरी से मुक्त भारत' अथवा 'सब के लिये खाद्य एवं पोषण सुरक्षा' का एक सुस्पष्ट एवं ठोस लक्ष्य होना चाहिए। सच्चे, समन्वित विकास के लिये इस योजना में सभी भारतीय को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने अर्थात सार्वभौम खाद्य सुरक्षा का एक लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिये उच्च आर्थिक विकास दर से भी आगे ध्यान केंद्रित करना होगा।

### रणनीति

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु हमें पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न की आपूर्ति एवं उसके सेवन की समुचित मात्रा को सुनिश्चित करना होगा। व्यक्तिगत आधार पर सेवन कई कारकों- क्रयशक्ति एवं उचित क़ीमत पर समुचित मात्रा एवं गुणवत्ता में खाद्यान्न की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इस लिहाज़ से हम आय एवं रोज़गार के प्रसार संबंधी रणनीति के बारे में चर्चा नहीं करते हैं।

### खाद्यान्न आपूर्ति

पिछले 15 वर्षों में अनाज एवं दालों की प्रतिव्यक्ति कुल उपलब्धता में अभूतपूर्व गिरावट (1991 में प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन 510 ग्राम से घटकर 2004 में 463 ग्राम) आई है। ग्यारहवीं योजना में कृषि संबंधी रणनीति का मुख्य लक्ष्य अनाजों एवं दालों की उपलब्धता बढ़ाना तथा इसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना होना चाहिए।

राष्ट्रीय स्तर पर, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की अवधि में कृषि के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि खाद्यान्न उत्पादन में बेतहाशा वृद्धि रही जिससे देश दालों के उत्पादन में एक तरह से आत्मनिर्भर हो गया। कुछ अरसा पहले तक खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता को

लेकर ख़तरा नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन अब स्थिति चिंताजनक है।

विभिन्न अनुमानों के मुताबिक वर्ष 2020 तक हमें 224 लाख टन से लेकर 296 लाख टन दाल की आवश्यकता होगी। दीर्घकालिक अनाज नीति से जुड़ी एक उच्च स्तरीय समिति (अभिजीत सेन समिति) के निष्कर्षों के मुताबिक यह मांग 260 लाख टन की होगी। वर्ष 2020 के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये हमें दालों के उत्पादन स्तर को 191 लाख टन (2004-05) से बढ़ाते हुए अगले 15 वर्षों में इसमें 69 लाख टन का इज़ाफा करना होगा। पिछले 15 वर्षों में दालों के उत्पादन में 29 लाख टन की बढ़ोतरी हुई है। अगले 15 वर्षों में इस उपलब्धि को दुगुना करना होगा। इस मांग को पूरा करने के लिये दालों एवं अनाजों के उत्पादन से जुड़ी वर्तमान वृद्धिदर पर्याप्त नहीं होगी। इसके लिये, जैसा कि राष्ट्रीय किसान आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है, कृषि संबंधी रणनीति में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है।

समय-समय पर होने वाले आयात को नहीं नकारते हुए हमारा मानना है कि दालों के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा। खाद्य संबंधी बुनियादी ज़रूरतों के लिये भारत के लोग आयात पर निर्भर नहीं रह सकते। अतीत के अनुभवों से यह साबित हुआ है कि खाद्य संबंधी बुनियादी ज़रूरतों के लिये अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर निर्भरता न सिर्फ आर्थिक रूप से, बल्कि राजनैतिक संप्रभुता के लिहाज़ से भी महंगी साबित होती है। गेहूं के आयात के लिये चुकाई जा रही वर्तमान क़ीमत (210 डॉलर से लेकर 245 डॉलर रुपये प्रति टन) किसी भी लिहाज़ से भारतीय खाद्य निगम के आर्थिक लागत (जिसमें भंडारण, परिवहन एवं वितरण संबंधी सभी लागत शामिल हैं) से कम नहीं है। चूंकि हमारी जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा आय एवं रोज़गार के लिये कृषि पर निर्भर है, आयात के विकल्प के सस्ता होने की स्थिति में भी लाखों छोटे किसानों की जीविका उजड़ने के मद्देनज़र तौलना होगा।

भूमि के वांछित उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु छोटे उत्पादकों को एक अच्छी आमदनी का भरोसा दिलाना होगा। अनाजों, विशेषकर धान एवं गेहूं के उत्पादकों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खुली प्राप्ति की नीति ने उचित मूल्य पर खरीदारी की गारंटी दी है और तकनीकी अनुप्रयोगों एवं उच्च उत्पादन को प्रोत्साहित किया है। ग्यारहवीं योजना में, न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं प्रापण की नीति को विस्तार देते हुए इसे ज्वार, बाजरा सरीखे मोटे अनाजों के लिये भी लागू किया जाना चाहिए। इससे फसल उत्पादन में विविधता को प्रोत्साहन मिलेगा और फसल उत्पादन में संतुलन आएगा। विकासशील देशों में प्रत्यक्ष आय समर्थन व्यावहारिक नहीं है। लिहाज़ा, उत्पादकों को एक निश्चित आय की गारंटी सुनिश्चित करने के लिये मूल्य संबंधी समर्थन आवश्यक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को


*Now Delhi in Patna* *Admission open...*

**IAS/PCS**

**सामान्य अध्ययन + इतिहास**

*By :* MEDIUM : हिन्दी + ENGLISH

**शैलेन्द्र सिंह**

*With Proven Capacity*

RENOWNED FOR ANALYTICAL APPROACH

*Features:-*
- व्याख्यान पर बल
- सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के नोट्स
- Regular Test
- Regular Debate
- Answer Formating
- साक्षात्कार (Interview)

**New Batch : 1st week of every month**

**अन्य विषय : निबंध / साक्षात्कार**

**THE ZENITH**

**An Innovative Institute for I.A.S.**

G-4, Chandrakanta Apartment, Opp. Bata, Pandui Kothi Lane, Boring Road, Patna-800001,
Mob. : 9431052949 / 9835490233 E-mail : thezenithias@rediff.com

YH/5/7/4

## राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से अपेक्षा है कि यह असंतोषजनक सार्वजनिक सदस्य व्यवस्था या बुनियादी अवसंरचना वाले 18 राज्यों पर विशेष ध्यान देकर ग्रामीण लोगों के कारगर स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान के अंतर को दूर करेगा।
- यह मिशन क्षैतिज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का परिवर्तित रूप है। इसमें स्वास्थ्य विकास से जुड़ी सभी बातें शामिल हैं और इसमें विभिन्न कार्यक्रमों से जुड़ी समितियां शामिल की जाएंगी और जिला स्तर पर संसाधन जुटाए जाएंगे।
- इसका उद्देश्य, समेकित जिला स्वास्थ्य योजना के जरिये स्वच्छ पेयजल, सफ़ाई तथा पोषण जैसे स्वास्थ्य निर्धारकों के साथ स्वास्थ्य संबंधी गंभीर बातों को मिलाना है। लचीली निधियों का भी प्रावधान है ताकि राज्य उन क्षेत्रों में उनका उपयोग कर सकें जिन्हें वे महत्वपूर्ण समझते हों।
- मिशन में प्रत्येक जिले में प्रत्यापित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएसएचए) की नियुक्ति और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने का प्रावधान है जिसमें चलते-फिरते औषधालयों के जरिये काफी बड़े क्षेत्र तक पहुंचना भी शामिल है। इसमें विशेषरूप से कम सुविधा वाले क्षेत्रों में गैर-लाभकारी क्षेत्र को शामिल करने पर भी बल दिया गया है। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर खुले धन का प्रावधान कर लचीलापन लाना भी है।
- पूरक कार्यनीति के तहत मिशन का उद्देश्य सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना, साम्य में सुधार लाने तथा आवश्यक ख़र्च में कमी लाने के लिये निजी क्षेत्र को विनियमित करना।
- असरदार जोखिम समूह तंत्र और सामाजिक स्वास्थ्य बीमा की शुरुआत करना और स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ❑

वैधानिकता प्रदान करने संबंधी अभिजीत सेन समिति की सिफ़ारिश एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक कदम है।

**खाद्यान्न ग्राह्यता**

अंततोगत्वा, खाद्य सुरक्षा सूक्ष्म स्तर पर अर्थात प्रत्येक व्यक्ति तक सुनिश्चित करना होगा। खाद्य सुरक्षा संबंधी किसी भी रणनीति के दो मुख्य स्तंभ के रूप में खाद्यान्न तक आर्थिक पहुंच (चाहे रोज़गार सृजन के जरिये हो या फिर आय हस्तांतरण के जरिये) और मौलिक पहुंच सुनिश्चित होना चाहिए। चूंकि गृहस्थी उपभोग व्यय की बुनियादी इकाई है, एक व्यवस्थित सार्वजनिक वितरण प्रणाली गृहस्थी स्तर पर खाद्यान्न तक उचित मूल्य पर पर्याप्त भौतिक पहुंच सुनिश्चित करने का एक अच्छा माध्यम बन सकता है।

वर्ष 1997 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को खत्म कर एक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई।

भारत सरकार ने आधिकारिक ग़रीबी रेखा से नीचे की आमदनी वाली गृहस्थी को लक्षित करने की नीति शुरू की। इसके परिणामस्वरूप केंद्र द्वारा जारी दोहरी मूल्य प्रणाली (ग़रीबी रेखा से ऊपर के उपभोक्ताओं के लिये अलग मूल्य) का जन्म हुआ। यह साफ है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली ज़रूरतमंदों के लिये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में कारगर नहीं रहा है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (बीपीएल श्रेणी) इसके लाभों के दायरे से बाहर हो गए। दूसरे, इस प्रक्रिया से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन एवं आर्थिक व्यवहार्यता पर विपरीत असर पड़ा है और आपूर्ति व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। तीसरे, देश के अधिशेष उत्पादन वाले क्षेत्रों से अभावग्रस्त क्षेत्रों में अनाजों के हस्तांतरण के माध्यम से मूल्यों में स्थिरता लाने के लक्ष्य को हासिल करने में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नाकाम रहा।

योजना आयोग के एक मूल्यांकन के मुताबिक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान व्यवस्था में ग़रीबी रेखा से नीचे रहने वाले 57 प्रतिशत लोग शामिल नहीं किए गए हैं। इस किस्म की त्रुटियां ग़रीबी को परिभाषित करने में आनेवाली सैद्धांतिक एवं प्रक्रियात्मक समस्याओं की देन है।

ग़रीबी रेखा के आधार पर लक्षित करने की वर्तमान नीति को समाप्त कर उसके स्थान पर सार्वभौम वितरण की एक अधिक समन्वित नीति की शुरुआत करनी चाहिए। एक ऐसे देश में जहां लाखों लोग कुपोषित हैं और अधिकांश खाद्य असुरक्षा से ग्रसित हैं, एक सार्वभौम प्रणाली ही सभी ज़रूरतमंदों का भला करेगी।

ग्यारहवीं योजना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अवश्य ही मज़बूत किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस व्यवस्था का उपयोग करने वाले सभी लोगों को उचित मूल्य पर बुनियादी खाद्य पदार्थ (यथा - चावल, गेहूं, मोटा अनाज, दालें, खाना पकाने का तेल और नमक) उपलब्ध हो। इसके अलावा, बुनियादी खाद्य पदार्थों की क़ीमतों को प्रभावित करने वाली सभी नीतियों की समीक्षा की जानी चाहिए।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में विशिष्ट खाद्य पदार्थों तथा शिशुओं, बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं तथा बुजुर्गों के लिये आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धता भी सुनिश्चित होनी चाहिए।

अंत में, कुपोषण की समस्या से निपटने के लिये ग्यारहवीं योजना में सभी लोगों के लिये कम क़ीमत पर स्वच्छ पेयजल, शौचालय, जल निकासी की सुविधा, बुनियादी स्वास्थ्य सेवा आदि उपलब्ध होना चाहिए। ❑

(लेखिका भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता में कार्यरत हैं)

हिन्दी माध्यम के लिए समर्पित एकमात्र संस्थान...

शिक्षा गुरू से न कि शिक्षक से...

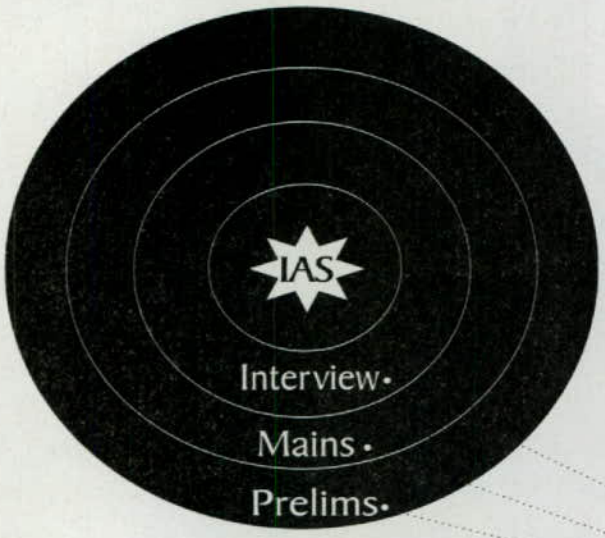


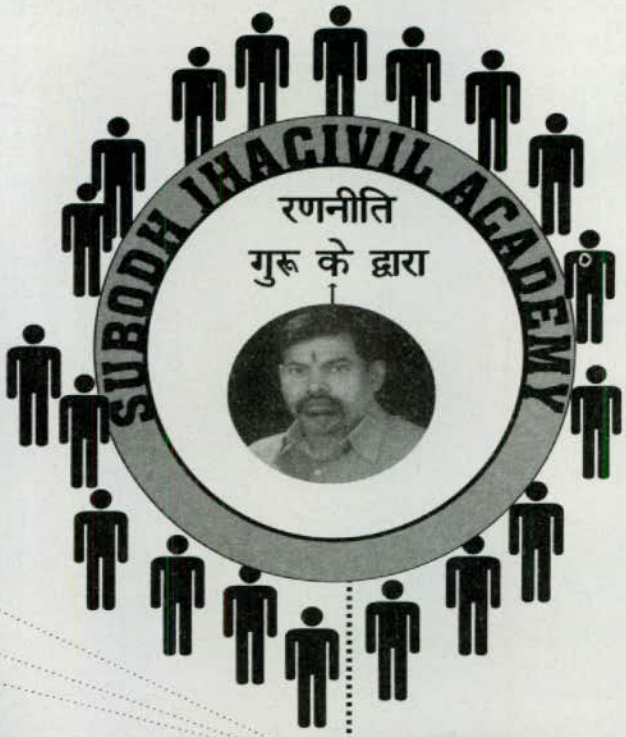


सफलता = रणनीति + परिश्रम

सफलता = संलयन (गुरू + छात्र)

परिश्रम ऊर्जा (छात्र/छात्रा)

## कक्षा कार्यक्रम की विशिष्टता

- साक्षात्कार के लिए प्रशासकीय वैचारिकी का निर्माण।
- आलस्य, भटकाव, भूलने की प्रवृति, रूढ़िवादिता, अस्पष्टता का विखण्डन।
- एकाग्रता, तार्किकता, स्पष्टता, अभ्यास, परीक्षण तथानियमितता का विकास।
- उत्तर लेखन शैली का विकास।
- टिप्पणी के प्रश्न तथा निर्देशात्मक प्रश्न के उत्तर शैली में अंतर।
- व्याख्या, विवेचना, विश्लेषण, मूल्यांकन, परीक्षण आदि के निर्देश के अनुरूप (मुखर्जी मॉडल)
- प्रारम्भिक परीक्षा के लिए अधिमान्यता क्रम के आधार पर अध्यापन।
- सूचनात्मक, अवधारणात्मक, कारणात्मक प्रश्न को हल करने की विशिष्ट तकनीकि।
- निगेटिव मार्किंग से बचने की तकनीकि अधिकतम सही उत्तर के साथ।
- 20 टेस्ट युनिट के अनुरूप
- 20 टेस्ट की सीरिज
- पूर्ण पाठ्य सामग्री की उपलब्धता।

## कक्षा कोर्स

### अनिवार्य विषय

### सामान्य अध्ययन

विशिष्टता में एकता

| | |
|---|---|
| समसामयिक सामाजिक राष्ट्रीय मुद्दे | सुबोध झा |
| अन्तर्राष्ट्रीय संगठन तथा संबंध | सुबोध झा |
| इतिहास | अख्तर मलिक |
| राजव्यवस्था | महिपाल चारण हिलोड़ी |
| भूगोल | प्रवीण चोबे |
| विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी | दुर्गेश कुमार |
| सांख्यीकीय एवं तार्किक योग्यता | दुर्गेश कुमार |
| अर्थशास्त्र | राजीव रंजन झा |

### वैकल्पिक विषय

| | |
|---|---|
| समाजशास्त्र | SUBODH JHA |
| दर्शनशास्त्र | डॉ. उपेन्द्र कुमार |
| लोक प्रशासन | महिपाल चारण हिलोड़ी |

...+टेस्ट सीरिज, पत्राचार कोर्स उपलब्ध+...

# SUBODH JHA CIVIL ACADEMY

A-14 Bhadari House (Besment) Near Chawla Restaurant Dr. Mukherjee Nagar Delhi-9

Ph.: 01165462132, 9873337566

YH/5/7/3

# पहुंच और गुणवत्ता पर उठते सवाल

○ सुखदेव थोराट

शिक्षण संस्थानों एवं शिक्षकों की संख्या के लिहाज़ से स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, 1947 में उच्च शिक्षा व्यवस्था का आकार छोटा था। लेकिन, तब से लेकर आज तक उच्च शिक्षा के इन दोनों मानकों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

वर्ष 1947 से लेकर 2005 तक विश्वविद्यालयों की कुल संख्या 20 से बढ़कर 357 तक जा पहुंची जो तिगुनी वृद्धि का संकेत है। आज देश में 20 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 216 राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय और 102 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं। राज्य द्वारा बनाए गए कानून के तहत 5 संस्थानों तथा केंद्रीय कानून के तहत राष्ट्रीय महत्व के 13 संस्थानों की स्थापना की गई है।

वर्ष 1947 से लेकर 2005 के बीच कॉलेजों की संख्या 500 से बढ़कर 17,625 हो गई है, जिसमें 1,700 महिला कॉलेज शामिल हैं। यानी, इस क्षेत्र में 26 गुना वृद्धि हुई है।

तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2004 तक हमारे पास लगभग 1,265 इंजीनियरिंग एवं तकनीकी कॉलेज, 320 फार्मेसी कॉलेज, 107 आर्किटेक्चर, 40 होटल मैनेजमेंट समेत कुल 1,749 संस्थान थे। स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थानों के रूप में वर्ष 2004 तक 958 एमबीए/पीजीडीएम एवं 1,034 एमसीए संस्थान थे।

इसी प्रकार, वर्ष 1950 में 700 से बढ़कर वर्ष 2005 के दौरान शिक्षकों की संख्या 4.72 लाख हो गई है।

इस तरह से शिक्षण संस्थानों एवं शिक्षकों की संख्या में बहुआयामी वृद्धि हुई है। संस्थानों एवं संकायों के लिहाज़ से शैक्षिक आधारभूत संरचना में हुई इस प्रगति के साथ-साथ हमें उम्मीद है कि वंचित तबकों तक पहुंच तथा गुणवत्ता के मामले में उच्च शिक्षा में सुधार आएगा।

वर्ष 1986 में घोषित उच्च शिक्षा की राष्ट्रीय नीति ने राधाकृष्णन और कोठारी कमीशन के सपनों को उच्च शिक्षा के पांच मुख्य लक्ष्यों में रूपांतरित कर दिया जिसमें वृहत पहुंच, समान पहुंच, गुणवत्ता एवं श्रेष्ठता, प्रासंगिक एवं मूल्य आधारित शिक्षा से जुड़ी बातें शामिल हैं।

1992 की कार्ययोजना के तहत इन लक्ष्यों को साधने के लिये व्यापक कार्यक्रम तैयार किए गए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है जिनका लक्ष्य है: (i) सभी स्तरों पर ग्रहण क्षमता का विस्तार (ii) वंचित समूहों, विशेषकर ग़रीबों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों, बालिकाओं, विकलांगों तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े इलाकों में शिक्षा की सुलभता (iii) मज़बूत शैक्षिक एवं भौतिक आधारभूत संरचना के जरिये गुणवत्ता एवं श्रेष्ठता में सुधार (iv) युवाओं में नैतिक मूल्यों के विकास को प्रेरित करने वाले पाठ्यक्रमों के विकास में सहायता।

### उच्च शिक्षा की क्षमता में विस्तार

प्रथम तीन लक्ष्यों- पहुंच, समान पहुंच एवं गुणवत्ता के महत्व को देखते हुए मेरे विचार इन्हीं तीन मुद्दों पर केंद्रित हैं।

### नामांकन दर में वृद्धि

पहला मुद्दा नामांकन दर के प्रसार से संबंधित है। नामांकन दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 1950 में यह दर जहां एक प्रतिशत थी, 2003 में बढ़कर 13 प्रतिशत हो गई। 13 प्रतिशत की यह दर विकासशील देशों के औसत दर (11 प्रतिशत) से थोड़ा अधिक है। किंतु, यह दर विश्व औसत (23 प्रतिशत) या शिक्षा का कारोबार करने वाले देशों के औसत (36.5 प्रतिशत) या फिर विकसित देशों के औसत (54.6 प्रतिशत) से बेहद कम है।

आज़ादी के बाद उच्च शिक्षा की मांग में बेतहाशा वृद्धि हुई है। हालांकि, मांग में इस वृद्धि के अनुरूप शैक्षिक आधारभूत संरचना का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया। यानी, शैक्षिक संस्थानों व अन्य सुविधाओं का मांग के अनुरूप समुचित विकास नहीं हुआ। क्षमता से अधिक मांग होने के कारण बड़ी संख्या में इच्छुक उम्मीदवारों को उच्च शिक्षा सुलभ नहीं हो पाया है। ऐसी परिस्थिति में शैक्षिक संस्थानों को अपने बूते से अधिक विद्यार्थियों को संभालने के लिये बाध्य होना पड़ा है। नतीज़तन शैक्षिक सुविधाओं पर दबाव बढ़ा है। लिहाज़ा, नये विश्वविद्यालय एवं कॉलेज खोलने के साथ-साथ वर्तमान संस्थानों को मज़बूत बनाना एवं उनका प्रसार करना भी उतना ही ज़रूरी है।

यदि हमारा लक्ष्य विश्व औसत (23 प्रतिशत) के निकट पहुंचना है तो हमें ग्यारहवीं योजना में ग्रहण-क्षमता में उल्लेखनीय प्रसार करना होगा। 13 प्रतिशत से 20 प्रतिशत या 23 प्रतिशत की वृद्धि सार्वजनिक एवं निजी, दोनों क्षेत्रों से लानी होगी। इसके लिये सार्वजनिक एवं निजी, दोनों क्षेत्रों में सांस्थानिक क्षमता के विस्तार से संबंधित योजनाएं बनानी होगी। सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के लिये निश्चित लक्ष्य निर्धारित करना होगा। इसका अर्थ यह भी है कि गैर-सहायता प्राप्त निजी संस्थानों में शैक्षिक क्षमता से संबंधित कुछ योजनाएं एवं लक्ष्यों का निर्धारण ज़रूरी होगा। इसके लिये वर्तमान शैक्षिक

संस्थानों की क्षमता में प्रसार करना होगा और साथ ही नये शैक्षिक संस्थान भी स्थापित करने होंगे। शैक्षिक संस्थानों की संभावित अतिरिक्त संख्या के बारे में खूब सोच-विचार करना होगा। इन दोनों कार्यों के लिये उच्च शिक्षा से संबंधित सार्वजनिक व्यय में बढ़ोतरी करनी होगी।

**समता एवं समावेशन को प्रोत्साहन**

दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा विविध प्रकार की असमानताओं से संबंधित है। यद्यपि सकल नामांकन अनुपात लगभग 13 प्रतिशत है, विभिन्न राज्यों, ग्रामीण-शहरी, स्त्री-पुरुष, अंतरजातीय एवं अंतरधार्मिक, ग़रीब-अमीर तथा विभिन्न पेशेवर समूहों के बीच व्यापक असमानताएं हैं। इनमें से कई देशों की स्थिति वाकई गंभीर है।

कई राज्यों में शहरी क्षेत्रों के मुक़ाबले ग्रामीण इलाकों में नामांकन का प्रसार कम है। विशेषकर, अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों में उच्च जातियों के मुक़ाबले नामांकन दर कम है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का नामांकन कम है। जहां तक धार्मिक समूहों का प्रश्न है, जैन, सिख एवं ईसाइयों की तुलना में मुसलमानों एवं हिंदुओं का नामांकन दर कम है।

ग़रीबों में नामांकन दर कम है। और, खासकर दिहाड़ी मज़दूरों में नामांकन दर स्वरोज़गार में संलग्न लोगों की तुलना में कम है। यहां उल्लेखनीय तथ्य यह है कि न सिर्फ़ हिंदू धर्म के अनुसूचित जाति व जनजातियों बल्कि अन्य धमो ं के अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों में भी नामांकन दर कम है। यही नहीं, अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं में तो नामांकन दर बेहद कम है। यही हाल मुस्लिम महिलाओं के साथ भी है।

इस प्रकार, आमतौर पर अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग एवं मुसलमानों तक उच्च शिक्षा की पहुंच नहीं है। विशेष रूप से इन वर्गों की महिलाओं एवं शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के दिहाड़ी मज़दूरों को भी उच्च शिक्षा के लाभों से वंचित रहना पड़ता है। इतना ही नहीं, इन वगो ं के ग़रीबों को सबसे अधिक घाटा उठाना पड़ता है। ग्रामीण इलाकों के अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों, मुसलमानों, महिलाओं एवं दिहाड़ी मज़दूरों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक नुकसान भुगतना पड़ता है।

इस प्रकार, हम विविध प्रकार की असमानताओं से रूबरू होते हैं। लिहाज़ा, इन असमानताओं को दूर करने के लिये समावेशन की एक ठोस नीति बनाने की आवश्यकता है।

आमतौर पर सभी धर्मों की अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, मुसलमान सरीखे धार्मिक अल्पसंख्यकों तथा विशेष रूप से अन्य पिछड़ा वर्गों, महिलाओं तथा दिहाड़ी मज़दूरों की खासियत को देखते हुए इन समूहों की समस्याओं को अलग-अलग निपटाने की ज़रूरत है। और, उन्हें अन्य लोगों के समकक्ष लाने के लिये समूह आधारित विशिष्ट नीतियां एवं कार्यक्रम बनाए जाने की जरूरत है।

**उच्च शिक्षा में 2001-02 के दौरान नामांकन (प्रतिशत में)**

| देशों का समूह | सकल नामांकन अनुपात |
|---|---|
| विकसित देश | 54.6 |
| संक्रमणग्रस्त देश | 36.5 |
| विकासशील देश | 11.3 |
| विश्व | 23.2 |
| भारत | 13 प्रतिशत लगभग |

स्रोत-विश्व में उच्च शिक्षा

**गुणवत्ता एवं श्रेष्ठता को प्रोत्साहन**

तीसरा मुद्दा उच्च शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित है। गुणवत्ता से जुड़े कई ऐसे मसले हैं जिन्हें पहचानने की आवश्यकता है। इस तथ्य को मानना बेहद महत्वपूर्ण है कि कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के एक बड़े हिस्से का आकलन गुणवत्ता के आधार पर नहीं किया जाता है। लिहाज़ा, हमें उच्च शिक्षा में संलग्न विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों की गुणवत्ता एवं श्रेष्ठता से संबंधित सही तस्वीर नहीं प्राप्त होती।

**कॉलेज क्षेत्र**

उदाहरण के तौर पर कॉलेज क्षेत्र से जुड़े कुछ विशिष्ट तथ्य गौरतलब हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत आने वाले कुल 14,000 कॉलेजों में सिर्फ 40 प्रतिशत और 38 प्रतिशत को 2(एफ) (लगभग 5,589) एवं 12(b) (लगभग 5,273) स्तर, जो न्यूनतम शैक्षिक मानक को संतुष्ट करता है, के अधीन नहीं रखा गया है।

इसका अर्थ यह हुआ कि लगभग 61 प्रतिशत या लगभग 8,500 कॉलेज गुणवत्ता संबंधी आकलन के बगैर चल रहे हैं। हमें इन कॉलेजों की गुणवत्ता के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। इसलिये, देश में कॉलेज स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिये इन कॉलेजों को गुणवत्ता आकलन के दायरे में रखना आवश्यक है। इनमें से अधिकांश कॉलेज स्ववित्त पोषित हैं और बगैर स्थायी मान्यता वाले हैं। हमें इन्हें पुनरुत्थान और यूजीसी सहायता के दायरे में लाना है।

इन 5,589 कॉलेजों, जो 2(एफ) एवं 12(बी) के तहत मान्यताप्राप्त हैं, में से आधे एनएएसी द्वारा आकलित और मान्यताप्राप्त हैं। दरअसल, कॉलेजों की कुल संख्या (14,000) में मान्यताप्राप्त कॉलेजों का हिस्सा 20 प्रतिशत है। ऐसी परिस्थिति में एनएएसी से आकलन एवं मान्यता प्रदान के कार्यों में और अधिक बड़ी जिम्मेदारी निभाने की अपेक्षा की जाती है।

**विश्वविद्यालय क्षेत्र**

जहां तक विश्वविद्यालय क्षेत्र का प्रश्न है, फिलहाल उच्च शिक्षा के लगभग 357 संस्थान हैं। यह देश में कुल विश्वविद्यालय का 81 प्रतिशत है। लगभग 317 विश्वविद्यालयों में से लगभग 164 12(बी) के तहत मान्यता प्राप्त हैं और इसलिये वे अनुदान पाने के पात्र हैं। इसका अर्थ यह है कि लगभग 50 प्रतिशत विश्वविद्यालयों का आकलन नियम 12(बी) के तहत कुछ मानकों एवं गुणवत्ता के लिये किया जाता है। शेष आधे विश्वविद्यालयों

## प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता

- वर्ष 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा का शत-प्रतिशत विस्तार।
- गुणवत्ता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
- बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में कमी लाना (52 प्रतिशत से 20 प्रतिशत)।
- शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार।
- पंचायती राज संस्थाओं के प्रति जवाबदेही की शुरुआत कर शिक्षकों के कार्यस्थल से अनुपस्थित रहने की समस्या पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
- वर्ष 2012 तक स्थायी कौशलयुक्त कार्यसाधक साक्षरता 85 प्रतिशत।
- ग्यारहवीं योजना में भारत सरकार द्वारा एसएएस को 75: 25 की बजाय 50:50 के अनुपात में धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। राज्यों को उसी अनुपात में अपना अंश बढ़ाने की आवश्यकता होगी। ❑

## माध्यमिक शिक्षा

- वर्ष 2012 तक शिक्षा में 38 से 65 प्रतिशत तक नामांकन बढ़ाना (आयुवर्ग 14-18)।
- भारत सरकार भवनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संपूर्ण शिक्षा, स्कूलों में आईसीटी, शिक्षक प्रशिक्षण, नये केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों पर आने वाली पूंजी लागत का कुछ हिस्सा वहन करेगी।
- राज्य सरकारें ज़मीन देंगी तथा भारत सरकार से प्राप्त पूंजी अनुदान के बराबर अंशदान और आवर्ती व्यय वहन करेंगी।
- निजी स्कूलों और पीपीपी के विस्तार और स्थापना को प्रोत्साहन दिया जा सकता है।
- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना का विस्तार। ❑

का गुणवत्ता के लिये आकलन नहीं होता है। और, इन विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता के बारे में हमें कम जानकारी है।

नियम 12(बी) के तहत 164 विश्वविद्यालयों का आकलन एनएएसी द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के विस्तृत सूचकों के तहत किया जाता है। ऐसे विश्वविद्यालयों की संख्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों (यानी 164) का 78 प्रतिशत है और कुल विश्वविद्यालयों (यानी 317) का 40 प्रतिशत है।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि कुल 317 विश्वविद्यालयों में से 50 प्रतिशत विश्वविद्यालयों का नियम 12(बी) के तहत न्यूनतम गुणवत्ता के लिये आकलन किया गया है और 40 प्रतिशत विश्वविद्यालयों का आकलन एनएएसी द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के विस्तृत सूचकों के तहत किया गया है।

गुणवत्ता आकलन के अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न स्कीमों के माध्यम से भी श्रेष्ठता को प्रोत्साहित करता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अब तक 9 विश्वविद्यालयों एवं 97 कॉलेजों को श्रेष्ठता की दृष्टि से सक्षम पाया है और इनकी संख्या क्रमशः कुल विश्वविद्यालयों का छह प्रतिशत और कॉलेजों का लगभग दो प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त लगभग 500 विभागों और 12 केंद्रों को श्रेष्ठता की दृष्टि से सक्षम माना गया है।

**श्रेष्ठता के लिये गुणवत्ता आवश्यक**

हमें इस तथ्य को मानना होगा कि गुणवत्ता एवं श्रेष्ठता एक-दूसरे से जुड़े हैं। क्योंकि विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में गुणवत्ता आधारित शिक्षा की बुनियाद पर श्रेष्ठता का विकास एवं प्रसार होता है। उच्च शिक्षा के संस्थानों, विशेषकर विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में गुणवत्ता आधारित शिक्षा के बगैर श्रेष्ठता को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है। यदि सिर्फ़ 9 विश्वविद्यालयों एवं 97 कॉलेजों को श्रेष्ठता की दृष्टि से सक्षम पाया गया है, सिर्फ़ 12 विश्वविद्यालयों को कुछ खास विशेषज्ञता के लिये श्रेष्ठ पाया गया है और केवल 477 विभागों को श्रेष्ठता के योग्य समझा गया है, तो इसका अर्थ यह है कि विश्वविद्यालय एवं कॉलेज स्तरीय शिक्षा में पर्याप्त शैक्षिक एवं भौतिक आधारभूत संरचना का अभाव है।

हमें यह समझना होगा कि कॉलेज एवं विश्वविद्यालय स्तर पर गुणवत्ता आधारित शिक्षा गुणवत्ता को प्रोत्साहित एवं पल्लवित करती है। कुछ उच्च स्तरीय विशेषज्ञता वाले संस्थानों के लिये विश्वविद्यालय एवं कॉलेज संग्रहण क्षेत्र की भूमिका निभाते हैं। यदि हम विश्वविद्यालय एवं कॉलेज स्तरीय शिक्षा की गुणवत्ता को नज़रअंदाज करते हैं तो इसका सीधा असर शैक्षिक संस्थानों की श्रेष्ठता पर पड़ता है। इस लिहाज से विशेषज्ञता वाले संस्थानों की श्रेष्ठता की क्षमता कॉलेज/विश्वविद्यालय स्तरीय शिक्षा की गुणवत्ता एवं शक्ति पर निर्भर करती है, जिसे सुधारने की आवश्यकता है। यदि हम वर्तमान प्रमाणों के आधार पर बात करें तो बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय एनएएसी के मानकों की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। इसलिये इन संस्थानों के भौतिक एवं शैक्षिक आधारभूत संरचना में तत्काल सुधार की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, 'कॉलेजों एवं राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों का पुनरुत्थान' समय की मांग है। ❑

(लेखक नयी दिल्ली स्थित
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष हैं)

# प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता

## एक सम्पूर्ण वार्षिक संदर्भ ग्रंथ के साथ

- राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं का विश्लेषण,
- खेल समाचार,
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी,
- उद्योग व्यापार,
- विशिष्ट व्यक्तियों, पुरस्कारों एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी उपयोगी सामग्री

संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के साथ-साथ अन्य सभी परीक्षाओं के लिए भी विशेष उपयोगी

## टॉपर्स की नजर में...

...'प्रतियोगिता दर्पण ईयर बुक' काफी अच्छी है. प्रारम्भिक परीक्षा में यह प्रत्याशियों के लिए बेहद लाभदायक है। इसे अंग्रेजी में भी प्रकाशित करें। —सुश्री मोना प्रूथी
*सिविल सेवा परीक्षा, 2005 में प्रथम स्थान*

....तैयारी के अन्तिम चरण में मैंने 'प्रतियोगिता दर्पण वार्षिकी' को पढ़ा है. यह लगभग प्रत्येक विषय पर 'One Stop' सूचना प्रदान करती है। —रन्धीर कुमार
*सिविल सेवा परीक्षा, 2005 में तृतीय स्थान*

...'प्रतियोगिता दर्पण वार्षिकी' यह बहुत संक्षिप्त एवं ज्ञानवर्धक सामग्री से परिपूर्ण है. यह प्रतियोगियों के लिए अत्यन्त लाभप्रद सिद्ध हो रही है। —जुहैर बिन सगीर
*सिविल सेवा परीक्षा, 2005 में पाँचवाँ स्थान*

...'प्रतियोगिता दर्पण वार्षिकी' एक अच्छी और उपयोगी पुस्तक है. सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए यह पुस्तक एक वरदान की तरह है, क्योंकि इसमें समस्त विषयों की सामग्री एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाती है. मुझे स्वयं इससे बहुत मदद मिली और कई प्रश्नों को मैं इसी के कारण लिख सकी. —ऋचा अग्रवाल
*उ.प्र. पी.सी.एस. परीक्षा, 2004 में प्रथम स्थान*

...'प्रतियोगिता दर्पण वार्षिकी' प्रकाशन, समय, आकार और अध्ययन सामग्री सभी मानदण्डों पर सर्वथा खरी उतरी है. महत्वपूर्ण तथ्यों का विश्वसनीय संग्रह निस्संदेह अत्यंत लाभदायक है. —श्रीमन् शुक्ला
*सिविल सेवा परीक्षा, 2005 में 80वाँ स्थान*

**ENGLISH EDITION IS ALSO AVAILABLE**

**प्रतियोगिता दर्पण** 2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा–282 002 फोन : 2530966, 2531101, 3208693/94
Fax : (0562) 2531940 E-mail : info@pratiyogitadarpan.org
To purchase online log on to www.pratiyogitadarpan.org

YH/5/7/12

# सामाजिक क्षेत्र : चुनौतियां तथा कार्यनीतियां

○ शशांक भिड़े

इस बारे में पहले की तुलना में आशा कहीं ज्यादा बढ़ चली है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में निकट भविष्य में तथा उससे आगे मध्यावधि में उल्लेखनीय प्रगति होगी तथा आबादी का काफी बड़ा हिस्सा खुशहाल होगा और ग़रीबी तथा बदहाली में तेज़ी से कमी आएगी। पिछले तीन वर्ष में प्रतिव्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद का औसत 6 प्रतिशत से ज्यादा रहा है। आर्थिक विकास में तेज़ी से उन कार्यक्रमों के लिये और ज्यादा संसाधन जुटाने की संभावना बनी है जो लोगों, खासकर पिछड़े क्षेत्रों और ग़रीबों के जीवनस्तर में सुधार ला सकते हैं। आज प्रतिव्यक्ति औसत आय 56 साल पहले प्रतिव्यक्ति औसत आय की तुलना में तीन गुना है। 1990 के दशक की शुरुआत में जिन आर्थिक सुधारों की नींव रखी गई थी, उनसे विकास तथा विश्व अर्थव्यवस्था के साथ देश की अर्थव्यवस्था के जुड़ने के नये अवसर पैदा हुए हैं। लेकिन आर्थिक विकास के फायदे देश के सभी वर्गों को मिले, इसके लिये गहन प्रयासों की ज़रूरत है।

औसत आय स्तर में वृद्धि और ग़रीबी में कमी मात्र से ही यह सुनिश्चित नहीं होता कि लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। लोगों, क्षेत्रों और समुदायों के बीच आय में काफी अंतर है। ग़रीबी का मतलब है कि इन लोगों की आय अत्यंत कम है और ये लोग केवल दो वक़्त का खाना जुटा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, इस आय स्तर पर यानी थोड़े कम ग़रीब भी अपने बच्चों के लिये स्वास्थ्य तथा शिक्षा जैसी न्यूनतम सेवाएं नहीं जुटा पाते। सभी नागरिकों को ऐसी सेवाएं सुलभ कराने के लिये समाज के प्रयासों की ज़रूरत होगी।

उपलब्ध संसाधनों को अत्यधिक प्रभावी बनाने के लिये संसाधनों और कार्यनीतियों के रूप में प्रयासों की ज़रूरत है। संसाधन वे हैं जिन्हें सरकार जुटाती है, सामाजिक संगठन तथा अंतरराष्ट्रीय दाता उपलब्ध कराते हैं। कार्यनीतियों का संबंध संस्थानों की उन नीतियों से है, जिन्हें संस्थान सेवाओं के प्रावधान के लिये बनाते हैं और कार्यान्वित करते हैं। कार्यनीतियां कार्यक्रमों को कुशल और प्रभावी बनाती हैं। कार्यनीतियां कार्यक्रमों को टिकाऊ बनाती हैं।

ग़रीबों को ये सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये सामाजिक क्षेत्र में कार्यक्रम बनाने और इन्हें लागू करने का भारत को अच्छा अनुभव है। सरकार ने सामाजिक क्षेत्र को काफी संसाधन उपलब्ध कराए हैं और ये बढ़ते जा रहे हैं। केंद्र और राज्य का सामाजिक क्षेत्र में संयुक्त ख़र्च सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में लगभग 6 प्रतिशत है, जो सरकार के कुल ख़र्च का लगभग 22 प्रतिशत बैठता है। ये प्रयास और कार्यनीतियां कौन-सी हैं, चुनौतियां कौन-सी हैं और इनके क्या प्रभाव पड़ते हैं तथा भावी दिशा क्या होगी? इस लेख में हमने इन्हीं कुछ मुद्दों पर विचार किया है।

### प्रगति तथा लक्ष्य

कृषि, उद्योग तथा भौतिक बुनियादी ढांचे जैसे 'आर्थिक क्षेत्र' से अंतर स्पष्ट करने के लिये स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, समाज कल्याण जैसे विषयों को अब 'सामाजिक क्षेत्र' के रूप में अलग से स्वीकार किया गया है। 1980 के दशक के आखिरी वर्षों से केंद्र सरकार ने हर वर्ष बजट से पहले तैयार कराए गए आर्थिक सर्वेक्षणों में मानव संसाधनों की समीक्षा को शामिल किया था और 1990 के दशक की शुरुआत में हर वर्ष 'सामाजिक क्षेत्रों' की समीक्षा की परंपरा शुरू हुई। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष मानव विकास सूचकांक में प्रतिव्यक्ति आय के अलावा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्धियों पर भी विचार किया जाता है। इस मानव विकास सूचकांक में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि आर्थिक विकास प्रतिव्यक्ति आय की ऊंची दर या औद्योगीकरण नहीं है, बल्कि आर्थिक विकास एक व्यापक दायरा है। महिला-पुरुष विकास सूचकांक समाज के समतामूलक विकास के एक और आयाम की ओर ध्यान आकर्षित करता है।

इसका एक परिणाम यह निकला है कि सामाजिक क्षेत्रों को आपस में परस्पर जोड़कर समग्र रूप में देखा जाए और साथ ही सार्वजनिक नीतियों में सामाजिक क्षेत्रों तथा आर्थिक विकास के बीच संबंधों पर स्पष्ट ध्यान दिया जाए।

### सभी नागरिकों को साक्षरता

प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और आवास जैसी न्यूनतम बुनियादी सेवाएं समाज के विशिष्ट प्रयासों के जरिये ही प्रभावी तौर पर सुलभ कराई जा सकती हैं। सामाजिक क्षेत्रों के वास्ते सार्वजनिक नीतियों में महत्वपूर्ण मुद्दा यह सुनिश्चित करना है कि ये बुनियादी सेवाएं समाज के सभी वर्गों को उपलब्ध हों और साथ ही ये सेवाएं कुछ निश्चित गुणवत्ता मानकों को भी पूरा करती हों। यदि यह सेवाएं बाज़ारी ताक़तों के भरोसे छोड़ दी जाएं तो न्यूनतम आय वाले लोगों की इन सेवाओं तक पहुंच

IAS/PCS

# दृष्टि The Vision

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को समर्पित हिन्दी माध्यम का प्रतिबद्ध संस्थान

## दर्शनशास्त्र

द्वारा

**डॉ. विकास एवं प्रो. डी.एन. द्विवेदी**

*दृष्टि वह संस्था है जिसने 7 वर्ष पूर्व दिल्ली केंद्र में पहली बार दर्शनशास्त्र के अध्यापन की नींव रखी। श्रेष्ठ गुणवत्ता तथा कठोर परिश्रम का ही परिणाम है कि दर्शनशास्त्र के साथ सफल अधिकांश टॉपर्स तो यहाँ से सम्बद्ध रहे ही हैं, अंको का सर्वोच्च स्तर भी यहीं के अभ्यर्थियों ने छुआ है।*

दयानिधान पांडेय (396 अंक)

राजेश प्रधान (382 अंक)

बलदेव पुरुषार्थ (379 अंक)

वंदना प्रेयशी (365 अंक)

मनु चौरसिया (364 अंक)

राजीव कुमार (361 अंक)

## हिन्दी साहित्य

द्वारा

**डॉ. विकास**

*स्थापित विशेषज्ञता, वैज्ञानिक अध्यापन शैली, स्वस्थ संवाद प्रक्रिया, सटीक अध्ययन सामग्री, समयबद्ध कार्यक्रम तथा उत्तर–लेखन प्रविधि पर अत्यधिक बल जिसके कारण दृष्टि और हिन्दी साहित्य पर्यायवाची माने जाते हैं। हिंदी साहित्य के साथ सफल अधिकांश टॉपर्स न केवल यहीं से सम्बद्ध रहे हैं, सर्वाधिक अंक भी यहीं के अभ्यर्थियों ने प्राप्त किए हैं।*

ब्रजेश संत (397 अंक)

आनंद सोमानी (379 अंक)

नीतू कु. प्रसाद (364 अंक)

पुष्पेन्द्र कुमार (361 अंक)

ललित शाक्यवार (357 अंक)

अभिषेक श्रीवास्तव (351 अंक)

## सामान्य अध्ययन

द्वारा

**श्री शरद त्रिपाठी एवं अन्य**

*पूर्णतः सुनियोजित तथा समयबद्ध कार्यक्रम, सभी खंडों पर आनुपातिक बल, प्रत्येक रविवार समसामयिकी हेतु विशेष कक्षा, विस्तृत मानचित्र अभ्यास, उत्तर–लेखन शैली पर विशेष बल।*

## ग्रीष्मकालीन सत्र आरंभः

## प्रारंभिक परीक्षा के तुरंत बाद

## (मई–जून माह में)

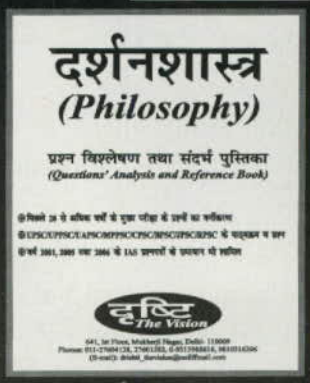


### 'दर्शनशास्त्र' विषय के अभ्यर्थियों के लिए विशेष सूचनाः

*दृष्टि (The Vision) ने दर्शनशास्त्र विषय पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक "दर्शनशास्त्रः प्रश्न विश्लेषण तथा संदर्भ पुस्तिका" के नाम से तैयार की है जिसमें पिछले 20 से अधिक वर्षों के मुख्य परीक्षा के प्रश्नों का वर्गीकरण एवं संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखण्ड एवं राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग के पाठ्यक्रम एवं प्रश्नों को शामिल किया गया है। अभ्यर्थियों की उत्तर–लेखन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक में विगत वर्षों (2001, 2005 तथा 2006) के संघ लोक सेवा आयोग (I.A.S.) के प्रश्नपत्रों के समाधान भी शामिल किए गए हैं। दर्शनशास्त्र के किसी भी अभ्यर्थी के लिए यह अत्यन्त सहायक संदर्भ ग्रंथ है। इसे डाक द्वारा मंगाने के लिए "Drishti-The Vision" के नाम से 120/–रु. मात्र का डिमांड ड्राफ्ट भेजें या पुस्तक वितरकों से संपर्क करें।*

इस पुस्तक के स्थानीय वितरकः

*दिल्लीः जवाहर बुक डिपो (बेर सराय मार्केट, जे.एन.यू.), फोनः 0–9811347103. नवशक्ति पुस्तक भंडार (मुखर्जी नगर), फोनः 011–27650144.*
*इलाहाबादः जायसवाल बुक डिपो (पुराना कटरा), फोनः 0532–2461524 जयपुरः गर्ग बुक डिपो (बरकत नगर, टोंक फाटक) फोनः 0141–2595526.*

### पत्राचार पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन (प्रा.,मु.), राजनीति विज्ञान (प्रा.,मु.), समाजशास्त्र (प्रा.), दर्शनशास्त्र (मु.) हिन्दी साहित्य (मु.), तथा **Philosophy (Engl. Med.)**

641, प्रथम तल, डॉ० मुखर्जी नगर, दिल्ली-9. फोन : 27604128, 27601583, 9313988616, 9810316396-ई-मेल : drishti_thevision@rediffmail.com

YH/5/7/6

आसान नहीं रह जाएगी। यही वे सेवाएं हैं जिनमें ग़रीब परिवारों को अपना उत्पादकता स्तर बढ़ाने और आय क्षमता सुधारने में मदद मिल सकती है। भारत जैसे विशाल देश के लिये यह एक महती कार्य है और इस कार्य के लिये संसाधनों का पता लगाना और उपलब्ध संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल करना सार्वजनिक नीति के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं।

सामाजिक क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों के बीच अंतर स्पष्ट करने वाली एक स्पष्ट विशेषता सामाजिक सेवाओं के प्रावधान में राज्य का वर्चस्व है। नौंवीं पंचवर्षीय योजना में एक समयबद्ध कार्यक्रम की परिकल्पना की गई थी। इसके द्वारा न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच सुलभ कराने का प्रयास किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में एक कदम और आगे बढ़ाया गया तथा सामाजिक विकास संकेतकों के लिये 'निगरानी योग्य लक्ष्य' तय किए गए। ये लक्ष्य मात्रात्मक रूप में थे और इसमें ग़रीबी में कमी लाना, उच्च स्तर के रोज़गार का प्रावधान, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण, जनसंख्या वृद्धिदर में कमी लाना, वन तथा वनाच्छादन क्षेत्र का विस्तार, पेयजल सुलभ कराना तथा प्रदूषित नदियों की सफ़ाई जैसे आकलन योग्य लक्ष्य शामिल किए गए।

भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र के सहस्राब्दि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये कटिबद्ध है और राष्ट्रीय लक्ष्य इन कटिबद्धताओं के परिचायक भी हैं।

योजना आयोग ने दसवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा कराई है, जिसमें बताया गया है कि योजना लक्ष्यों को प्राप्त करने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। लेकिन जहां तक सहस्राब्दि लक्ष्यों को 2015 तक हासिल करने का संबंध है, 12 संकेतकों में से केवल चार संकेतकों में सही दिशा में प्रगति हो रही है। इसलिये, लक्ष्य अभी भी श्रमसाध्य बने हुए हैं और सभी नागरिकों के बेहतर जीवनस्तर के लिये ज़रूरी बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराने का कार्य इस धीमी प्रगति से पूरा नहीं हो पाएगा। हालांकि, पिछले कुछ समय में सामाजिक क्षेत्रों में अच्छी प्रगति हुई है। लेकिन, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत अभी भी पीछे है। मानव संसाधन विकास सूचकांक (एचडीआई) और महिला-पुरुष विकास (जीडीआई) के मामले में भारत अभी भी पिछड़ रहा है। एचडीआई के मामले में, 177 देशों में भारत का स्थान वर्ष 2004 में 127वां था और जीडीआई में 96वां था। जबकि उसी वर्ष चीन का स्थान क्रमश: 81वां और 96वां था। श्रीलंका का स्थान वर्ष 2004 में 68वां और वर्ष 2000 में 70वां था। हालांकि भारत के जीडीआई में वर्ष 2000 के मुक़ाबले वर्ष 2004 में सुधार आ गया लेकिन एचडीआई में 124 से गिर कर 126 हो गया।

पिछले वर्षों में हुई प्रगति पर नज़र डाली जाए तो यह पता लगता है कि भारत ने सामाजिक विकास के कई संकेतकों में निरंतर प्रगति की है। ग़रीबी की संख्या में कमी आई है, आबादी में साक्षरता की दर में सुधार हुआ है, प्रसव के दौरान मृत्युदर में कमी आई है, शिशु मृत्युदर, मातृ मृत्युदर में गिरावट आई है लेकिन ये सब उपलब्धियां इस बात का संकेत नहीं हैं कि हम कई अन्य देशों के समकक्ष आ गए हैं, चुनौतियां अभी भी श्रमसाध्य हैं।

केंद्र और राज्यों को मिला कर सरकारी स्तर पर क्षेत्रों पर अब सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 6 प्रतिशत खर्च किया जा रहा है, जो कुल सरकारी खर्च का लगभग 20 प्रतिशत है। इस प्रकार, सामाजिक क्षेत्रों पर कुल सरकारी ख़र्च का एक बड़ा हिस्सा व्यय किया जा रहा है। सामाजिक क्षेत्रों में शिक्षा पर सरकारी ख़र्च का 47 प्रतिशत, स्वास्थ्य पर 23 प्रतिशत और शेष 30 प्रतिशत आवास जैसे अन्य सामाजिक क्षेत्रों में व्यय किया जा रहा है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोणपत्र में अगले पांच वर्षों में 'समावेशी विकास' की ज़रूरत पर बल दिया गया है। पिछले कुछ वर्षों से स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जा

**तालिका**

**सामाजिक क्षेत्रों में प्रगति के संकेतक**

| संकेतक | इकाइयां | विगत वर्ष | स्तर | हाल के वर्ष | स्तर |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रति व्यक्ति सघउ | रुपये (1993-94 के मूल्य पर) | 1990-91 | 7321 | 2003-04 | 11799 |
| ग़रीबी का प्रभाव | जनसंख्या का प्रतिशत | 1993-94 | 36 | 2004-05 | 27.8 |
| पुरुष साक्षरता दर (> 7 वर्ष) | प्रतिशत | 1991 | 64.1 | 2001 | 75.3 |
| महिला साक्षरता दर (> 7 वर्ष) | प्रतिशत | 1991 | 39.3 | 2001 | 53.7 |
| महिला-पुरुष अनुपात | महिलाएं (प्रति 1000 पुरुष पर) | 1991 | 927 | 2001 | 933 |
| शिशु मृत्युदर | प्रति 1000 जीवित प्रसव पर | 1990 | 80 | 2004 | 62 |

स्रोत: ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2006) का दृष्टिकोणपत्र और आर्थिक सर्वेक्षण 2006-07

रहा है कि सारी आबादी को न्यूनतम बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये संस्थानों और कार्यक्रमों के विस्तार के जरिये सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। सेवा प्रदायगी प्रणालियों में सहभागितापूर्ण व्यवस्था, कुछ सेवा लागतों की वसूली और विकेंद्रीकरण को धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है। इस बात को भी अब और ज्यादा स्वीकार किया जा रहा है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास जैसी बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं की अदायगी में निजी क्षेत्रों की सहभागिता संसाधनों की कमी को पूरा कर सकती है तथा व्यवस्था में और ज्यादा पारदर्शिता ला सकती है।

हालांकि, समावेशी विकास का विचार कोई नया विचार नहीं है, लेकिन इस समय इस पर फिर से ध्यान देना अवश्य महत्वपूर्ण है।

**परिवर्तन और कार्यनीतियां**

विशाल अर्थव्यवस्था, जनसंख्या और भूभाग, सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिये चुनौतियां और अवसर दोनों ही है। लक्ष्यों और मौजूदा परिस्थितियों के बीच के अंतर को पाटना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। संकेतकों का निरंतर कम स्तर पर बने रहना कम विकास का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। इस निरंतरता के कुछ जटिल कारक हैं। निम्न विकास के दुष्चक्र को तोड़ने के हालात पैदा करने वाले उपाय केवल अस्थायी राहत पहुंचाने के उपायों से ही अलग हो सकते हैं।

लक्ष्य तथा कार्यनीतियां स्थिर नहीं रह सकतीं। उदाहरण के लिये, विश्व अर्थव्यवस्थाओं के परस्पर और ज्यादा जुड़ने से नयी चुनौतियां पैदा होती हैं। हाल में बर्ड फ्लू के मामले में संचारी बीमारियों का एक देश से दूसरे देश में फैलने का ख़तरा सामने आया था। एड्स/एचआईवी की भयावहता पर नियंत्रण पाना एक नयी चुनौती है। बाज़ार के बदलते हालातों के जवाब में आर्थिक क्षेत्रों के मंथन को निरंतर अद्यतन कौशल, शिक्षण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता है। सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी में तीव्र विकास इस मंथन का एक उदाहरण है। यह क्षेत्र तेज़ी से प्रगति कर रहा है और यह ज़रूरी है कि इस क्षेत्र के लिये कुशल मानव संसाधन निर्माण किया जाए। हमने यह भी देखा है कि सामाजिक क्षेत्रों का दायरा भी तेज़ी से बढ़ रहा है। संयुक्त पारिवारिक ढांचा टूट कर एकल परिवारों में तब्दील हो रहा है। ऐसे हालातों में वृद्धजनों की देखभाल, बीमारी के जोखिम को बांटने और स्वास्थ्य देखभाल पर ख़र्च को कम करने के लिये ग़रीबों के वास्ते स्वास्थ्य बीमा सुविधा, पर्यावरण पर आबादी और आर्थिक गतिविधियों के बढ़ते दबाव के चलते पेयजल तथा स्वच्छता की गुणवत्ता में सुधार जैसी ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं।

सभी तबकों के जीवनस्तर में सुधार के लिये बनाई जाने वाली कार्यनीतियों में इन चुनौतियों को ध्यान में रखना होगा। इन कार्यनीतियों के तत्वों में इन्हें शामिल किया जा सकता है : (क) कार्यक्रमों की प्रभावशीलता में सुधार के लिये मदद पहुंचाने वाले डिजाइन संस्थान, (ख) विनियामक ढांचे की स्थापना ताकि सेवा प्रावधान में निजी क्षेत्र को भी शामिल किया जा सके, (ग) प्रौद्योगिकी दोहन, (घ) लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये संसाधन जुटाना और (च) अनुपूरक व्यवस्थाओं की स्थापना और आर्थिक नीतियों तथा सामाजिक क्षेत्र की नीतियों के बीच तालमेल।

यह सामान्य स्तर की कार्यनीतियां हैं। भारत ने कई संस्थागत अभिनव प्रयोग किए हैं। संस्थाओं की रूपरेखा के मामले में, नियोजन से लेकर कार्यान्वयन स्तर तक। विकासात्मक गतिविधियों का विकेंद्रीकरण एक महत्वपूर्ण संस्थागत अभिनव परिवर्तन है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना ने विकासात्मक प्रयासों, खासकर सामाजिक क्षेत्र में विकासात्मक प्रयासों को एक नया आयाम दिया है। पंचायती राज संस्थाओं को सामाजिक क्षेत्र की कई बुनियादी सेवाएं प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है। विकेंद्रीकरण से सेवा प्रदाता की स्थानीय समुदाय के प्रति जिम्मेदारी बढ़ सकती है। विकेंद्रीकरण से ऐसे समाधान तलाशने में भी मदद मिल सकती है जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप हों। इसलिये स्थानीय प्रशासनिक निकायों को सामाजिक क्षेत्र की बुनियादी सेवाएं प्रदान करने संबंधी ज्यादा अधिकार सौंपने से सेवाओं का प्रभाव बढ़ाया जा सकता है और व्यवस्था की कुशलता में सुधार लाया जा सकता है।

संसाधनों तक पहुंच सुलभ कराए बिना दायित्वों का विकेंद्रीकरण प्रभावी नहीं होगा। स्थानीय स्तर पर अधिकारों का हस्तांतरण न करना कार्यनीति की एक कमज़ोरी होती है। इससे स्थानीय स्तर पर इन दायित्वों के निर्वहन में स्थानीय निकाय अक्षम हो जाते हैं। इन क्षमताओं के निर्माण कि लिये संसाधन सौंपना ज़रूरी है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार प्रौद्योगिकी में प्रगति से शासन का विकेंद्रीकरण और ज्यादा आसान हो गया है।

हाल के वर्षों पर दृष्टि डालने से पता लगता है कि सरकार ने सामाजिक क्षेत्रों में ज्यादा निवेश किया है। आर्थिक वृद्धि से सरकार की आय बढ़ी है और साथ ही सरकार सामाजिक क्षेत्र को पहले की तुलना में ज्यादा प्राथमिकता दे रही है। इसीलिये इस क्षेत्र में सरकार का आवंटन ख़र्च बढ़ा है। उपकर तथा सेवाकर के द्वारा भी अतिरिक्त संसाधन जुटाए जा रहे हैं। उदाहरण के लिये कुल कर भुगतान का दो प्रतिशत शिक्षा उपकर लिया जा रहा है। वर्ष 2007-08 के केंद्रीय बजट में माध्यमिक शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों के लिये कुल कर भुगतान का प्रस्ताव किया गया है। सरकारी संसाधनों के अलावा, बुनियादी ढांचे की तरह सामाजिक क्षेत्रों में भी सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) की संभावनाएं हैं। सामाजिक क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं की मांग है इसलिये निजी क्षेत्र के लिये भी यहां अवसर मौजूद हैं। जैसा कि हमने आगे बताया है, गुणवत्ता मानकों, सेवा बाध्यताओं और बाज़ार प्रतिस्पर्धा के पर्याप्त विनियमन के जरिये निजी-सार्वजनिक भागीदारी सामाजिक क्षेत्रों के लिये उपलब्ध संसाधनों में वृद्धि कर सकती है। प्रतिस्पर्धी

## सिंचाई की कार्ययोजना

- 14 लाख हेक्टेयर प्रतिवर्ष के स्थान पर 25 लाख हेक्टेयर प्रतिवर्ष का विस्तार।
- राज्यों को अपना योजना परिव्यय बढ़ाना चाहिए। केंद्र विस्तारित एआईवीपी के माध्यम से सहायता कर सकता है।
- भागीदारी सिंचाई प्रबंधन (पीआईएम) से क्षमता की उपयोगिता में वृद्धि की जा सकती है। जल उपभोक्ता संगठनों (डब्ल्यूयूएज़) को जल प्रभार की उगाही करने और उसका कुछ अंश सार-संभाल के लिये ख़र्च करने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- इस समय सिंचित क्षेत्र के कुल 20 प्रतिशत रक़बे में ही जल उपभोक्ता संगठन कार्यरत हैं। केवल ग्यारह राज्यों (आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, बिहार, महाराष्ट्र और असम) ने ही पीआईएम अधिनियम के लिये कानून बनाए हैं।
- भूजल के अत्यधिक दोहन से भूजल स्तर में गिरावट आई है। सस्ती अथवा मुफ़्त बिजली से समस्या और भी जटिल हो गई है। समस्या के संभावित हल के लिये एक विशेषज्ञ समूह कार्यरत है।

## वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों हेतु कार्ययोजना

- कृषि योग्य क्षेत्र का दो तिहाई हिस्सा वर्षा पर निर्भर है। सिंचाई क्षमता के अधिकतम उपयोग के बावजूद 60 प्रतिशत क्षेत्र वर्षा पर ही निर्भर रहेगा।
- प्रभावी जल प्रबंधन हेतु एक कार्ययोजना की आवश्यकता है। बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाओं की तुलना में इस ओर कम ध्यान दिया गया है।
- जलाभाव वाली स्थितियों के अनुकूल कृषि प्रणाली को जलीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के साथ-साथ चलाए जाने से उत्पादकता और कृषि आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।
- राष्ट्रीय वर्षा-निर्भर क्षेत्र प्राधिकरण (नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी) जलीय क्षेत्र प्रबंधक कार्यक्रमों को तैयार करने में महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी देगा। इसमें लोगों की भागीदारी आवश्यक है।

वातावरण में निजी क्षेत्र की उपस्थिति इस क्षेत्र के लिये जुटाए गए संसाधनों की कुशलता बढ़ाएगी।

सामाजिक क्षेत्र के लिये विनियामक ढांचे में सेवाओं के गुणवत्ता मानकों और प्रक्रिया के मानकों को विनिर्दिष्ट करना होगा। मानकों के गठन से निजी क्षेत्र के संगठनों के लिये सेवा प्रदायगी के अवसर पैदा होते हैं। उदाहरण के लिये यह ज़रूरी नहीं कि पेयजल आपूर्ति और साफ़-सफ़ाई जैसे कार्य सरकारी विभागों तक ही सीमित रहें। यदि कारोबारी अवसर मौजूद हैं तो सेवाओं तथा साथ ही सार्वभौमिक सेवा बाध्यता जैसे सेवा बाध्यताओं के विनियमन से इन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के प्रवेश में मदद मिलेगी।

प्रौद्योगिकी अभिनव परिवर्तनों से व्यापक स्तर पर सूचना का प्रसार करना सरल और सस्ता हो गया है। इन अभिनव परिवर्तनों से कर्मियों को प्रशिक्षण तथा विभिन्न स्तरों पर सूचना के आदान-प्रदान में मदद मिलेगी। इससे भौगोलिक रूप से दूरदराज के स्थानों में सेवाओं का संचालन किफायती बनाया जा सकता है।

आर्थिक नीतियों और सामाजिक क्षेत्र की नीतियों में तालमेल से सामाजिक क्षेत्र की नीतियों के प्रभाव में सुधार लाने में मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिये, अर्थव्यवस्था के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और ज्यादा जुड़ने से उत्पादन और व्यापार के नये अवसर उपलब्ध होते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं जैसे क्षेत्रों को विदेशी पूंजी और सेवा निर्यात के लिये खोलने से इस क्षेत्र का विकास होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सेवा क्षेत्र के कुछ संसाधनों का इस्तेमाल विदेशी मांग को पूरा करने के लिये किया जाए। लेकिन तब यह सुनिश्चित करना होगा कि इसका विपरीत प्रभाव न पड़े। ऐसे विनियम बनाए जा सकते हैं जो कारोबारी मांग को पूरा करने के साथ-साथ स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये सार्वभौमिक सेवा को अनिवार्य बनाएं।

**उपसंहार**

आर्थिक विकास और सामाजिक समानता भारत में आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया के स्पष्ट लक्ष्य रहे हैं। हालांकि समय-समय पर प्राथमिकताएं बदलती रही हैं, लेकिन इन जुड़वां लक्ष्यों ने हमेशा नीतियों और कार्यक्रमों का मार्गनिर्देशन किया है। चाहे रोज़गार गारंटी योजना हो, आवास योजना हो या स्वास्थ्य मिशन हो, लक्ष्य हमेशा यही रहा है कि सभी नागरिकों की कम से कम आय इतनी अवश्य हो कि न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं उनकी पहुंच में रहें। न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं तक सभी की पहुंच सुलभ कराना, संसाधनों की कमी को देखते हुए एक चुनौती रहा है। लेकिन अब इतनी प्रगति तथा संस्थागत अभिनव परिवर्तन हो चुके हैं कि और अधिक क्षेत्रों और आबादी को शामिल करने के लिये मौजूदा संसाधनों की क्षमता और दायरा बढ़ाया जा सकता है। आर्थिक प्रगति से सामाजिक क्षेत्रों में और ज्यादा संसाधन तलाशने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। मौजूदा केंद्रीय बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिये किए गए प्रावधान इस क्षमता के सबूत हैं। लेकिन अब अदायगी प्रणाली को और ज्यादा प्रभावी बनाने तथा बढ़े हुए संसाधनों के कुशल इस्तेमाल पर ज्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत है। ❑

**(लेखक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाएड इकोनॉमिकल रिसर्च, नयी दिल्ली में वरिष्ठ शोध सलाहकार हैं)**

## प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 150 वर्ष

# 1857 : विद्रोह का कालचक्र

**25 फरवरी, 1857**

कई महीनों के बढ़ते तनाव के बाद बेरहामपुर में 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री (बीएनआई) ने नयी एनफील्ड गोलियों का इस्तेमाल करने से इनकार किया। परेड ग्राउंड में हथियारबंद समूह के साथ एक इन्फेंट्री कर्नल का सामना हुआ। उसने अगली सुबह की परेड रद्द कर दी।

**29 मार्च,1857**

34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बॉग को तलवार और गोली से हमला करके घायल किया। जनरल जॉन हर्से ने

अपने सैनिकों को मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का आदेश दिया पर केवल शेख पलटू नामक सैनिक को छोड़कर शेष सभी सैनिकों ने उसका आदेश मानने से इनकार कर दिया। हालांकि पांडे ने जल्द ही यह महसूस कर लिया कि वह अपने साथियों को खुले विद्रोह के लिये प्रेरित कर पाने में विफल रहे हैं और उन्होंने अपने मस्केट को अपनी छाती से लगाकर तथा पैर के अंगूठे से ट्रिगर दबाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इस कोशिश में वह केवल घायल होकर रह गए।

**8 अप्रैल, 1857**

6 अप्रैल को मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल किया गया और दो दिन बाद उन्हें फांसी दे दी गई। पूरे रेजिमेंट के सैनिकों की वर्दी उतार ली

गई। किंतु शेख पलटू को बंगाल आर्मी में जमादार के दर्ज़े में प्रोन्नत कर दिया गया। जल्द ही विद्रोह फैल कर आगरा, इलाहाबाद और अंबाला तक पहुंच गया।

**9 मई, 1857**

मेरठ में तीसरी बंगाल लाईट कैवेलरी के 85 सैनिकों ने गोलियों के इस्तेमाल से इनकार कर दिया। उन सबको जेल में बंद कर दिया गया और उनमें से अधिकांश को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी गई तथा सार्वजनिक रूप से उनकी वर्दी उतारी गई।

**10 मई, 1857**

बंगाल आर्मी की 11वीं और 20वीं नेटिव कैवेलरी ने अपने कमांडिंग अफ़सर को 85 कैदियों को छोड़ने के लिये बाध्य किया। उन्होंने ब्रिटिश कैंट पर भी हमला किया।

**11 मई, 1857**

विद्रोहियों ने दिल्ली के लिये प्रस्थान किया। मेरठ में ब्रिटिश सैनिकों ने बढ़ते विद्रोह पर अपनी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं की और विद्रोह

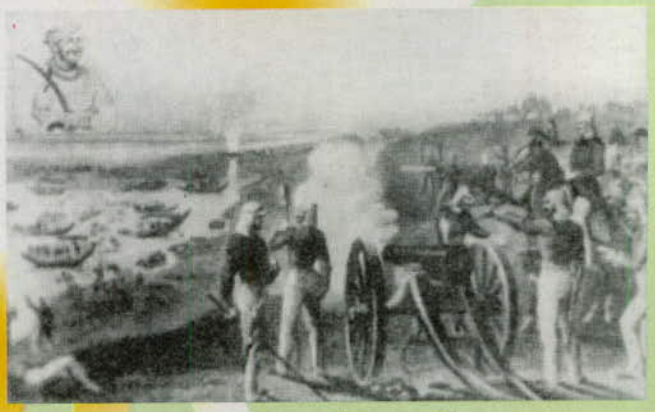

को दबाने के लिये कोई अतिरिक्त सैनिक नहीं भेजा।

**19 मई से 28 जून, 1857**

मुरादाबाद, लखनऊ, बरेली, शाहजहांपुर, आजमगढ़, सीतापुर, बनारस, कानपुर और फैजाबाद सहित उत्तर भारत के कई अन्य भागों में विद्रोह फैल गया। 6 जून को नाना साहब ने कानपुर पर अपने नियंत्रण की शुरुआत की जो बाद में 27 जून को यूरोपीय लोगों के नरसंहार के साथ समाप्त हुआ।

**14 सितंबर, 1857**

ब्रिटिश सैनिकों ने दिल्ली में कश्मीरी गेट से कोहराम मचा दिया और एक सप्ताह तक जारी युद्ध के बाद दिल्ली पर फिर से कब्ज़ा कर लिया। जब अंग्रेज लाल किले पर पहुंचे तब तक बहादुरशाह जफ़र वहां से भागकर हुमायूं के मक़बरे तक पहुंच चुके थे। उन्हें बंदी बना

लिया गया और इसके साथ ही 388 वर्ष बाद मुगल साम्राज्य का अंत हो गया।

**25 सितंबर, 1857**

सर हेनरी हैवलॉक के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने लखनऊ में बलपूर्वक घुसकर मनमानी की। लंबी लड़ाई के बाद 18 नवंबर तक अंग्रेजों ने

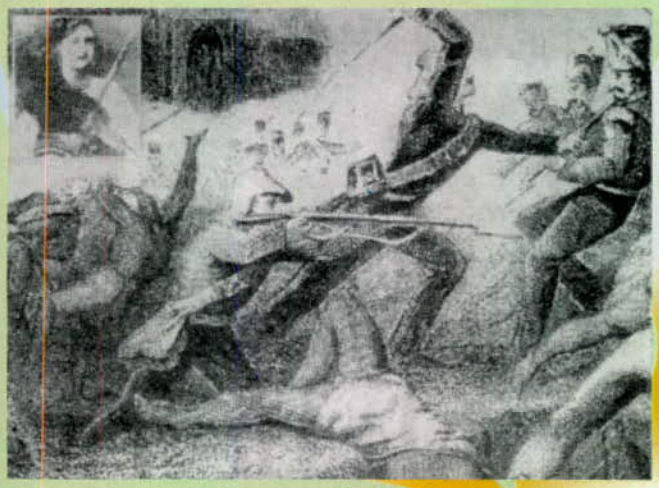

लखनऊ को पूर्ण रूप से अपने कब्ज़े में ले लिया।

**अक्तूबर 1857**

रानी लक्ष्मीबाई ने पड़ोसी दतिया और ओरछा के शासकों की आक्रमणकारी सेना से झांसी को बचाने के लिये अपनी सेना का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया।

**10 दिसंबर, 1857**

कानपुर पर फिर से अंग्रेजों का कब्ज़ा हो गया। चार महीने बाद 21

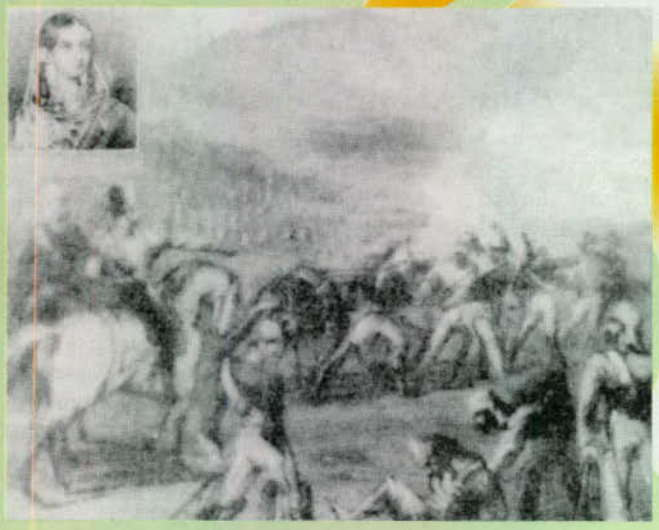

मार्च, 1858 को लखनऊ भी ब्रिटिश सैनिकों के कब्ज़े में आ गया।

**2 अप्रैल, 1858**

झांसी का भी पतन हो गया। दतिया और ओरछा के आक्रमणकारी सैनिकों से झांसी को सफलतापूर्वक बचाने के बाद रानी लक्ष्मीबाई सर हुग रोज के नेतृत्व में सेंट्रल इंडिया फील्ड फोर्स से पराजित हो गईं। झांसी पर कब्ज़े की शुरुआत के बाद रानी वेश बदल कर वहां से निकल गईं।

**1 जून, 1858**

मराठा विद्रोहियों के एक दल की मदद से रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के सहयोगी सिंधिया शासकों के ग्वालियर किले पर कब्ज़ा कर लिया। इसके तीन सप्ताह बाद कालपी में रानी की उस समय मृत्यु हो गई जब अंग्रेज सैनिकों ने हमले की शुरुआत की थी। तीन दिन के बाद अंग्रेजों ने ग्वालियर पर कब्ज़ा कर लिया।

**8 जुलाई, 1858**

एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया गया और अधिकृत तौर पर लड़ाई समाप्त हुई। अंग्रेजों ने मुगल शासकों के द्वारा दिए जाने वाले पुराने दंड को अपनाया और सज़ायाफ़्ता विद्रोहियों को तोप से उड़ा दिया गया।

**2 अगस्त, 1858**

ईस्ट इंडिया बिल को ब्रिटिश राजशाही की स्वीकृति मिल गई। इसके परिणामस्वरूप भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। महारानी की 1858 की घोषणा के द्वारा ब्रिटिश

क्राउन के अधीन सत्ता का हस्तांतरण हो गया। भारतीय मामलों की देखरेख के लिये एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया गया और क्राउन के वायसराय को मुख्य कार्यकारी बना दिया गया।

**7 नवंबर, 1862**

दिल्ली में गठित एक सैन्य आयोग द्वारा बहादुरशाह जफ़र पर विद्रोह भड़काने का मुकदमा चलाया गया। उन्हें निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। अंततः मुगल साम्राज्य का शासन पूर्णरूपेण समाप्त हो गया। 1877 में महारानी विक्टोरिया को उनके प्रधानमंत्री बेंजामिन डिजरायली की सलाह पर इम्प्रेस ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई। ❑

# ग्यारहवीं योजना में महिलाएं

❍ इंदिरा राजारमण

*अर्थव्यवस्था को मज़बूती प्रदान करने वाले सेवा क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की दक्षता की अपेक्षा है। निकट भविष्य में इस क्षेत्र को मानव संसाधन की भारी कमी से बचाने के लिये लड़कियों एवं वंचित तबकों में उपयोगी साक्षरता के व्यापक विकास की ज़रूरत है*

राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के तीसरे चरण के आकलन के मुताबिक 15 से 49 वर्ष की आयु वर्ग की 41 प्रतिशत महिलाएं औपचारिक शिक्षा से वंचित हैं। जबकि, इसी आयु वर्ग के मात्र 18 प्रतिशत पुरुष औपचारिक शिक्षा से महरूम हैं। ग्यारहवीं योजना के दृष्टिकोणपत्र में इस परिदृश्य को बदलने की बात है। यह दस्तावेज़ कहता है, 'यह एक महत्वपूर्ण विभाजन है जो हमें लिंग आधारित समस्याओं पर तत्काल ध्यान देने के लिये बाध्य करता है। समाज को इस विकृति से मुक्त करने के लिये विशेष केंद्रित प्रयास किए जाएंगे और महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक सशक्तीकरण के लिये उपयुक्त माहौल का निर्माण किया जाएगा।" (पैरा 1.7.3)

यह एक स्वागतयोग्य कथन है। हालांकि, पिछली सभी योजनाओं में लैंगिक असमानता के बारे में इसी किस्म की चिंताएं व्यक्त की गई थीं। कुल मिलाकर, भारतीय अर्थव्यवस्था आज विकास के एक अलग पथ पर अग्रसर है। यहां यह याद रखना उपयोगी होगा कि इस विकास दर के कारण अर्थव्यवस्था को शीघ्र ही कौशल-संकट से जूझना होगा। पिछले साल आरक्षण के मुद्दे पर यह तथ्य उभरकर सामने आया था। शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक धन से संचालित सभी शैक्षिक संस्थानों की सीटों में 54 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जांच-पड़ताल के लिये गठित विभिन्न कार्यदलों के मुताबिक सबसे बड़ी समस्या योग्य शिक्षक ढूंढ़ने की होगी। सीटों में बढ़ोतरी के अपेक्षित लक्ष्य को तभी हासिल किया जा सकता है जब शैक्षिक माहौल में आमूल परिवर्तन हो। कई भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी ) ऐसे परिवार की योजना बना रहे हैं जहां क्लासरूम निर्देशों को टेलिविजन मॉनीटरों के जरिये प्रसारित किया जाएगा। लेकिन यह सिर्फ उच्च स्तरीय शिक्षण- कौशल के अभाव का मसला नहीं है।

भारतीय अर्थव्यवस्था को मज़बूती प्रदान करने वाले सेवा क्षेत्र में विविध किस्म की दक्षता की मांग है। यदि लड़कियों एवं अब तक वंचित रही जातियों में उपयोगी साक्षरता के व्यापक विकास पर बल नहीं दिया गया तो निकट भविष्य में इन सभी क्षेत्रों को मानव संसाधन का भारी अभाव झेलना पड़ेगा। जब तक स्कूली बच्चों एवं उनकी माताओं का स्वास्थ्य बेहतर नहीं होगा, वे अपनी शिक्षा के कारगर उपयोग में सफल नहीं होंगे।

इसी तथ्य को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई है। इस मिशन को भी पैरा-मेडिकल एवं नर्सिंग स्टाफों की भारी कमी से जूझना पड़ेगा। दरअसल, साक्षरता आधारित कौशल का अभाव इस योजना के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को बाधित करेगा। लिहाज़ा, अतीत में महिलाओं एवं हाशिये पर रहे अन्य समूहों को मुख्यधारा में लाने के प्रयासों की असफलता से सबक लेना ज़रूरी होगा।

इस दृष्टिकोणपत्र में, प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा बड़े पैमाने पर बीच में ही पढ़ाई छोड़ने का उल्लेख है। बीच में पढ़ाई छोड़ने का राष्ट्रीय औसत वर्ष 2003-2004 के दौरान 31 प्रतिशत था। सर्वशिक्षा अभियान का लक्ष्य वर्ष 2010 तक आठवीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों को सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराना है। सभी प्रकार के करों पर 2 प्रतिशत शिक्षा अधिभार लगाकर इस कार्यक्रम के लिये धन की व्यवस्था की गई है। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के लिये धन की व्यवस्था के लिये वर्ष 2007 के केंद्रीय बजट में एक प्रतिशत का अतिरिक्त अधिभार लगाया गया है। यदि हम स्कूली व्यवस्था में प्रवेश करने वालों छात्रों द्वारा पढ़ाई पूरी किए बगैर स्कूल छोड़ने के मूल कारणों को नहीं समझेंगे तो धन जुटाने की यह सारी कवायद अर्थहीन साबित होगी।

इस दृष्टिकोणपत्र में बीच में पढ़ाई छोड़ने

## ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं की तादाद अधिक

शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं की तादाद अधिक है। यही नहीं, पूरे देश में कामकाजी महिलाओं की तादाद में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए श्रम संबंधी सर्वेक्षण के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में महिला कामगारों की संख्या 29.9 प्रतिशत (1999-2000) से बढ़कर 32.7 प्रतिशत (2004-05) हो गई है।

शहरी महिलाओं के मामले में कामकाजी महिलाओं की संख्या 13.9 प्रतिशत (1999-2000) से बढ़कर 16.6 प्रतिशत (2004-05) हुई है। यानी, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार महिला कामगारों की संख्या में मात्र 2.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

नगालैंड में सबसे अधिक (50.4 प्रतिशत) ग्रामीण महिलाएं कामकाजी हैं। जबकि, मिज़ोरम में शहरी कामकाजी महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है। दिल्ली में मात्र 4.7 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं कामकाजी हैं। महिला कामगारों की सबसे कम संख्या (6.7 प्रतिशत) बिहार में है। ❑

के उच्च दर के संबंध में रोशनी डाली गई है। दयनीय उपस्थिति एवं पोषण पर दोहरा प्रहार करने के लिहाज़ से 'मिड-डे मील' योजना एक बड़ी पहल साबित हुई। इस पत्र में मिड-डे मील योजना को सर्वशिक्षा अभियान में विलय की बात बिल्कुल उचित है। शिक्षकों की गैरहाज़री की समस्या और छात्राओं पर घरेलू कार्यों को निबटाने के दबाव के बारे में भी इस दृष्टिकोणपत्र में चर्चा की गई है। किंतु, इन समस्याओं के प्रति सजगता और समाधान की दिशा में किए गए विभिन्न प्रयासों के बावजूद प्राथमिक शिक्षा में संपूर्ण उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो पाई है।

इस दृष्टिकोणपत्र में प्राथमिक विद्यालयों की दयनीय आधारभूत संरचना के बारे में एनआईईपीए द्वारा किए गए अध्ययन का हवाला देते हुए कहा गया है कि मात्र 28 प्रतिशत विद्यालयों की कक्षाओं में बिजली की व्यवस्था है और सिर्फ आधे में दो से अधिक शिक्षक या कक्षाएं हैं। किंतु, बेहतर आधारभूत संरचना ही छात्राओं को स्कूलों की ओर आकर्षित करने और उन्हें वहां टिकाए रखने के लिये काफी नहीं है जब तक कि उनके माता-पिता को इसमें कुछ फ़ायदा नहीं नज़र आता।

छात्राएं और उनकी माताएं आठ वर्षों तक स्कूलों से तभी जुड़ी रहना चाहेंगी जब उन्हें इसका कोई फायदा समझ में आएगा। एक औसत ग्रामीण छात्रा की मां इस बात से डरती है कि स्कूल की पढ़ाई कहीं उसकी बेटी की सोच को ग्रामीण जीवन का विरोधी न बना दे। ऐसी माताओं के लिये लड़कियों का स्कूल एक अवसर की बजाय ख़तरा बन जाता है। शहरी केंद्रों, जहां लड़कियों को सम्मानित रोज़गार के अवसर दिखाई देते हैं, से सटे ग्रामीण इलाकों की छात्राओं के लिये तो स्कूल एक आर्थिक वरदान है। जबकि, दूरदराज के ग्रामीण छात्राओं के साथ ऐसा नहीं होता है।

आज ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों को ऐसे व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों के साथ जोड़ने की आवश्यकता है जो विशेष रूप से महिलाओं को नर्सिंग जैसे विशिष्ट कार्यों का प्रशिक्षण देते हैं। ऐसा तभी संभव है जब इन सभी प्रशिक्षण केंद्रों को जीआईएस से संबद्ध किया जाए। ग्लोबल इंफार्मेशन सिस्टम (जीआईएस) एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पिछले 20 वर्षों से उपयोग में लाया जा रहा है। अब भारत की जनगणना से संबंधित आंकड़े एक जीआईएस प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं।

जीआईएस का उपयोग कर एक व्यावसायिक और प्राथमिक स्कूल के बीच लिंक स्थापित किया जा सकता है तथा उन व्यावसायिक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जा सकता है जिसमें माध्यमिक स्तर की शिक्षा ज़रूरी नहीं है। प्रत्येक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र को एक निश्चित दायरे में अवस्थित ग्रामीण स्कूलों को प्रेरित एवं नियंत्रित करने तथा स्कूली प्रक्रिया से इतर एक कैरियर का मार्गदर्शन करने का दायित्व सौंपने की आवश्यकता है।

दूसरी ओर महिलाओं के सिर से लंबी दूरी से पानी ढोने जैसे अनुत्पादक कार्यों का बोझ कम करने की आवश्यकता है। एक बार फिर देश की वाटरशेड परियोजना की रूपरेखा को जीआईएस प्लेटफार्म पर रखने की ज़रूरत है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग कर जल स्रोतों को चिंहित करने तथा जल स्रोतों के लिये एक पंचवर्षीय योजना बनाने की आवश्यकता है ताकि ग्रामीण जनता तक पानी आसानी से पहुंच सके।

लैंगिक विभाजन को पाटने के लिये बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। काफी लंबे समय से भारत में योजना निर्माण की प्रक्रिया क्षेत्रकार (विभागवार) आवंटनों एवं स्कीमों पर केंद्रित रही है। जबकि, इस प्रक्रिया ने अंतरिक्ष संबंधी आयामों पर बहुत कम ध्यान दिया है। अपनी सूचना एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षमता पर गर्व करने वाले इस देश में इन दोनों में से किसी भी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल केंद्रीय स्तर पर योजना निर्माण में नहीं किया गया है। हालांकि, कुछ राज्यों ने इस दिशा में शुरुआत कर दी है। ❑

**(लेखिका नेशलन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी में आरबीआई पीठ की प्रोफेसर हैं)**

# PATANJALI

उनके लिए – जो सिविल सेवा की तैयारी प्रारम्भ कर रहे हैं, और उनके लिए भी जो सुधार चाहते हैं।

दर्शनशास्त्र की तैयारी हेतु समर्पित भारत का विशेषज्ञ संस्थान

# साक्षात्कार U.P.S.C.

## धर्मेन्द्र कुमार, कमल देव सिहं एवं अभय कुमार (चयनित) के कुशल निर्देशन में .....

साक्षात्कार अंक – 240

..... जानिये उनके द्वारा जिन्होंने साक्षात्कार में बेहतरीन प्रदर्शन किया है।

## साक्षात्कार | द्वितीय सत्र प्रारंभ

### पत्राचार कार्यक्रम (दर्शनशास्त्र मुख्य परीक्षा)

✦ संस्थान दर्शनशास्त्र हेतु परिष्कृत एवं गुणात्मक दृष्टि से श्रेष्ठ सामग्री उपलब्ध कराता है। दर्शनशास्त्र (मुख्य परीक्षा) से संबंधित सामग्री अभी परिवर्धन के दौर से गुजर रही है। इसे सिविल सेवा परीक्षा में प्रश्नों के पूछने के बदलते स्वरूप के अनुसार पुनः परिष्करण किया जा रहा है। यह परिवर्धित सामग्री 20 अप्रैल से उपलब्ध रहेगी। जो अभ्यर्थी व्यस्तता, असमर्थता या किसी अन्य कारण से दिल्ली आकर कक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते, वैसे अभ्यर्थी पत्राचार के माध्यम से इस सम्पूर्ण सामग्री को 20 अप्रैल के पश्चात प्राप्त कर सकते हैं।

✦ दर्शनशास्त्र (मुख्य परीक्षा) संबंधित सामग्री को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित राशि का दिल्ली में भुगतान योग्य बैंक ड्राफ्ट, "PATANJALI IAS CLASSES" के नाम भेजें।

– पत्राचार कार्यक्रम का शुल्क : 4100/

### प्रारम्भिक परीक्षा टेस्ट सीरिज (Prelim Test Series)

सिविल सेवा प्रारम्भिक परीक्षा में निगेटिव मार्किंग को देखते हुए विशेष रूप से तैयार किए गए 10 टेस्टों की टेस्ट शृंखला जिससे कि आप अपनी सही तैयारी का आकलन कर, कमजोर पक्षों को सुधार कर आत्मविश्वास के साथ इसमें सफलता प्राप्त कर सकें।

### पत्राचार कार्यक्रम (प्रारम्भिक परीक्षा) P.T.

संस्थान दर्शनशास्त्र (प्रारम्भिक परीक्षा) से संबंधित पत्राचार सामग्री उपलब्ध कराता है। यह सामग्री अब अपने पूर्ण रूप में परिष्करण के साथ उपलब्ध है। इसमें अध्ययन सामग्री के साथ-साथ उन महत्वपूर्ण पुस्तकों को भी उपलब्ध कराया जाता है जो सामान्यतः आसानी के साथ उपलब्ध नहीं हैं।

(हिन्दी और English Medium में भी)।

दर्शनशास्त्र (प्रारम्भिक परीक्षा) संबंधित सामग्री को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित राशि का दिल्ली में भुगतान योग्य बैंक ड्राफ्ट, **"PATANJALI IAS CLASSES"** के नाम भेजें। **पत्राचार कार्यक्रम का शुल्क : 3300/-**

# दर्शनशास्त्र

## मुख्य परीक्षा कार्यक्रम (नया सत्र)

| | |
|---|---|
| दर्शनशास्त्र (प्रथम बैच) | 26 मई (प्रातः 8:30)) (परिचर्चा के साथ कक्षा प्रारम्भ) |
| PHILOSOPHY (Separate Batch) ENGLISH MEDIUM | 4 जून |
| दर्शनशास्त्र (द्वितीय बैच) | 16 जून (सायं 5:30) (परिचर्चा के साथ कक्षा प्रारम्भ) |
| सामान्य अध्ययन द्वारा – कमलदेव सिंह | 1 जून (परिचर्चा के साथ कक्षा प्रारम्भ) |

**नामांकन प्रारम्भ - 6 मई**

समय – प्रातः 10:00

**PATANJALI**

2580, Hudson Line, Kingsway Camp, Delhi-110009
Phone : 011-32966281, Mob. : 9810172345

YH/5/7/9

# पूर्वोत्तर में परिवहन संबंधी पहल

पूर्वोत्तर राज्यों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये अवसंरचना, विशेषकर परिवहन अवसंरचना महत्वपूर्ण है। परिवहन अवसंरचना में सुधार करने के लिये, इस क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाने वाले यातायात के सभी साधनों अर्थात रेलों, विमानों और जलमार्ग से किए जाने वाले परिवहन को शामिल कर संगठित और विविध कदम उठाने होंगे।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सड़कों का नेटवर्क विकसित करने के महत्व को समझते हुए एसएआरडीपी एनई सहित विभिन्न सड़क विकास कार्यक्रम तेज़ी से चलाए जाएंगे। इन योजनाओं/कार्यक्रमों से अधिक यातायात वाले सड़कों की क्षमता तो बढ़ेगी ही, साथ ही चार लेन या दो लेन वाले उन्नत राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था से सभी राज्यों की राजधानियों से संपर्क स्थापित हो सकेगा। इसके अतिरिक्त, या तो दो लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के जरिये सीधे, या दो लेन वाले राज्य सड़क सुविधा के जरिये सभी जिला मुख्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली से जोड़े जाएंगे।

रेलवे के मुख्य नेटवर्क को ब्रॉड गेज में परिवर्तित करने को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है और 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र का लगभग पूरा मीटर गेज ब्रॉड गेज लाइन से जुड़ जाएगा। साथ ही, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल मार्ग से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

सिक्किम के पाक्योंग, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर और कोहिमा के चेइथू नामक स्थान पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कर लिए जाने की उम्मीद है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों की राजधानियों को वायु मार्ग से जोड़ा जाएगा। देश के हवाई अड्डों को आधुनिक बनाने के क्रम में पूर्वोत्तर क्षेत्र के 4 हवाई अड्डों (गुवाहाटी, दीमापुर, अगरतला और इंफाल) के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव है। अंतर्क्षेत्रीय संपर्क में सुधार लाने के लिये विभिन्न हवाई अड्डों की बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ बनाया जाएगा और हवाई सेवाएं बढ़ाईं जाएंगी। कम लागत पर माल परिवहन के आदर्श साधन के रूप में नदी जल के अधिक से अधिक इस्तेमाल के लिये इस क्षेत्र में ट्रंकरूट जुड़ाव प्रदान करने वाले ब्रह्मपुत्र नदी राष्ट्रीय जलमार्ग-2 को चालू किया जाएगा। ❑

# राष्ट्रीय खनिज नीति से संबंधित उच्च स्तरीय समिति की मुख्य सिफ़ारिशें

- मोटे तौर पर खनन में तीन चरण शामिल होते हैं- सर्वेक्षण, खोज और खनन। सर्वेक्षण परमिट धारक को खोज करने का लाइसेंस देकर और खोज करने के लाइसेंसधारक को खनन पट्टा का अधिकार देकर सर्वेक्षण परमिट के बाद खोज करने का लाइसेंस और तत्पश्चात खनन पट्टे को सिलसिलेवार बनाया जाना चाहिए।
- अधिनियम के उपबंधों और नियमों में रियायतें कम करने या रद्द करने संबंधी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारों में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि रियायत प्राप्त करने वाले को समय से पहले हटाए जाने का भय न सताए।
- सर्वेक्षण परिमट में खुलेपन की नीति शामिल की जानी चाहिए ताकि सर्वेक्षण कार्य में अधिक से अधिक निवेश किया जा सके।
- खोजकर्ता कंपनियों को पीएल के अंतरण के साथ-साथ खनन पट्टा का अंतरण प्राप्त करने का अधिकार भी होना चाहिए। रियायतों के अंतरण में आसानी होने से खोज कार्य से शोषण समाप्त हो जाएगा तथा निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
- यदि राज्य सरकार ने निर्धारित समय में आदेश पारित नहीं किया है तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने का अवसर देकर समुचित आदेश पारित कर सकती है।
- जिन क्षेत्रों में खानें स्थित हैं, उन क्षेत्रों के गांवों में खनन कंपनियों को सामाजिक दृष्टि से उपयोगी बुनियादी सुविधाएं विकसित करनी चाहिए। समिति की सिफ़ारिशों में एक विकल्प यह भी है कि खनन कंपनियों को अपने कारोबार का तीन प्रतिशत गांवों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ख़र्च करना चाहिए।
- रायल्टी की दर तय करने की पद्धति उदार होनी चाहिए ताकि राज्य के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हो सके।
- खनिज की दृष्टि से संपन्न जिन राज्यों में बड़ी संख्या में आवेदनपत्र प्राप्त हों वहां उस आवेदक को तरजीह दी जाए जो खनिज आधारित उद्योग स्थापित करने की पेशकश करे। लेकिन जहां किसी आवेदक द्वारा उद्योग लगाने की पेशकश न की गई हो वहां निर्णय को रोक कर नहीं रखना चाहिए।
- देश के सर्वोतम हित की दृष्टि से खनन नीति में स्टैंड अलोन और कैप्टिव दोनों प्रकार के खनन की गुंजाइश होनी चाहिए।
- लौह अयस्क निर्यात की मात्रा पर अंकुश लगाने और सारणीबद्धता की व्यवस्था के स्थान पर ऐसी व्यवस्था लाई जानी चाहिए जिसमें निर्यात शुल्क (केवल 65 प्रतिशत या इससे अधिक लौह सारयुक्त उच्च कोटि के पिंडों पर) और जुर्माना तथा निचली श्रेणी के जुर्माने पर से अंकुश हटा दिया जाए। ❑

# जनकल्याण एवं ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना

○ ऋतु सारस्वत

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु अनेक योजनाएं बनाई गईं जिनमें पंचवर्षीय योजनाओं का एक अलग स्थान है। योजना आयोग द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (अप्रैल 2007 से मार्च 2012) के लिये प्रस्तुत किए गए दृष्टिकोणपत्र में, मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकांक शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर विशेष ध्यान देने का प्रयास किया गया है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य ग़रीबी के अनुपात को 2007 तक 5 फीसदी और 2012 तक 15 फीसदी कम करना है। योजना अवधि में साक्षरता दर 75 प्रतिशत हासिल करना प्रारूप का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। मानव विकास में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण निवेश है। 1990 के दशक को बुनियादी शिक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना गया है। क्योंकि इस दशक में साक्षरता में 12.63 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई गई है जो 1951 के बाद सबसे अधिक है।

'सबको प्रारंभिक शिक्षा' ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की रणनीति का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। वर्ष 2000-01 में पूरे देश में एक व्यापक कार्यक्रम, सर्वशिक्षा अभियान चलाया गया। यह कार्यक्रम 'सबके लिये बुनियादी शिक्षा' के उद्देश्यों की पूर्ति का प्रमुख साधन बनेगा। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में उन क्षेत्रों को पहचानने जहां शिक्षा से वंचित लोगों की संख्या अधिक है एवं प्रत्येक समस्या क्षेत्र के लिये सर्वशिक्षा अभियान के संपूर्ण संरक्षण में अलग-अलग रणनीति पर ज़ोर देने का प्रावधान है।

शिक्षा के लिये और अधिक संसाधन उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता के अनुपालन में पिछले वर्षों में आवंटन राशि में भारी वृद्धि हुई है। शिक्षा के लिये निर्धारित योजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना के 151.20 करोड़ रुपये से बढ़कर दसवीं योजना (2000-2007) में 43,825 करोड़ रुपये हो गया। सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में शिक्षा पर किया जाने वाला व्यय वर्ष 1951-52 के 0.64 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2003-04 (बजट अनुमानों के अनुरूप) में 3.74 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2005-06 के दौरान प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के लिये योजना परिव्यय 12,531.76 करोड़ रुपये तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिये योजना परिव्यय 2,712.00 करोड़ रुपये रहा।

सर्वशिक्षा अभियान अपने निश्चित उद्देश्य की पूर्ति में संलग्न है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा को सर्वजनसामान्य तक पहुंचाने में सर्वशिक्षा अभियान अपनी महती भूमिका निभाएगी। इस योजना का उद्देश्य सभी प्रकार के लैंगिक एवं सामाजिक भेदभाव को प्राथमिक शिक्षा के स्तर वर्ष 2007 तक तथा 2010 तक बुनियादी शिक्षा स्तर पर समाप्त करना है, साथ ही 2010 तक सबके लिये शिक्षा, जिसमें रोज़गार हेतु शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए संतोषप्रद गुणवत्ता पर विशेष बल देने का प्रावधान है।

सर्वशिक्षा अभियान को सफल बनाने एवं उसके निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये सरकार की ओर से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को मार्च 2006 तक 7,527.23 करोड़ रुपये दिए गए।

जिस गति से शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलनी चाहिए थी वहां हमारा कार्य निष्पादन निराशाजनक रहा है। प्रारंभिक स्तर पर बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की दर वर्ष 1960-61 के 78.3 से घटकर 2003-04 में 52.32 प्रतिशत रह गई है। परंतु अभी भी यह प्रतिशत संतोषजनक नहीं है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में जिस तथ्य पर विचार करने का प्रावधान है वह शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना तथा अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, शिक्षकों की गैरहाजिरी की उच्च दर तथा प्रयोगशाला एवं लाइब्रेरी की अपर्याप्त सुविधाओं जैसी प्रणालीगत समस्याओं पर विशेष ध्यान देना है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों को शामिल करके समुदाय की भागीदारी को सुदृढ़ता से व्यवस्थित बनाए रखने पर बल दिया गया है। निचले स्तर पर ग्राम शिक्षा समितियों, अभिभावक-शिक्षक एसोसिएशनों की गांव में स्कूलों के प्रबंध में औपचारिक भूमिका होगी। स्कूली प्रणाली का समुदायिक स्वामित्व सर्वशिक्षा अभियान का एक मूल तत्व है।

प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम को मध्याह्न भोजन योजना के रूप में जाना जाता है। सितंबर 2004 में इस योजना में निम्नलिखित उद्देश्य को सम्मिलित किया गया : (क) प्राइमरी शिक्षा की सबके लिये अनिवार्यता जिसमें नामांकन, उपस्थिति एवं स्कूल न छोड़ना, विद्यार्थियों का अधिगम स्तर (विशेषकर पिछड़े वर्ग से संबंधित बच्चे) में सुधार शामिल है। (ख) प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के पोषण स्तर में सुधार (ग) सूखा प्रभावित क्षेत्रों में गर्मी की छुट्टी के दौरान प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के पोषण स्तर में सुधार के प्रयास।

वर्ष 2005-06 के दौरान विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 9 लाख 53 हजार प्राथमिक विद्यालयों/केंद्रों/शिक्षा गारंटी योजना/वैकल्पिक एवं अनूठी शिक्षा केंद्रों के क़रीब 11.94 करोड़ बच्चों को इस योजना में

## स्वास्थ्य सुधार

- स्वास्थ्य संबंधी उपलब्ध सूचक काफी असंतोषजनक हैं और संकेत देते हैं कि यह क्षेत्र बहुत उपेक्षित है। विशेषकर गांवों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता ही ख़राब स्थिति में है। कोई गंभीर बीमारी के होने पर ग़रीब आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाते हैं।
- केंद्र और राज्यों का स्वास्थ्य पर किया जाने वाला कुल व्यय सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1 प्रतिशत है। हमें इसमें बढ़ोतरी कर 2-3 प्रतिशत करना चाहिए।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पहला कदम है। डिजाइन और जवाबदेही से जुड़े मुद्दों की गहन समीक्षा की जानी चाहिए। निजी भागीदारी की संभावना की भी तलाश की जानी चाहिए।
- स्वास्थ्य की स्थिति केवल बीमारी होने पर उपचार पर ही नहीं निर्भर करती, बचाव के उपाय, जैसे टीकाकरण भी महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, सफ़ाई और सफ़ाई के संबंध में जानकारी भी महत्वपूर्ण है।
- आवश्यकता इस बात की है कि एनआरएचएम, आरसीएचआईसीडीएस संपूर्ण सफ़ाई अभियान, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों को अभिमुख बनाया जाए। ❑

शामिल किया गया और 22.5 लाख मीट्रिक टन अनाज आवंटित किया गया।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिये प्रस्तुत किए गए दृष्टिकोणपत्र में मध्याह्न भोजन योजना को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखा जा रहा है जिससे न केवल विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने में सहायता मिलेगी बल्कि साथ ही साथ यह जाति बंधनों को शिथिल करने में भी सहायक होगा।

स्कूली शिक्षा को सिर्फ अक्षर ज्ञान से जोड़ना संकुचित दृष्टिकोण होगा, व्यापक दृष्टि में शिक्षा बच्चे के नजरिये को भी निर्धारित करती है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु बाल विकास है। इसमें इस तथ्य पर विशेष बल दिया गया है कि बालक अपना बालपन न खोए चाहे उसका कारण श्रम हो या कोई रोग। योजना में यह स्पष्ट किया गया है कि बालकों को उनके अधिकार उनके जीवन के आरंभिक स्तर से ही प्राप्त होने चाहिए। इस दिशा में समन्वित बाल विकास सेवा अपनी महती भूमिका निभाएगा।

वर्तमान में समन्वित बाल विकास सेवा प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने में वह भूमिका नहीं निभा पर रहा जिसकी अपेक्षा है। इस दिशा में आवश्यक है कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु सर्वशिक्षा अभियान को ही संपूर्ण दायित्व सौंपा जाए जिससे समन्वित बाल विकास सेवा स्वास्थ्य तथा पोषाहार से संबंधित मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सके। इस उद्देश्य के लिये आवश्यक है कि इन केंद्रों में साफ पीने का पानी एवं शौचालयों की समुचित व्यवस्था हो।

### स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

स्वास्थ्य और मानव विकास का एक-दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पोषाहार सेवाओं की पहुंच और उनके उपयोग में सुधार करने का प्रमुख रूप से प्रत्येक योजना में ज़ोर रहा है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अनेक कदम उठाए गए जिनमें पारिवारिक स्वास्थ्य सुरक्षा तथा भूख से मुक्ति की बजाय परिवार तथा व्यक्ति की पोषाहार सुरक्षा पर बल दिया गया। चिकित्सीय सुविधाओं के फलस्वरूप यद्यपि मृत्युदर में भारी गिरावट आई है तथापि संचारी रोगों, गैर-संचारी रोगों और पोषाहार की समस्याओं के कारण बीमारियों से ग्रस्त होने वाले लोगों का प्रतिशत अभी भी ऊंचा बना हुआ है।

देश में प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हेतु ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में समन्वित जिला स्वास्थ्य योजना पर ध्यान केंद्रित करने का प्रावधान रखा गया है। इस योजना में एड्स से ग्रसित व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2005-12) का उद्देश्य कमज़ोर स्वास्थ्य सूचकांक और कमज़ोर ढांचे वाले 18 राज्यों पर विशेष ध्यान देते हुए देश की ग्रामीण जनसंख्या को प्रभावी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है। ये 18 राज्य हैं : उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, त्रिपुरा, राजस्थान, नगालैंड, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, बिहार, असम, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश।

यह मिशन सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय घरेलू उत्पाद के 0.9 प्रतिशत से बढ़ाकर 2-3 प्रतिशत करने की प्रतिबद्धता का द्योतक है। इस मिशन का उद्देश्य पंचायती राज निकायों, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं को राष्ट्रीय, राज्य, जिला और उप जिला स्तरों पर शामिल करके वृहत्तर स्वामित्व निर्मित करना है। साथ ही स्वास्थ्य प्रणाली में इस तरह सुधार करना होगा कि राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत बढ़े हुए आवंटन का प्रभावी ढंग से उपयोग हो सके। आरसीएच 11 (2005-09) ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक प्रमुख घटक है। यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्यक्रमों को सम्मिलित करता है और महिलाओं और बच्चों में मृत्युदर और रुग्णता की ओर ध्यान देता है तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मज़बूत बनाने में योगदान करता है।

वर्तमान में स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला महत्वपूर्ण कारण प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों का अभाव है। इस स्थिति में सुधार हेतु डॉक्टरी सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है।

दसवीं योजना के दौरान पिछले चार वर्षों से 8 प्रतिशत की विकास दर के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुदृढ़ता प्राप्त हुई है और यही अपेक्षा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना से भी की जा रही है। ❑

**(लेखिका अजमेर के दयानंद महाविद्यालय में समाजशास्त्र की प्रवक्ता हैं)**

# कश्मीरी एक अर्थपूर्ण और समर्थ भाषा है

○ रहमान राही

*योजना के गत अंक में कश्मीर के वरिष्ठ कवि और आलोचक रहमान राही को चालीसवें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित करने के फैसले से अवगत कराते हुए हम उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की संक्षिप्त जानकारी अपने पाठकों को दे चुके हैं। श्री राही कश्मीर के ऐसे पहले साहित्यकार हैं जिन्हें ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया है। इस अंक में प्रस्तुत है उनके बहुआयामी व्यक्तित्व और देश–समाज के बारे में दृष्टिकोण पर उनसे लिया गया एक आत्मीय साक्षात्कार। साक्षात्कारकर्ता हैं* योजना *(उर्दू) के संपादक* अबरार रहमानी

**प्र.** रहमान राही साहब, देश का सबसे प्रतिष्ठित एवं महत्वपूर्ण साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ मिलने पर हमारा अभिनंदन स्वीकार करें। आपको इससे पहले भी साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री आदि जैसे कई सम्मान मिल चुके हैं, लेकिन ज्ञानपीठ निश्चय ही सबसे विशिष्ट पुरस्कार है। इस सम्मान को पाकर आप कैसा महसूस करते हैं?

**उ.** मैं खुश हूं। कुछ इसलिये कि एक साहित्यकार के तौर पर मेरा जो थोड़ा काम रहा है उसे बड़े उच्चस्तर के कदरदान मिल रहे हैं। दूसरे यह कि मेरी मातृभाषा कश्मीरी की सृजनात्मक शक्ति और भाषा वैज्ञानिक गरिमा को सराहा जा रहा है और सांस्कृतिक महत्व को पहचाना जा रहा है, और यह सब किसी न किसी रूप से कश्मीरियों के विशिष्ट अस्तित्व का एक खुशगवार एहसास है।

**प्र.** आपको यह पुरस्कार कश्मीरी भाषा में अमूल्य योगदान के लिये दिया गया है। यहां हम आपसे जानना चाहेंगे कि कश्मीरी भाषा की स्थिति क्या है? क्या आप कश्मीरी भाषा की समकालीन परिस्थिति से संतुष्ट हैं?

**उ.** कश्मीरी एक विकसित भाषा है। इसमें अभिव्यक्ति की बड़ी क्षमता है। इस हिसाब से इसकी गिनती भारतीय उपमहाद्वीप की महत्वपूर्ण भाषाओं में होना चाहिए। लेकिन सदियों की गुलामी के कारण इसे अपनी पूरी क्षमता सामने लाने का मौक़ा नहीं मिला। फिर भी एक लंबे ऐतिहासिक दबाव के बावजूद इसने अपने आप को जिस तरह बचाए रखा वह प्रशंसा योग्य है। इसकी सृजनात्मक गतिविधियां भी बड़ी रंगारंग रही हैं। हां, मेरी यह इच्छा ज़रूर है कि यह भाषा आधुनिक ज्ञान–विज्ञान की प्राप्ति का भी माध्यम बने। ज्ञान–विज्ञान की विविधता को देखते हुए इस भाषा की दशा को संतोषजनक कहना कुछ सही नहीं होगा।

**प्र.** कश्मीरी भाषा को बढ़ावा देने के लिये और क्या–क्या उपाय किए जाने चाहिए?

**उ.** सबसे पहले इसे जम्मू–कश्मीर की शिक्षा व्यवस्था में मातृभाषा के रूप में और समूचे राज्य की बहुसंख्यक आबादी की भाषा के रूप में अपना संभावित रोल निभाने का अवसर दिया जाए। इसके अतिरिक्त राज्य के अंदर और बाहर दोनों स्तरों पर संबद्ध सरकारी और गैरसरकारी संस्थाएं, एजेंसियां इस भाषा के लिये वह सब कुछ करें जो देशभर की अन्य भाषाओं के विकास के लिये की जाती हैं।

**प्र.** कश्मीरी भाषा लोगों के बीच मेल–जोल को कैसे बढ़ावा दे सकती है?

**उ.** अपने आध्यात्मिक मूल्यों और वैचारिक ख़ज़ाने को दूसरी भाषाओं के हवाले करके और अन्य भाषाओं के साहित्यिक एवं वैचारिक ख़ज़ाने से अपना दामन भरकर।

**प्र.** पूरे देश के संदर्भ में कश्मीरी भाषा और साहित्य का महत्व क्या है?

**उ.** कश्मीरी भाषा अपनी भाषा वैज्ञानिक क्षमता के कारण और कश्मीरी साहित्य अपनी कल्पनात्मक विशिष्टता के कारण पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में सार्थक सराहना की हक़दार हैं।

**प्र.** कश्मीरी भाषा को आर्थिक उन्नति से कैसा जोड़ा जा सकता है?

**उ.** कश्मीरी एक सक्षम और अर्थपूर्ण भाषा है अत: यह कश्मीर की विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, अन्य भाषाओं की तुलना में ज्यादा अच्छे ढंग से।

# जम्मू-कश्मीर के लिये प्रक्रिया तंत्र घोषित

केंद्र ने जम्मू-कश्मीर के लिये एक तीन स्तर वाले प्रक्रिया तंत्र की घोषणा की है। रक्षामंत्री ए. के. एंटोनी को इस प्रक्रिया तंत्र का प्रमुख नियुक्त किया गया है। प्रक्रिया तंत्र को सैन्य दस्तों के 'अन्यत्र तैनाती' और राज्य में सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम के इस्तेमाल के अध्ययन का कार्य सौंपा गया है।

राज्य के मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद की प्रधानमंत्री और संप्रग की अध्यक्षा सोनिया गांधी के साथ बैठक के बाद यह घोषणा की गई। प्रक्रिया तंत्र में केंद्रीय गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय तथा साथ ही राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। पीडीपी के राजनीतिक मामलों की समिति की पिछले दिनों श्रीगनर में आयोजित बैठक में केंद्र सरकार की पहल पर विचार किया गया।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने जम्मू-कश्मीर में स्थिति की समीक्षा के बाद घोषणा की कि सरकार ने जम्मू-कश्मीर सरकार के साथ विचार-विमर्श से 'मौजूदा हालात के कुछ समस्यागत पहलुओं पर विचार' करने के लिये प्रक्रिया तंत्र गठित करने का फैसला लिया है।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने घोषणा की कि प्रक्रिया तंत्र में एक विशेषज्ञ पैनल को शामिल किया जाएगा। पैनल के प्रमुख, रक्षा सचिव होंगे। पैनल में रक्षा, गृह मंत्रालय और सशस्त्र बलों तथा जम्मू-कश्मीर सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। पैनल विशेषज्ञों और पेशेवरों का एक संगठन होगा। यह स्थिति का गहराई से मूल्यांकन करेगा। पैनल यह तय करेगा कि सुरक्षा बलों की अन्यत्र तैनाती की ज़रूरत है या नहीं। यह तय करते समय पैनल सुनिश्चित करेगा कि 'सुरक्षा के अनिवार्य पहलुओं के साथ किसी भी प्रकार का समझौता न हो।

घोषणा में कहा गया है कि पैनल के अलावा, एक समीक्षा समिति जम्मू-कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों में सशस्त्र बल अधिनियम के इस्तेमाल की समीक्षा करेगी। यह सशस्त्र बल अधिनियम की समय-समय पर समीक्षा की कानूनी आवश्यकताओं के अनुरूप होगी। रक्षामंत्री की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति पैनल और समीक्षा समिति की सिफ़ारिशों का अध्ययन करेगी और अंतिम फैसला लेगी। समिति में केंद्र और सरकार के प्रतिनिधि होंगे। ❑

**प्र.** वर्ष 2007 को आज़ादी की पहली लड़ाई की याद के तौर पर मनाया जा रहा है। इस संबंध में विभिन्न भाषाओं के विद्वान इस लड़ाई में अपनी भाषाओं की भूमिका का बढ़ा-चढ़ा कर उल्लेख कर रहे हैं। आप आज़ादी की लड़ाई में कश्मीरी भाषा की भूमिका पर प्रकाश डालें।

**उ.** कश्मीर में लड़ी जाने वाली आज़ादी की जंग सीधे तौर पर अंग्रेजी शासन की बजाय राज्य पर शासन करने वाले राजा के विरुद्ध थी। अत: कश्मीरी भाषा में आज़ादी की बातें कुछ अलग ढंग से होती रही हैं। महजूर, आज़ाद और आरिफ़ जैसे कश्मीरी शायरों ने मातृभूमि की बड़ाई और शान में बड़े जोशीले गीत गाए और संग्रामियों के हौसले बढ़ाए। महजूर द्वारा रचित एक गीत तो आज़ादी की तहरीक के दौरान कश्मीर में उत्साह पैदा करने वाले राष्ट्रगान सरीखा दर्ज़ा पा गया।

**प्र.** आप कश्मीरी के अतिरिक्त उर्दू के भी विद्वान हैं, उर्दू में आपने उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण कामों के बारे में कुछ बताएं।

**उ.** शुरू में जो उर्दू शायरी की थी उसे कोई विशेष महत्व देना ठीक नहीं होगा। अलबत्ता विभिन्न देशी और विदेशी भाषाओं के हवाले से उर्दू भाषा में काम लेते हुए कई वैचारिक बहसों की तरफ आकर्षित हुआ। इसके अतिरिक्त कश्मीरी शायरी के बड़े नमूनों को उर्दू में ढालने की भरसक कोशिश की है।

**प्र.** आपने फ़ारसी और अंग्रेज़ी में एम.ए. किया है। तो क्या आप ने इन दोनों भाषाओं में भी कुछ विशेष काम किए हैं?

**उ.** जब मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में फारसी साहित्य का प्राध्यापक था। तब मैंने बीसवीं शताब्दी की एक बहुत बड़ी ईरानी शायरा फ़रोग़ फर्रुख़ज़ाद पर फारसी में ही एक क़िताब लिखी थी, जिसके कुछ भाग उन्हीं दिनों छप गए थे। कुछ अंग्रेजी कविताओं के कश्मीरी में अनुवाद भी किए। फ्रांसीसी, जर्मन, रूसी और तुर्की भाषाओं की कई श्रेष्ठ रचनाओं के अंग्रेजी से कशमीरी में अनुवाद किए।

**प्र.** आप प्रगतिशील लेखक संघ के महासचिव रहे हैं, इस सिलसिले से प्रगतिशील आंदोलन के बानी संस्थापक और अन्य प्रगतिशील लेखकों के साथ अपने संबंधों के बारे में बताना पसंद करेंगे?

**उ.** प्रगतिशील आंदोलन से संबद्ध जिन ग़ैर-कश्मीरी साहित्यकारों से कम या ज्यादा मेरी जान-पहचान रही है, उनमें हिंदी के शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा और उर्दू के सैयद सहतेशाक हुसैन और अली सरदार जाफ़री विशेष हैं। चौहान साहब का तो मैं महीनों क्यों, वर्षों हम-प्याला और हम-निवाला रहा। उनकी और शर्मा साहब के वैचारिक खुलेपन और विश्व साहित्य के बारे में उनकी समझ से मैं अपने शुरू के दिनों में बड़ा लाभान्वित हुआ। वे नये लिखने वालों को जिस तरह प्रोत्साहित करते थे, मैं उसकी भी बड़ी इज्ज़त करता हूं। ऐहनिशान साहब ने उन दिनों, जबकि मैं उर्दू में लिखा करता था, मेरी कुछ कविताओं को सराहा था। जाफ़री साहब की सृजनात्मक क्षमता और वैचारिक बोधता को तो और लोग भी मानते हैं। मुझे तो यह भी इतमिनान रहा है कि वह जब भी कश्मीर आते थे, तो मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता था। यहां तक कि वह मेरे ग़रीबखाने पर भी पधारते थे, कभी अपनी शरीक-ए-हयात (जीवनसाथी) मोहतरमा सुल्ताना बाज़ी के साथ भी। सज्जाद ज़हीर साहब से केवल एक बार दिल्ली में मुलाक़ात हुई थी। साहित्य अकादमी के एक सेमिनार में किसी साहित्यिक विषय पर मुझसे उनके विचारों में असहमति ज़ाहिर करने की गुस्ताख़ी हुई थी। ❑

# वन्यजीवों की गणना की योजना

मनुष्य एवं पशु के बीच टकराव की घटनाओं में एकाएक तेज़ी से तेंदुए एवं काले भालुओं की संख्या में गिरावट आई है। इन दोनों पशुओं की गिरती संख्या से चिंतित जम्मू-कश्मीर सरकार ने पहली बार इनकी गणना कराने का निर्णय लिया है।

जम्मू-कश्मीर के मुख्य वन्य जीव संरक्षक ए.के.श्रीवास्तव ने कहा कि यद्यपि जम्मू-कश्मीर में वन्यजीवों की बहुतायत है, मनुष्य एवं पशुओं के बीच टकराव की घटनाओं में सहसा वृद्धि होने से तेंदुओं एवं काले भालुओं की संख्या को लेकर संशय की स्थिति पैदा हो गई है। मुख्य रूप से इन्हीं दोनों प्रजाति के पशुओं की भिड़ंत मानव जाति से हुई है। लिहाज़ा इन दोनों प्रजातियों की गणना संभावित है।

अधिकारियों के मुताबिक इस कदम से राज्य में वन्यजीव से संबंधित परिदृश्य बेहतर होगा। श्री श्रीवास्तव ने बताया कि जम्मू-कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जहां वन्यजीव एवं वन विभाग दो अलग-अलग निकाय हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित श्रेणी में आते हैं और वन्यजीव विभाग से संबद्ध हैं। जबकि, भूभागीय क्षेत्र वन विभाग के तहत आते हैं। मनुष्य एवं पशुओं के बीच टकराव की अधिकांश घटनाएं भूभागीय क्षेत्रों में होती हैं क्योंकि ये क्षेत्र रिहाइशी इलाकों के करीब हैं। और, जब भी इस किस्म की कोई घटना होती है तो इन दोनों विभागों के अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी के कारण अक्सर पशुओं को नुकसान उठाना पड़ता है। पिछले दिनों एक समन्वय समिति गठित की गई है जिसमें दोनों विभागों के अधिकारी शामिल हैं। स्थानीय निवासियों को भी संवदेनशील बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

*पिछले दिनों श्रीनगर स्थित सिराज़ बाग में स्थित एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। इस गार्डन में 3 लाख से अधिक किस्मों के फूल हैं। नीचे : इसी बाग में काम करते माली।*

श्री श्रीवास्तव ने कहा, "लोगों में गहरा रोष है। जब भी उनका सामना किसी जंगली जानवर से होता है तो उनकी पहली प्रतिक्रिया उसे किसी भी तरह से पकड़ने की होती है और उसके बाद उसे पत्थर मार-मारकर जान से ख़त्म कर दिया जाता है। हम विभिन्न कार्यशालाओं के माध्यम से स्थानीय लोगों को संवेदनशील बनाने का प्रयास कर रहे हैं।"

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के वन्यजीव संरक्षण विभाग में उत्तरी क्षेत्र के उपनिदेशक संतोष तिवारी कहते हैं कि यह गणना आदर्श परिस्थिति कायम करने तथा सही नीति निर्धारित करने में रामबाण साबित होगी।

भारतीय वन्य जीव संस्थान को इस गणना की अगुवाई करने को कहा गया है जबकि दिल्ली स्थित एक स्वयंसेवी संस्था- वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया को गणना कार्य संपन्न करने के लिये नियुक्त किया गया है। एक वन्यजीव अधिकारी के अनुसार, 'भारतीय वन्य जीव संस्थान वन्यजीव विभाग के साथ समन्वय कर इस कार्य को अंजाम देगा। यह गणना छह से सात महीनों में संपन्न होगी।' ❑

# राष्ट्रपति से मिले घाटी के आतंक प्रभावित बच्चे

श्रीनगर के आतंकवाद से पीड़ित 60 बच्चे गत 4 अप्रैल को राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम से मिले।

महामहिम से मुलाकात करने आए 12 वर्षीय वसीम ने कहा कि घर के आसपास कई बार जहाज उड़ते देखा है और हमेशा ही उसमें उड़ने की इच्छा होती थी, पर ऐसा हो नहीं सका। आतंकवादियों ने वसीम के माता-पिता की हत्या कर दी थी। पहली बार दिल्ली आए वसीम ने गृहमंत्री से इस सपने को पूरा करने की इच्छा जताई और वे खुशी-खुशी इसके लिये तैयार हो गए।

*नयी दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम से मिलते आतंकवाद से पीड़ित कश्मीरी बच्चे। श्रीनगर स्थित राहत व पुनर्वास केंद्र से इन बच्चों को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल लेकर आया है*

राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाली 11 वर्षीया जाहिदा ने कहा कि घर की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं और आतंकवादियों के हमले की आशंका बनी रहती है।

हमलोग अंधेरा होने के बाद घर से बाहर नहीं निकलते, लेकिन यहां दिल्ली में लोग देर रात घरों से बाहर रहते हैं और सड़कों पर भी रोशनी होती है। 60 बच्चों के इस समूह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) दिल्ली लेकर आया है।

इस समूह में शामिल सभी 23 लड़के और 37 लड़कियां श्रीनगर स्थित राहत व पुर्नवास केंद्र से आए हैं। इनमें से अधिकांश बच्चों की उम्र 3 से 17 वर्ष के बीच है।

बुधवार को सीआरपीएफ के महानिदेशक, एस.आई.एस. अहमद ने कहा कि इस यात्रा से बच्चों को देश की संपन्न विरासत को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। श्री अहमद ने राष्ट्रपति को जम्मू-कश्मीर में सीआरपीएफ द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। इन बच्चों को राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम से मुलाकात कराई गई।

राष्ट्रपति कलाम ने इस अवसर पर कहा, "मैंने कई बार जम्मू-कश्मीर की यात्रा की और यह देखकर चकित रह गया कि तमाम मुश्किलों के बावजूद यहां के लोगों के चेहरों पर मुस्कराहट है।" राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि खुशी साहस से पैदा होती है और साहस नेकदिलों में होता है। उन्होंने बच्चों को ऊपरवाले पर हमेशा भरोसा रखने की भी सलाह दी।

बच्चों का यह समूह गृहमंत्री शिवराज पाटिल से उनके निवास पर मिला। उन्होंने बच्चों के सवालों के जबाव दिए। पाटिल ने उन बच्चों से देश के विभिन्न हिस्सों की सुंदरता को देखने के लिये भ्रमण की सलाह दी। उन्होंने याद दिलाया कि जम्मू-कश्मीर की आधारभूत संरचना के विकास के लिये 26 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं और इसका लाभ जल्द ही दिखाई देने लगेगा।

सीआरपीएफ के महानिदेशक श्री एसआईएस अहमद ने कहा कि इस यात्रा से बच्चों को देश की संपन्न विरासत को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। श्री अहमद ने राष्ट्रपति को जम्मू-कश्मीर में सीआरपीएफ द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। ❑

# खेतिहर औरतों ने पत्रिका निकाली

आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले की कुछ साक्षर खेतिहर औरतों ने अपने दम पर *नवोदयम* नामक मासिक पत्रिका निकाली है जो पिछले पांच वर्षों से चल रही है।

इस पत्रिका से जुड़ी टीम में सभी महिलाएं हैं। वे पहले आंध्र प्रदेश के गांवों में खेतों पर काम करती थीं। परंतु अब वे सशक्त महिलाएं बन चुकी हैं जो अपने जिले में चल रही सरकारी योजनाओं के बारे में पूछताछ करती हैं, भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों और ठप्प पड़ी सरकारी परियोजनाओं की पोल खोलती हैं। ये महिलाएं अब तक *नवोदयम* के 43 अंक निकाल चुकी हैं।

इस टीम में महिलाएं ही रिपोर्टर, परिचालन प्रबंधक, संपादक और चित्रकार हैं तथा वे ही रिपोर्ट तैयार करती हैं, संपादन करती हैं, ले-आउट तैयार करती हैं और पत्रिका का संचालन करती हैं। यह पत्रिका 15 अगस्त, 2001 को शुरू की गई थी और शुरू-शुरू में इंदिरा क्रांति प्राथम नामक कार्यक्रम के तिमाही न्यूज़लेटर के रूप में निकाली जाती थी। यह कार्यक्रम आंध्र प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं की दशा में सुधार लाने के लिये चलाया जाता था। पत्रिका की संपादक वी. मल्लिका ने बताया कि पत्रिका में काम करने के लिये वे लोग गांवों की साक्षर महिलाओं को प्रशिक्षण दे रहे थे और पत्रिका के शुरू होने के साढ़े पांच वर्ष के भीतर 100 ऐसी महिलाएं तैयार हो चुकी हैं जो न्यूज़लेटर के लिये रिपोर्ट तैयार कर सकती हैं, लिख सकती हैं, संपादन कर सकती हैं और ले-आउट तैयार कर सकती हैं। पत्रिका की परिचालन प्रबंधक के. मंजुला, जो रिपोर्टर का काम भी देखती हैं, ने बताया कि शुरुआत में 750 प्रतियां छापी गई थीं परंतु अब पत्रिका मासिक हो गई है और मांग में वृद्धि होने से इसकी 10,000 प्रतियां छापी जा रही हैं।

इस समय इस पत्रिका में 14 महिलाएं काम कर रही हैं जो अलग-अलग काम देखती हैं। इनमें सुश्री ई. भारती भी हैं जो लेखन के साथ-साथ चित्रकारी का काम भी देखती हैं। पत्रिका के लिये काम करने वाली महिलाओं को पुरुषों, विशेषकर शराब लॉबी से ज़बरदस्त विरोध झेलना पड़ा है। इन महिलाओं ने अपने न्यूज़लेटर में जिन भ्रष्ट लोगों की पोल खोली है वे भी इनकी जान के दुश्मन बन जाते हैं।

यह पत्रिका विकास, स्वसहायता समूह, ग्रामीण उधारी और ग्रामीण बैंकिंग पर बल देती है। इसमें जिले के ग़रीबी हटाने वाले तथा अन्य विकास कार्यों के समाचार और विश्लेषण होते हैं। पत्रिका के प्रवेशांक में आठ पेज थे पर अब इसमें 20 पेज हैं। ❑


CIVILS INDIA
IAS STUDY CENTRE
No. 1 In India

ADMISSION NOTICE 2007-08

OUR IAS TOPPERS 2005

भूगोल (Improvement Programme): बिना किसी विज्ञापन के यह कार्यक्रम काफी लोकप्रिय हुआ है-सिर्फ लाभान्वित छात्रों द्वारा की गयी चर्चा से। वर्तमान में इस कोर्स में 55 छात्र हैं जो देश के विभिन्न Coaching Institutes से पढ़ चुके हैं परन्तु बुरे अंक ला रहे हैं (इसमें नामांकन की योग्यता यही है)! *यह हमारी गुणवत्ता की स्वतः पहचान है! हमारे छात्रों को Improvement के लिये कहीं नहीं जाना पड़ता!*

गुणवत्ता ही हमारी विशेषता है

We offer the most time-tested and performance-oriented classroom courses in India (Eng. & हिन्दी)

"Over 45 yrs. teaching experience & among the most-read authors of the world."

GEOGRAPHY by Prof. Majid Husain — WORKSHOP: JUNE 4/5 — Classes Start 1st week June

Our Highest Marks: *Eng. Med.*— 362, 357, 356, 349... हिन्दी माध्यम—377, 363, 355, 346...

GEN. STUDIES by Dr. Ramesh Singh — *"Over 15 yrs. teaching experience."* ECONOMY STARTS WORKSHOP: 14 JULY

Our Highest Marks: *G.S.* - 356, 342, 340..., *Essay*-156, 146, 145..., *Inter.*-240, 220, 210.

Also at Brilliance IAS, Lucknow

PĀLI/पालि by Rituraj Singh — *"Over 5 yrs. teaching experience."* BATCHES: JAN, MAR, JUN, JUL, SEP, NOV.

Our Highest Marks: *Eng. Med.*— 346, 340, 338, 336... हिन्दी माध्यम— 348, 342, 338, 332...

OUR OTHER TOPPERS

OUR PCS TOPPERS

Other Toppers: Pankaj Kr. Pandey, IAS, 43rd, 2004., Prithipal Singh, IPS, 2004., Diparva Lakra, IAS, 2004., Ramesh Kumar, IAS, 2004., Mayur Maheshwari, IAS, 6th Topper, 2003., Akhilesh Kr. Jha, IPS, 2003., R.K. Bhardwaj, IRS, 2003., Babulal Sonal, IRS, 2003., Hareshwar Prasad, IRS, 2002., J.P. Singh, IPS, 2001., Manish Surati, IRS, 2001., Ashish Kr. Sinha, ALLIED, 2001., Sanjeev Kr. Singh, IRS, 2000., Jayant Sinha, ALLIED, 2000., Sajay Kumar, IPS, 2000., Alok Kumar Das, IPS, 2000.

Essay * Interview * Postal Guidance * Test Series * Hostel Facilites

202A/12-13, ANSAL BUILDING, MUKHERJEE NAGAR, DELHI-110009, PH.: 27652921, 9818244224, 9810553368.

YH/5/7/8

# चुनाव कैसे कराए जाते हैं

**चुनाव की घोषणा कब की जाती है और चुनाव की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है?**

लोकसभा या राज्य की विधानसभा के मामले में संबंधित सदन का पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर औपचारिक तौर पर भंग होने से छह माह पूर्व ही चुनाव की प्रक्रिया स्वत: शुरू हो जाती है। आपवादिक मामलों में सदन का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व भंग किए जाने के मामले में भी यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लोकसभा भंग करने की सिफ़ारिश की जाने पर भारत के राष्ट्रपति औपचारिक रूप से लोकसभा भंग करते हैं। राज्य की विधानसभा के मामले में राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और राज्य के मंत्रिमंडल द्वारा विधानसभा को भंग करने की सिफ़ारिश करने पर विधानसभा को भंग कर देता है। राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा भंग करने के बारे में आधिकारिक अधिसूचना जारी करते हैं।

**चुनाव आयोग क्या है, इसकी क्या भूमिका है?**

चुनाव आयोग एक स्थायी संस्था है जिसे स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लोकसभा/विधानसभा का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से छह माह पूर्व ही इसकी कार्रवाई शुरू हो जाती है। राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा लोकसभा/विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही उन्हें भंग करने पर भी इसकी कार्रवाई शुरू हो जाती है। चुनाव आयोग फैसला करता है कि चुनाव कब कराया जाएगा। इसकी सूचना राष्ट्रपति/राज्यपाल को दी जाती है जो औपचारिक रूप से चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हैं।

**नामांकन/नाम वापस लेने की प्रक्रिया तथा समय सीमा क्या है?**

चुनाव आयोग उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल करने की तारीख़ की सिफारिश राष्ट्रपति/राज्यपाल से करता है। उसके बाद राष्ट्रपति/राज्यपाल नामांकन की तारीख़ अधिसूचित करते हैं। आमतौर पर पहले सात दिन नामांकन दाखिल करने के लिये रखे जाते हैं। 8वां दिन नामांकन फार्मों की जांच-पड़ताल के लिये रखा जाता है। इसके बाद के अगले दो दिन उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लेने के लिये निर्धारित होते हैं। नाम वापस लेने के लिये निर्धारित दूसरे दिन के दोपहर में चुनाव लड़ने वालों की सूची लगाई जाती है। इसके बाद कम से कम 14 दिन चुनाव प्रचार के लिये दिए जाते हैं। चुनाव प्रचार का समय इससे ज्यादा भी हो सकता है पर किसी भी हालत में एक पखवाड़े से कम नहीं हो सकता।

**चुनाव की तारीखों के बारे में फैसला करते समय किन बातों पर ध्यान दिया जाता है?**

इसमें सबसे पहले भौगोलिक स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती कि अक्सर 5 लाख सुरक्षा बलों और लाखों चुनाव कर्मचारियों को देशभर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना पड़ता है। इन कर्मचारियों को आराम करने के लिये भी कुछ समय दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त, मतपेटियों को पहुंचाने तथा उनकी सुरक्षा की बात भी ध्यान में रखी जाती है। यह बात भी ध्यान में रखी जाती है कि भंग सदन की अंतिम बैठक और नवनिर्वाचित सदन की पहली बैठक के बीच छह माह से अधिक समय का अंतर नहीं होना चाहिए।

**आदर्श आचार संहिता क्या है?**

आदर्श आचार संहित 1960 के प्रारंभ से ही लागू है परंतु चुनाव आयोग ने वर्ष 1991 से इसे और सख़्त बना दिया है। आचार-संहिता के लागू होने की तारीख अधिसूचित हो जाने के बाद कोई भी सत्ताधारी दल ऐसा कोई निर्णय नहीं ले सकता जो मतदाताओं को लुभाने वाला हो। राजनीतिक दलों के लिये ज़रूरी हो जाता है कि वे दूसरे दलों की आलोचना करते समय केवल उनकी नीतियों और कार्यक्रमों की आलोचना तक ही सीमित रहें और किसी भी रूप में उम्मीदवारों या नेताओं के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी या बेबुनियाद आरोप न लगाएं। आचार-संहिता में सार्वजनिक संपत्ति को बर्बाद या विरुपित करने की भी इज़ाजत नहीं है। मतदाताओं से धार्मिक स्थान से मत देने की अपील करने की बिल्कुल मनाही है। लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 15 लाख रुपये तक ख़र्च कर सकते हैं और विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 6 लाख रुपये तक ख़र्च कर सकते हैं।

**चुनाव संपन्न हो जाने के बाद क्या होता है?**

चुनाव के बाद एक दिन उन स्थानों पर पुनर्मतदान के लिये रखा जाता है जहां चुनाव प्रक्रिया बाधित हुई हो। इसके बाद कड़ी सुरक्षा में मतपत्रों की गिनती की जाती है।

**चुनाव प्रक्रिया कब समाप्त होती है?**

मतगणना पूरी हो जाने और परिणाम घोषित होने के बाद चुनाव आयोग राष्ट्रपति/राज्यपाल को चुनाव परिणाम के बारे में सूचित करता है। इसके साथ ही चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। ❑

# लोक प्रशासन

(हिन्दी माध्यम)

By **Atul Lohiya**

*(A person who believes in scientific approach and hard work)*

**UGC-NET**

QUALIFIED IN TWO SUBJECTS

**(HISTORY & PUB. ADMINISTRATION)**

## अतुल लोहिया ही क्यों? क्योंकि...

केवल हम कराते हैं लोक प्रशासन का सम्पूर्ण एवं समग्र अध्ययन;

- ★ ***UPSC** के साथ **UP, MP, Raj., Bihar, Uttaranchal, Jharkhand Chhattisgarh, Haryana, Himachal PCS** की भी तैयारी;*
- ★ बेहतर समझ, बेहतर नोट्स एवं बेहतर प्रश्न अभ्यास तथा लेखन-शैली के विकास के समन्वित दृष्टिकोण पर आधारित मार्गदर्शन। अध्यापन की शैली-विशिष्ट व वैज्ञानिक।
- ★ लोक प्रशासन से संबंधित समसामयिक, किन्तु आवश्यक एवं उपयुक्त जानकारियों का समावेश।
- ★ अनावश्यक तथ्यों के संकलन द्वारा लोक प्रशासन को बोझिल बनाने के स्थान पर एक सरल तथा सुरूचिपूर्ण विषय के रूप में समझाने पर विशेष बल।
- ★ नोट्स - वैज्ञानिक तरीके से तैयार पूर्णतः संशोधित, परिमार्जित एवं परिवर्धित, (Pre. और Mains के लिए अलग-अलग) संदर्भ : 80 से 85 स्रोत;
- ★ **केवल हमारे नोट्स से प्रतिवर्ष UPSC (Pre.) में 112 से 115 प्रश्न तथा मुख्य परीक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक प्रश्न आए;**
- ★ Revision Notes - चार्ट के रूप में उपलब्ध कराने वाले एकमात्र शिक्षक;
- ★ हम देते हैं प्रत्येक क्लास का 40 प्रतिशत समय प्रश्न अभ्यास में और शेष समय विषय की बेहतर समझ एवं छात्रों की परिपक्व सोच को विकसित करने में।
- ★ इसके अतिरिक्त आप प्राप्त कर सकते हैं – प्रतियोगी वातावरण, कुशल परिचर्चा समूह, और भी...
- ★ **लोक प्रशासन हिन्दी माध्यम में परिणामों में भी सबसे आगे...**

Prakash Chandra
SDM Uttaranchal-2002

Arvind Kumar
UPSC-2003

A.P.S. Yadav
UPSC-2004

Virendra Kumar
Essay+Interview (A.C.)

Lokesh Lilhare
UPSC-2005

Pramod K. Dubey
Topper, UPPCS '04

रीतेश चौहान-लोक प्रशासन (यू.पी.एस.सी.-05) में हमारे संस्थान के अधिकतम अंक प्राप्तकर्ता-334 (प्रथम प्रश्न पत्र-178, द्वितीय प्रश्न पत्र-156)

## लोक प्रशासन ही क्यों? क्योंकि...

आप एक लोक प्रशासक बनने जा रहे हैं ;

- ★ परीक्षा की चुनौतियों एवं बदलती परिस्थितियों के अनुरूप एक अंकदायी विषय
- ★ भविष्य में सामान्य अध्ययन के अनिवार्य भाग के रूप में लोक प्रशासन को शामिल किए जाने की अधिकतम संभावना;
- ★ वर्तमान समय में भी अंकों के खेल में सबसे आगेः आपका अध्ययन 600 अंकों के लिए, लेकिन आप हल कर सकेंगे एक हजार से अधिक अंकों के प्रश्नः वैकल्पिक विषय - 600 + निबंध - 200 + G.S. (Polity) - 90 + G.S. (Social Problem) + G.S. Current Affairs + साक्षात्कार
- ★ प्रत्येक परीक्षार्थी द्वारा जिज्ञासावश भी अधिकांश सिलेबस का अध्ययन, जैसे - भर्ती, प्रशिक्षण, अलग कमेटी, वेतन एवं सेवा शर्तें आदि।

**JOIN FOUNDATION COURSE**

**MPPSC (Mains) के लिए विशेष बैच**

**New Batch (Delhi)**
**1st June, 2007**
Admission Open from 21th May

# लोक प्रशासन

**Mains के साथ-साथ**
**Pre. के लिये भी बेहतर विकल्प**

## 'अतुल लोहिया'

**शिक्षक, मार्गदर्शक और मित्र भी**

पत्राचार पाठ्यक्रम भी उपलब्ध

(पूर्णतः संशोधित, परिमार्जित एवं परिवर्धित कम्प्यूटराइज्ड नोट्स)

**MAINS - 2500/-**
**MAINS + PRE. - 3500/-**
डाक खर्च - 200/- अतिरिक्त
***Send DD/MO in favour of Atul Lohiya***

**New Batch (Allahabad)**
**2nd Week of June**
Admission Open from 21th May

# "PRABHA"

## AN INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION

DOUBTLESS KNOWLEDGE, DESIRELESS SERVICE
प्रा

**105, VIRAT BHAWAN (MTNL BLDG.), NEAR BATRA CINEMA, MUKHERJEE NAGAR, DELHI-110009**
**Phone : 27653498, 27655134, 32544250. Cell.: 9810651005 • e-mail: atulprabha@gmail.com**
**Branch : 305/250, COLONELGANJ, NEAR COLONELGANJ POLICE STATION, ALLAHABAD.**

YH/5/7/10

# पुनर्वास की जिम्मेदारी विकासकर्ता की

## विकास करने वाले पहले स्थानीय अधिकारियों की मंजूरी लें

विशेष आर्थिक क्षेत्रों और आर्थिक इकाइयों का विकास करने वालों को ऐसी परियोजनाएं शुरू करने से पूर्व अब ग्राम सभा जैसी स्थानीय संस्थाओं से मंजूरी लेनी पड़ सकती है। स्थानीय संस्थाओं द्वारा हामी भरने के बाद ही सरकार अंतिम मंजूरी देगी।

यह राष्ट्रीय पुनर्वास नीति (एनआरपी) का हिस्सा बन सकता है जिसे इस समय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किया जा रहा है। वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) का विकास करने वाले राज्य सरकार की राहत और पुनर्वास नीति के अनुसार विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिये पर्याप्त प्रावधान करेंगे।

पहले पुनर्वास की जिम्मेदारी केवल उस राज्य सरकार की होती थी जो ज़मीन के मालिकों से ज़मीन अधिग्रहित करती थी।

जब चारों ओर आलोचना शुरू हुई कि 'सेज' ज़मीन हड़पने का ही बदला हुआ नाम है तो वाणिज्य मंत्रालय ने सैद्धांतिक मंजूरी की वैधता को तीन वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर दिया। ऐसा करने का मकसद ज़मीन-जायदाद के व्यापार में लगे लोगों को 'सेज' से मिलने वाले लाभों से दूर रखना है। ज़मीन प्राप्त करने के बाद विकास करने वाले को तीन वर्ष के भीतर अंतिम अनुमति लेनी पड़ती है।

जिन मामलों में विस्थापित लोगों की संख्या नीति में उल्लिखित संख्या से कम होगी उन मामलों में ग्राम सभा से मंजूरी लेने की अनिवार्यता नहीं रह जाएगी।

जिन मामलों में विस्थापित लोगों की संख्या सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से ज्यादा होगी उन मामलों में राष्ट्रीय पुनर्वास नीति लागू होगी। इतना ही नहीं, हरेक औद्योगिक परियोजना शुरू करने से पहले लोगों को विस्थापित करने से पूर्व जनता की राय जानना भी अनिवार्य होगा।

प्रस्तावित नीति में कहा गया है कि विकासकर्ता को परियोजना से प्रभावित होने वाले ग्रामीणों, विशेषकर ग़रीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों और जनजातीय परिवारों से विस्तृत चर्चा करनी चाहिए और सभी प्रभावित लोगों को ऐसी परियोजनाओं की जानकारी देनी चाहिए।

इस जानकारी में दिए जाने वाले मुआवजे, विस्थापित होने वाले लोगों की वास्तविक संख्या और परंपरागत संसाधनों और पेशों को होने वाले नुकसान के बारे में भी बताया जाना चाहिए।

### भावी रूपरेखा

- यह नीति उन परियोजनाओं पर लागू होगी जिनमें विस्थापित लोगों की संख्या निर्धारित सीमा से अधिक हो।
- लोगों को विस्थापित करने से पूर्व जनता की राय जानना ज़रूरी होगा।
- पुनर्वास से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिये एक राष्ट्रीय पुनर्वास आयोग और एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा।

पुनर्वास नीति में विस्थापितों को फिर से बसाने के लिये निश्चित समय-सीमा तय की जाएगी ताकि अनावश्यक देर न हो। इस पैकेज़ में ज़मीन के मालिक किसान के अलावा भूमिहीन खेतिहर मज़दूरों और बटाईदारों का भी ध्यान रखा जाएगा।

इसके अलावा, विस्थापित लोगों को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिये सरकार राष्ट्रीय पुनर्वास आयोग और खास ट्रिब्यूनल बनाएगी ताकि औद्योगिक परियोजनाओं के कारण पैदा होने वाली पुनर्वास से जुड़ी समस्याओं को सुलझाया जा सके। इन औद्योगिक परियोजनाओं में वे परियोजनाएं भी शामिल हैं जो दो या दो से अधिक राज्यों में चलाई जा रही हैं।

किसी राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाली परियोजनाओं से जुड़े विवादों को राज्य स्तर के शिकायत निवारण आयोग द्वारा सुलझाया जाएगा और उसके बाद उसकी सुनवाई राष्ट्रीय आयोग करेगा।

पर्यावरण के प्रभाव का अनुमान लगाने के लिये पर्यावरण और वन मंत्रालय को दिए जाने वाले आवेदनपत्र में परियोजना तथा पुनर्वास योजना से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के आकलन के बारे में रिपोर्ट का जिक्र भी होगा। पहले भी अनेक केंद्रीय और राज्य सरकारों के जल और ऊर्जा परियोजना से जुड़े नियमों में दोबारा बसाने और पुनर्वास की समस्या को सुलझाने की कोशिश की गई थी।

वर्ष 2003 में जब ग्रामीण विकास मंत्रालय सार्वजनिक प्रयोजन से ज़मीन अधिग्रहित किए जाने के कारण लोगों के विस्थापन से जुड़ी पुनर्वास नीति को नया रूप दे रहा तब इन सभी बातों पर विचार किया गया। नीति के अनुसार, पुनर्वास का कार्य संबंधित राज्य सरकार और परियोजना को कार्यान्वित करने वाले अधिकारियों को साझा रूप में करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त उच्चत्तम न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि पुनर्वास का अर्थ प्रभावित लोगों को केवल रोटी, कपड़ा और मकान दिलाना ही नहीं है बल्कि उन्हें इस योग्य बनाना है कि वे अपनी जीविका कमा सकें और अच्छी सामाजिक सुविधाएं प्राप्त कर सकें। फिलहाल राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर कोई अधिकार प्राप्त राहत और पुनर्वास कार्यान्वयन प्राधिकरण (संस्था) नहीं है। ❑

# आयकर कानून : सरलीकरण की ओर बढ़ते कदम

❍ कृष्ण चन्द्र वर्मा

आयकर एक प्रत्यक्ष कर है, जो किसी व्यक्ति की गत वर्ष की प्राप्त या अर्जित की गई आय पर चालू वर्ष में प्रचलित आयकर की दरों से परिकलित किया जाता है। इससे जहां एक ओर सरकार को सार्वजनिक कल्याण पर व्यय करने हेतु आय प्राप्त होती है, वहीं दूसरी ओर समाजवादी समाज की संविधान की संकल्पना का सपना भी साकार होता है।

भारत में पहली बार आयकर सन् 1860 में 1857 के सैनिक विद्रोह के कारण हुई हानियों की पूर्ति करने के लिये सर जेम्स विलसन द्वारा लगाया गया था। सन् 1860 का आयकर अधिनियम ब्रिटिश आयकर अधिनियम पर आधारित था, जिसमें कृषि आय पर भी कर लगाने का प्रावधान था। पच्चीस वर्ष बाद 1886 में आयकर को सरकार की आय का एक प्रमुख स्रोत मानकर इसे स्थायी रूप देने के उद्देश्य से आयकर अधिनियम, 1886 पारित किया गया जिसमें कृषि आय को करमुक्त कर दिया गया तथा सभी प्रकार की आय कर योग्य मानी गई। सन् 1917 तक चलने वाले इस अधिनियम में आय श्रेणीयन तथा 50,000 रुपये से अधिक आय वाले करदाताओं पर अधिकर (सुपर टैक्स) लगाने की व्यवस्था थी।

आकस्मिक प्राप्तियों पर भी कर लगाने तथा 'अधिकर' को स्थायी बनाने के लिये आयकर अधिनियम 1918 पारित किया गया। किंतु सन् 1919 में भारत सरकार अधिनियम में आय को केंद्रीय सरकार का विषय बना दिया गया, अत: एक नया आयकर अधिनियम 1922 पास किया गया जिसमें 'गत वर्ष' की आय पर चालू वर्ष में कर-निर्धारण का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया तथा आय श्रेणीयन के स्थान पर खंड प्रणाली लागू की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत सरकार को हुए गंभीर वित्तीय संकट से उबारने के लिये कर की दरों में अत्यधिक वृद्धि की गई, जिससे कर-ढांचा चरमरा गया। अनेक संशोधनों के कारण यह अधिनियम भी 1960 तक अव्यावहारिक हो गया था, फलस्वरूप आयकर अधिनियम, 1961 पारित किया गया, जो 1 अप्रैल, 1962 से संपूर्ण भारत पर लागू है। इस अधिनियम में 298 धाराएं, 23 अध्याय एवं 12 अनुसूचियां हैं।

अनेक संशोधनों एवं परिवर्तनों के कारण वर्तमान आयकर अधिनियम, 1961 को अनेक विधि विशेषज्ञों तथा लेखापालकों ने 'विश्व का जटिलतम अधिनियम' तथा कर ढांचे को 'विश्व का जटिलतम कर-ढांचा' कहा है। भारत सरकार भी इस बात को अनुभव करती है, इसलिये उसने अनेक समितियों, चौकसी समिति, चेलैया समिति, केलकर समिति तथा अनेक विशेषज्ञ समूहों का समय-समय पर गठन किया तथा उनकी सिफ़ारिशों पर अनेक सरलीकरण योजनाएं लागू भी की गईं । परिणामस्वरूप वर्तमान समय के आयकर कानूनों की यदि पिछले दो दशक के कानूनों से तुलना की जाए तो अनेक ऐसे प्रावधान लाए गए हैं जिन्हें आम आदमी आसानी से समझ कर स्वयं अपने कर दायित्व का निर्धारण कर सकता है।

### सरलीकरण के मुख्य बिंदु

अब प्रत्येक करदाता एवं उसके प्रत्येक आय के स्रोत के लिये 'गत वर्ष' में एकरूपता लाई गई है। कर निर्धारण वर्ष 1989-90 से पूर्व एक ही करदाता के आय के अलग-अलग स्रोतों हेतु अलग-अलग 'गत वर्ष' हुआ करता था, यथा - दीवाली वर्ष, कैलेंडर वर्ष, दशहरा वर्ष/वित्तीय वर्ष, परिणामस्वरूप अवधि के अनुसार आय विवरण रखने एवं उन्हें प्रस्तुत करने की असुविधा को समाप्त किया गया। अब सभी आय विवरणों को वित्तीय वर्ष के आधार पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

मकान किराया भत्ता की कर मुक्तता के निर्धारण में 10 बड़े नगरों के अतिरिक्त 27 शहरों को विशेष दर्जा प्राप्त था जिसमें वाराणसी, इलाहाबाद, जयपुर, हैदराबाद जैसे शहर थे। अब केवल चार महानगरों को विशेष दर्जा प्राप्त है। शेष सभी स्थानों के लिये एक प्रकार का नियम लागू होता है।

'वेतन' शीर्षक के अंतर्गत मनोरंजन भत्ते की निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिये कर मुक्तता के प्रावधान को समाप्त कर जटिलता को कम किया गया। इस कटौती को स्वीकार करने में कई शर्तें एवं प्रतिबंध लागू होते थे। इसी प्रकार अनुलाभों, जैसे - गैस, बिजली पानी तथा घरेलू नौकरों की सुविधा का मूल्यांकन करने के लिये अब केवल नियोक्ता के द्वारा इन मदों पर किए गए वास्तविक भुगतान को आधार बनाया जाता है, न कि कर्मचारी के वेतन तथा उनके विभिन्न मदों के लिये अलग-अलग प्रतिशत को। अब धारा 16(i) की मानक कटौती संबंधी प्रावधान को समाप्त कर महिला-पुरुष कर्मियों के भेद तथा विभिन्न प्रतिशत एवं अधिकतम सीमा जैसी गणनात्मक जटिलता से मुक्ति मिल गई है।

'मकान संपत्ति' शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना की विधि अब एक जैसी होती है, चाहे वे रिहायशी उद्देश्य के लिये किराये पर उठे हों या व्यावसायिक। अब वार्षिक मूल्य

का निर्धारण भी सरल हो गया है। गत वर्ष से पूर्व इस शीर्षक में धारा 24 के अंतर्गत नौ प्रकार की कटौतियां - (मरम्मत पर व्यय, बीमा प्रीमियम, वार्षिक भार, भूमि का किराया, ऋण का ब्याज, भूमि का लगान, किराया वसूली के व्यय, मकान खाली रहने की छूट तथा अप्राप्त किराया) घटाई जाती थीं, परंतु अब इस धारा के अंतर्गत केवल दो कटौती (मानक कटौती वार्षिक मूल्य का 30 प्रतिशत तथा गृह-ऋण ब्याज) ही घटाई जाती है, फलत: संपत्ति से आय की गणना आसानी से की जा सकती है।

व्यवसाय एवं पेशे से आय की गणना में विगत वर्षों में धारा 32 के अंतर्गत ह्रास की दरों का समूहीकरण किया गया है। अमूर्त संपत्तियों को जहां अलग-अलग दर से अपलिखित करने के प्रावधान थे वहां अब सामान्य रूप में 25 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ह्रास घटाया जाता है। अब प्रदूषण नियंत्रण की तकनीकें अपनाने, ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने, शोध एवं अनुसंधान को प्रोत्साहित करने, पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने तथा संस्थाओं के आधुनिकीकरण हेतु आकर्षक छूटें प्रदान की जा रही हैं। पिछले वर्षों में दीर्घकालीन पूंजी-लाभ को करदाता की कुल आय से निकालकर इस राशि पर 20 प्रतिशत की दर से आय कर लगाने का प्रावधान किया गया है। पहले दीर्घकालीन पूंजी लाभों पर धारा 48(2) के अंतर्गत स्वीकृत की जाने वाली कटौती एक जटिल कार्य हुआ करती थी। इसके साथ ही धारा 80(टी) के अधीन अलग-अलग पूंजी संपत्ति रखने की अवधि के आधार पर लाभ का निर्धारण भी एक जटिल कार्य था। अब इन संपत्तियों पर ह्रास की गणना के लिये ब्लॉक या समूह पद्धति को अपनाया जाता है। अब दीर्घकालीन पूंजी संपत्तियों पर कर की एक ही दर लागू होती है।

इसी क्रम में आय के छह शीर्षकों को घटाकर कर निर्धारण वर्ष 1989-90 से समस्त आयों को पांच शीर्षक में रखा जाता है। वर्तमान समय में घरेलू कंपनियों का लाभांश गणना से मुक्त है। 'प्रतिभूति के ब्याज' का अलग शीर्षक समाप्त कर उसे आय के अन्य स्रोतों में शामिल कर लिया गया है।

अधिनियम की धारा 88, 88-ए, 88-बी, 88-सी, 88-डी, 88-ई, 80-ए, 80-बी, 80-सी तथा 80-सी सी इत्यादि को समाप्त कर धारा 80-सी में मिला दिया गया है। इसकी अधिकतम सीमा 1,10,000 रुपये कर दी गई है, जो सीधे आय से घटाने योग्य होती है। पहले धारा 88 के अंतर्गत किए जाने वाले निवेश पर अलग-अलग करदाताओं के लिये 20 या 15 प्रतिशत की कटौती की गणना करनी पड़ती थी।

इसी प्रकार कुल आय की गणना भी बेहद आसान कर दी गई है। जहां पहले व्यक्ति, संयुक्त हिंदू परिवार, सहकारी समिति, फर्म, कंपनी आदि के लिये अलग-अलग दरें लागू थीं और केवल व्यक्ति करदाता हेतु आय का नौ प्रखंड बनाकर 20 से 55 प्रतिशत तक की कर की दरें लागू थीं; वहीं अब सभी कर दाताओं के लिये केवल तीन दरें 10, 12 एवं 30 प्रतिशत लागू होती है। वस्तु कर की न्यूनतम और उच्चतम दरों को घटाकर 20 से 10 और 55 से 30 प्रतिशत कर दिया गया है। अब कोई भी करदाता अपनी आय की गणना करके कर दायित्व का निर्धारण स्वयं कर सकता है। निश्चय ही सरकार ने विभिन्न समितियों के कर सरलीकरण संबंधी सुझावों का पालन कर ईमानदार करदाताओं का उपकार किया है, किंतु अभी सरलीकरण के क्रम में निम्न कदम उठाए जाने की अपेक्षा है :

- करदाताओं की निवासीय स्थिति का निर्माण करने में विदेशी पर्यटकों को छोड़कर सभी व्यक्तियों के लिये अतिरिक्त शर्तें हटा दी जाए क्योंकि पिछले 10 वर्ष में भारत में निवासीय अवधि की गणना अव्यावहारिक प्रतीत होती है।
- वेतन की गणना में ग्रेच्युटी, छंटनी की क्षतिपूर्ति, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति, मकान किराया भत्ता, मकान अनुलाभ आदि के कर योग्य भाग का निर्धारण करने में वेतन की एक समान परिभाषा दी जाए। अभी तक इन मदों के निर्धारण में वेतन का आशय अलग-अलग होता है जिसके कारण गणना प्रक्रिया जटिल हो जाती है। ग्रेच्युटी, पेंशन, अवकाश नकदीकरण आदि अनेक मदों के लिये सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं गैर सरकारी कर्मचारियों के लिये अलग-अलग तरह के प्रावधान होने से वेतन निर्धारण में कठिनाई उत्पन्न होती है। यथासंभव प्रत्येक वर्ग के कर्मचारियों के लिये एक जैसे प्रावधान जटिलता को कम कर सकते हैं।
- पेंशन फंड तथा सभी प्रकार के प्रॉविडेंट फंडों में अनिवार्य रूप से किए जाने वाले अंशदानों की राशि सकल कुल आय की गणना से पहले ही घटाने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार कटौतियां हर कर्मचारी के लिये अनिवार्य होती है।
- संपूर्ण या आंशिक मकान संपत्ति का गत वर्ष की कुछ अवधि में स्वामी द्वारा प्रयोग तथा शेष अवधि के लिये किराये पर उठे होने की दशा में 'वार्षिक मूल्य' के निर्धारण नियमों को सरल बनाया जाना चाहिए।
- कर मुक्त पूंजी लाभ के पुनर्विनियोजन से संबंधित धारा 54, 54 बी, 54 सी, 54 डी, 54 ई, 54 एफ के अलग-अलग प्रावधानों के स्थान पर किसी भी पूंजी लाभ का किसी भी पूंजीगत संपत्ति में विनियोजन करने पर छूट का प्रावधान बनाकर विभिन्न उपधाराओं को समाप्त कर देना चाहिए।
- सरकार को स्रोतों पर कर की कटौती (टीडीएस) की परिधि को और अधिक बढ़ाना चाहिए तथा हर प्रकार के पारिश्रमिक, प्रोत्साहन, पुरस्कार आदि को इसके अंतर्गत लाना चाहिए, जिससे कर वंचना की प्रवृत्ति पर अपनेआप रोक लग जाएगी तथा राजस्व में भी वृद्धि होगी।
- वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन के युग में यद्यपि एक नये आयकर अधिनियम की आवश्यकता है, परंतु अल्प काल में उपर्युक्त परिवर्तन, आयकर अधिनियम 1961 को अधिक प्रभावशाली बनाने में सहायक हो सकते हैं। ❑

(लेखक वाणिज्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ओबरा-सोनभद्र के वाणिज्य विभाग में रीडर हैं)

# SAROJ KUMAR'S IAS ERA

## IAS/PCS - 2007-08

GEOGRAPHY & GENERAL STUDIES - (P.T.&Mains) WITH

## SAROJ KUMAR

IN हिन्दी / ENGLISH MEDIUM

## Our IAS Toppers

PCS TOPPER - U.P., M.P., Raj.,Uttranchal, Haryana, Bihar

**Free workshop with SAROJ KUMAR** हिन्दी & Eng. Medium

| | | |
|---|---|---|
| 13th June, 2007 | Geog. (Mains) | 10.30 AM |
| 14th June, 2007 | Geog. (P.T.) | 10.30 AM |
| 15th June, 2007 | G.S. (Mains) & Essay | 10.30 AM |
| 16th June, 2007 | G.S. (P.T.) | 10.30 AM |

### HIGHEST MARKS

| G.S. Marks 2005 | | Geog. Marks | Interview Marks |
|---|---|---|---|
| Krishan Kumar Nirala 360 | Manoj Kumar Sharma 358 | R. Kumari (Eng. Med.) 426 | Abhey Kumar, IAS 2004 240 |
| Premvir Singh 338 | Deepak Rawat 323 | H.Meena (Hindi Med.) 362 | Sanjay Aggarwal, IAS 2002 226 |

## FOUNDATION COURSE WITH SAROJ KUMAR

Geog. (P.T.& Mains)/ G.S. (P.T. & Mains)/Essay & Interview Guidance Programme

- Postal Course for Geog. (P.T. & Mains), G.S. (P.T.& Mains) & Sociology (Mains) हिन्दी & Eng. Medium
- Test Series Programme throughout the year for Geog. (P.T.& Main) + G.S. (P.T. & Mains) & History (P.T. & Mains)
- Essay Guidance Programme + Comp. Hindi & English
- Mains Special Classes for Geog. (Main) & G.S. (Mains) = 1½ months
- P.C.S. Special classes for U.P., M.P., Chhatti., Jhar., Raj., Bihar, Uttran. etc.

***Batch Starts :-***

***5th May, 25th May, 30th May, 5th June, 20th June & 5th July 2007***

Contact

DR. VEENA SHARMA

SAROJ KUMAR'S IAS ERA

1/9, Roop Nagar, G.T. Karnal Road, Near Shakti Nagar Red Light,

Above P.N.B., Delhi-110007 Ph.: 011-64154427 Mob. : 9910360051, 9910415305

YH/5/7/5

# वादों-इरादों के बीच आशा की किरणें

## दक्षेस देशों ने दोहराया आतंकवाद से निपटने का संकल्प

14वें दक्षेस शिखर सम्मेलन के समापन पर आठों सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिये पहले के सम्मेलनों में घोषित संकल्प दुहराए हैं और आतंकवादी संगठनों द्वारा धन इकट्ठा करने पर रोक लगाने का संकल्प व्यक्त किया है। दक्षेस नेताओं ने आपराधिक मामलों में एक-दूसरे को कानूनी सहायता देने पर एक संधि करने का इरादा जताया है। इन घोषणाओं से आतंकवाद को लेकर भारत की चिंताएं काफी हद तक दूर होंगी। सम्मेलन में आठ पृष्ठ का घोषणापत्र स्वीकार किया गया जिसमें ग़रीबी, आतंकवाद और संगठित अपराध को क्षेत्रीय सुरक्षा और शांति के लिये ख़तरा मानते हुए संकल्प लिया गया कि दक्षेस को घोषणाओं के दौर से निकाल कर क्रियान्वयन की धरातल दी जाएगी।

इसके अलावा साफ्टा जैसे व्यापारिक सहयोग के समझौते को ज़मीन पर उतारने की उम्मीदों के साथ दक्षेस नेताओं ने इसमें नया आयाम जोड़ते हुए पहली बार आम जनता के जीवन को छूने वाली मौलिक समस्याओं - पानी, बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा, खाद्य और पर्यावरण के क्षेत्र में आपसी सहयोग के लिये अगले छह महीने में ठोस योजना तैयार करने का इरादा व्यक्त किया।

सम्मेलन में पहले की तरह ग़रीबी मिटाने की घोषणा और योजनाएं दुहराई गईं, लेकिन ठोस कदम के रूप में पहली बार फूड बैंक की स्थापना की संधि आठों सदस्य देशों ने की। सार्क के सदस्य देशों के लिये भारत में एक विश्वविद्यालय खोलने पर भी आठों देश के विदेश मंत्रियों ने शिखर नेताओं के सामने समापन समारोह में दस्तखत किए। दक्षेस नेताओं ने साल 2008 को सुशासन का साल मनाने का ऐलान किया। अध्यक्ष देश के नाते प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सार्क घोषणापत्र को समापन समारोह में जारी किया। उन्होंने अपने भाषण में सार्क विकास कोष और सार्क मध्यस्थता परिषद की स्थापना पर भी सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के दूसरे दिन भोजन के अवसर पर शिखर नेताओं की आपसी बातचीत से यह भरोसा पैदा होता है कि सार्क के फल जल्द ही आम लोगों को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि पानी, ऊर्जा, खाद्य और पर्यावरण की समस्या को चूंकि सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता, इसलिये इनसे संबंधित परियोजनाओं को ज़मीन पर उतारने के लिये अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की मदद ली जाएगी।

सार्क घोषणापत्र में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार संधि (साफ्टा) को सभी देशों द्वारा पूरी तरह लागू करने की आशा व्यक्त की गई है।

सभी सार्क नेताओं ने हर संभव तरीके से आतंकवाद से निपटने के लिये प्रतिबद्धता दुहराई। खासकर आतंकवाद को वित्तीय मदद रोकने और इस इरादे से कोष इकट्ठा करने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने का भी संकल्प व्यक्त किया गया। सार्क नेताओं ने आपराधिक मामलों में एक-दूसरे को कानूनी सहायता देने के लिये संधि का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से श्रीलंका में बैठक पर सहमति दी है। मालदीव में होने वाले अगले सार्क शिखर सम्मेलन के पहले इस पर एक संधि-बैठक करने पर भी सहमति हुई।

शिखर सम्मेलन के पहले दिन भारत ने सदस्य देशों के लिये अनेक एकतरफा उदार घोषणाएं कीं। इनमें दक्षेस देशों के शिक्षकों, छात्रों, पत्रकारों और मरीजों को उदार वीजा देना तथा भारतीय बाज़ार में सबसे कम विकसित देशों को शुल्क मुक्त प्रवेश देना प्रमुख है।

इन घोषणाओं के साथ दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (दक्षेस) का 14वां शिखर सम्मेलन नयी दिल्ली में संपन्न हुआ।

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने दक्षेस देशों की राजधानियों को सीधी उड़ान सेवा से जोड़ने का प्रस्ताव किया। उन्होंने इस साल के अंत तक दक्षिण एशिया के सबसे कम विकसित देशों के सामान को भारतीय बाज़ार में शुल्क मुक्त प्रवेश देने का ऐलान भी किया। भारत अपने लिये ऐसी ही छूट समूह के दूसरे देशों से प्राप्त करने पर ज़ोर नहीं देगा। इन देशों के लिये व्यापार की संवेदनशील सूची को और भी कम करेगा। प्रधानमंत्री ने दक्षिण एशिया में खाद्य सुरक्षा के लिये दक्षेस खाद्य बैंक बनाए

### 14वें दक्षेस शिखर सम्मेलन की मुख्य बातें

### घोषणापत्र की खास बातें

- खाद्य सुरक्षा के लिये सार्क फूड बैंक का प्रस्ताव मंजूर।
- आतंकवाद की विस्तार से चर्चा, बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाने की कड़ी निंदा।
- नशीली दवाओं का व्यापार और हथियारों की तस्करी रोकने के लिये कड़ी निगरानी रखने का वादा।
- आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिये सेवा, निवेश संवर्द्धन और संरक्षण क्षेत्रों से जल्द समझौतों पर सहमति।
- भ्रष्टाचार से निपटने के लिये सूचनाओं के आदान-प्रदान पर भी सदस्य देश राजी।

# ग़रीबी के ख़िलाफ लड़ाई : भारतीय गांवों की हालत बेहतर

भारत में 15 वर्ष पहले शुरू किए गए आर्थिक सुधारों को अच्छी-खासी सफलता मिली है। योजना आयोग का अनुमान है कि देशभर में ग़रीबी कम हुई है। वर्ष 1993-94 में ग़रीबी का प्रतिशत 36 था जो वर्ष 2004-05 में घटकर 27.5 प्रतिशत हो गया है। इस अनुमान का आधार 30 दिनों तक किया गया सर्वेक्षण है जिसमें खपत के बारे में आंकड़े जुटाए गए थे। इस अवधि को समान रिकॉल अवधि (यूआरपी) कहा गया है। ये आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा जून-जुलाई 2004, 2005 के बीच घरेलू खपत व्यय के लिये किए गए बड़े नमूना सर्वेक्षण से लिये गए थे।

## अच्छे दिन

**समान रिकॉल अवधि (यूआरपी) पर आधारित ग़रीबी अनुमान**

| | वर्ष | |
|---|---|---|
| | 1993-94 प्रतिशत में | 2004-05 प्रतिशत में |
| ग्रामीण | 37.3 | 28.3 |
| शहरी | 32.4 | 25.7 |
| कुल | 36.0 | 27.5 |

**समान रिकॉल अवधि (यूआरपी) पर आधारित ग़रीबी अनुमान**

| | 1999-2000 | 2004-05 |
|---|---|---|
| ग्रामीण | 27.1 | 21.8 |
| शहरी | 23.6 | 21.7 |
| कुल | 26.1 | 21.8 |

इसी प्रकार के एक दूसरे अनुमान में कभी-कभी खरीदी जाने वाली वस्तुएं जैसे - कपड़े, जूते-चप्पल और ज्यादा दिन तक चलने वाले सामान शामिल किए गए हैं। इस अनुमान में 365 दिन की अवधि को इस्तेमाल का आधार बनाया गया है। इस अवधि को मिश्रित रिकॉल अवधि (एमआरपी) कहा गया है। इस अध्ययन से पता चलता है कि 1999-2000 में ग़रीबी का स्तर 26.1 प्रतिशत से घट कर 2004-05 में 21.8 प्रतिशत रह गया है।

इसमें सबसे चौंकाने वाली बात जो बात सामने आई है वह यह है कि ग्रामीण इलाकों में ग़रीबी ज्यादा कम हुई। यूआरपी अनुमानों से पता चलता है कि ग्रामीण इलाकों की ग़रीबी में 9 प्रतिशत की कमी आई है जबकि शहरी इलाकों की ग़रीबी में केवल 6.7 प्रतिशत की कमी आई है। वर्ष 1993-94 में गांवों में ग़रीबी का स्तर 37.3 प्रतिशत था जो 9 प्रतिशत घटकर वर्ष 2004-05 में 28.3 प्रतिशत रह गया है, जबकि इसी अवधि में शहरों में ग़रीबी का स्तर 32.4 से घटकर 25.7 प्रतिशत ही हुआ है। हाल के वर्षों में प्राप्त उपलब्धियां उल्लेखनीय है।

वर्ष 1999-2000 से 2004-05 के एमआरपी अनुमानों से स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग़रीबी का स्तर 5.3 प्रतिशत गिरकर 21.8 प्रतिशत तक पहुंच गया जबकि शहरों में यह कभी आधा प्रतिशत से भी कम या 1.9 प्रतिशत थी।

एक अन्य उल्लेखनीय बात यह है कि यूआरपी अनुमानों के अनुसार आतंकवाद से पीड़ित जम्मू-कश्मीर राज्य में ग़रीबी सबसे कम (5.4 प्रतिशत) रह गई है। परंतु यूआरपी में दिए गए क्रम के अनुसार चंडीगढ़ सबसे ऊपर पहुंच गया जहां ग़रीबी का स्तर केवल 3.8 प्रतिशत रह गया है। इस प्रकार जम्मू-कश्मीर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है।

सबसे ज्यादा ग़रीबी की मार वे क्षेत्र झेल रहे हैं जहां की जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत काफी ज्यादा है। एमआरपी अनुमानों के मुताबिक उड़ीसा (39 प्रतिशत), झारखंड (34.8 प्रतिशत), बिहार (32.5 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (32.4 प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ (32 प्रतिशत) में ग़रीबी का स्तर बहुत ऊंचा है। ❑

जाने की भी घोषणा की।

डॉ. सिंह ने दक्षिण एशिया को आतंकवाद से मुक्त करने का आह्वान किया जबकि श्रीलंका के राष्ट्रपति महेंद्र राजपक्षे ने इस चुनौती से निपटने के लिये संयुक्त रणनीति बनाने पर ज़ोर दिया। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई ने भी इस समस्या से मिलजुल कर निपटने की बात कही। पाकिस्तान ने क्षेत्र में राजनीतिक विवादों की शांतिपूर्ण बातचीत से समाधान की वकालत की।

शिखर सम्मेलन में चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, अमरीका और यूरोपीय संघ ने पर्यवेक्षक के रूप में हिस्सा लिया जबकि ईरान को इसी शिखर सम्मेलन में पांचवें पर्यवेक्षक का दर्ज़ा दिया गया।

मालदीव के राष्ट्रपति मामून अब्दुल गय्यूम ऐसे अकेले दक्षिण एशियाई नेता हैं जिन्होंने ढाका में दक्षेस की दिसंबर 1985 में हुई पहली बैठक से अब तक अभी 14 शिखर बैठकों में हिस्सा लिया है। यह जानकारी स्वयं 70 वर्षीय श्री गय्यूम ने शिखर बैठक में दी। इस प्रकार श्री गय्यूम दक्षेस के सबसे वरिष्ठ नेता बन गए हैं।

### अफगानिस्तान शामिल

सम्मेलन की शुरुआत अफगानिस्तान को दक्षेस परिवार में शामिल करने संबंधी संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर से हुई। ❑

# ख़बरों में

- **रेपो दर में 0.25 प्रतिशत और सीआरआर में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि**

महंगाई पर काबू पाने के लिये एहतियाती कदम उठाते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने रेपो दर और कैश रिज़र्व अनुपात (सीआरआर) में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। पिछले चार महीने के दौरान आरबीआई ने तीसरी बार सीआरआर में बढ़ोतरी की है। जनवरी 2006 से अब तक आरबीआई छह बार रेपो दर में बढ़ोतरी कर चुका है।

रेपो रेट को 0.25 फीसदी बढ़ाकर 7.25 फीसदी कर दिया गया है। इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। सीआरआर में 0.5 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है, यह दो चरणों - 14 और 28 अप्रैल से लागू हो गया है। इस प्रकार सीआरआर 6 फीसदी से बढ़कर 6.5 फीसदी हो गई है।

रेपो रेट में बढ़ोतरी से बैंकों के लिये नकदी जुटाना महंगा हो जाएगा। ऋण देने के लिये यदि उनके पास पर्याप्त नकदी नहीं है तो नकदी रिज़र्व बैंक से लेना होगा और इसके लिये उन्हें 7.75 फीसदी की दर से ब्याज अदा करना पड़ेगा। इससे बैंकों पर दबाव बढ़ेगा जिससे ऋण महंगा करना उनकी मज़बूरी हो जाती है। नकदी की किल्लत होने पर मांग और आपूर्ति के सामान्य नियम से बाज़ार से नकदी उठाना महंगा होगा। नतीज़तन बैंकों पर ब्याज दर बढ़ाने का दबाव बढ़ेगा।

- **गैस परियोजना आगे बढ़ाने पर भारत-पाक सहमत**

भारत और पाकिस्तान पटरी से उतरी ईरान-पाकिस्तान-भारत पाइपलाइन योजना के प्रस्ताव को फिर से आगे बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। दोनों देश एक-दूसरे की जेल में बंद कैदियों के मामलों की समीक्षा कर उनकी रिहाई संभव बनाएंगे। इसके साथ, पाकिस्तान ने भारतीय मछुआरों से पकड़ी समुद्री नौकाओं को छोड़ने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर अपनी सहमति जताई है।

दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क भी बढ़ेंगे। सार्क शिखर सम्मेलन के व्यस्त कार्यक्रम से हटकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शौकत अजीज की भारतीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह से हुई मुलाकात में इस आशय की सहमति बनी। दोनों प्रधानमंत्रियों के संवाद में कश्मीर और आतंकवाद के अलावा तेल और ऊर्जा से जुड़े विषय अहम रहे। पाकिस्तान ने ईरान-भारत गैस पाइपलाइन पर संवाद प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर अपनी सहमति दे दी है।

- **विश्वविद्यालयों में लागू होगा समान शिक्षा सत्र**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में समान शिक्षा सत्र लागू करने का फैसला किया है। आयोग ने घोषणा की कि अब प्रथम वर्ष के छात्रों के लिये शिक्षण संस्थान पेशेवर पाठ्यक्रमों को छोड़कर अन्य सभी कोर्सों को अगस्त के प्रथम सप्ताह से पहले शुरू नहीं करेंगे। जाहिर तौर पर इसका उद्देश्य यह है कि छात्रों को अपनी पसंद के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिये पर्याप्त समय मिल सके। कई राज्यों में इंटर के परीक्षा परिणाम जुलाई के बाद भी आते हैं जब कॉलेजों का शिक्षा सत्र शुरू भी हो गया होता है। दूसरे वर्ष के छात्रों के लिये सत्र जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू करना होगा। सभी कक्षाओं के परीक्षा के नतीज़े देर से जून के अंतिम सप्ताह तक घोषित करने होंगे। पेशेवर पाठ्यक्रमों के मामले में आयोग ने प्रोजेक्ट वर्क, ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रमों और इंटर्नशिप की ज़रूरतों को देखते हुए दो सप्ताह की छूट दी है। आयोग के एक बयान के मुताबिक यह फैसला सभी विश्वविद्यालयों पर लागू होगा, चाहे उनका गठन केंद्र के कानून के तहत हुआ हो या राज्य के।

बयान के मुताबिक ये नये दिशानिर्देश सरकारी गजट में प्रकाशित होते ही लागू हो जाएंगे। यूजीसी ने यह फैसला चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति प्रोफेसर एन. आनंदकृष्ण की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति की सिफ़ारिश पर किया। गत 26 फरवरी को सौंपी अपनी रिपोर्ट में समिति ने कहा था कि अमरीका और यूरोप की तर्ज़ पर देश में सभी विश्वविद्यालयों के लिये एक समान शिक्षा सत्र लागू किया जाना चाहिए।

- **न्यायमूर्ति राजेंद्र एस.बाबू राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष बने**

न्यायमूर्ति डा. राजेंद्र एस. बाबू ने गत 2 अप्रैल को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। आयोग में अध्यक्ष का पद नवंबर 2006 से रिक्त था। राजेंद्र बाबू ने कार्यवाहक अध्यक्ष शिवराज वी. पाटिल से पदभार ग्रहण किया। न्यायमूर्ति बाबू देश के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर भी काम कर चुके हैं। कर्नाटक विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री लेने वाले न्यायमूर्ति बाबू 1988 में कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए। वर्ष 1997 में वे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने। जून 2004 में वह मुख्य न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुए। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले दिए जो सिविल, क्रिमिनल व संवैधानिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण थे। उन्होंने स्वर्गीय इंदिरा गांधी की हत्या के संदर्भ में सिख विरोधी दंगों के मामलों का विश्लेषण भी किया। मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 के प्रावधानों की व्याख्या की। इस नियुक्ति से पूर्व वह नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया

यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे।

- **व्यापार सहयोग में सबसे पिछड़े हैं सार्क देश**

विश्व बैंक ने सार्क देशों को कहा है कि इनके बीच व्यापार को लेकर जितना असहयोग है, वैसा उदाहरण विश्व के किसी दूसरे हिस्से में मिलना मुश्किल है। भारत व पाकिस्तान का उदाहरण देते हुए विश्व बैंक ने कहा है कि दोनों देशों के बीच नौ अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार होने की संभावना है, लेकिन होता है केवल एक अरब डॉलर का और इस व्यापार का अधिकांश हिस्सा सीधे नहीं होता बल्कि दुबई के जरिये होता है।

इसी तरह से द्विपक्षीय व्यापार पर बांग्लादेश के अड़ियल रवैये की तरफ परोक्ष तौर पर इशारा करते हुए विश्व बैंक ने कहा है कि भारतीय सीमा पर हजारों ट्रक खड़े रहते हैं। इन ट्रकों में बांग्लादेश को आपूर्ति की जाने वाली वस्तुएं भरी होती हैं, इसके बावजूद इन्हें आसानी से प्रवेश की अनुमति नहीं मिलती। विश्व बैंक ने यह भी कहा है कि सार्क देशों में एक-दूसरे के साथ व्यापार करना विश्व में सबसे महंगा सौदा साबित हो सकता है।

- **50 पत्रकारों को सार्क का विशेष स्टीकर**

सार्क देशों के विदेश मंत्रियों ने हर देश के 50 पत्रकारों को सार्क का विशेष स्टीकर जारी करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। प्रस्ताव के तहत पत्रकार संसद सदस्यों की तरह बिना किसी रोकटोक व वीजा के सार्क देशों की यात्रा कर सकेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय स्तर पर यह सहमति बन गई है कि दिल्ली व इस्लामाबाद में कार्यरत पत्रकारों की संख्या 2 से बढ़ाकर 10 कर दी जाए। सर क्रीक पर संयुक्त नक्शा तैयार कर लिया गया है।

- **महाश्वेता देवी को दक्षेस साहित्य पुरस्कार**

बांग्ला की जानी-मानी उपन्यासकार महाश्वेता देवी को तीन अप्रैल को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संघ (दक्षेस) साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महाश्वेता जी को यह पुरस्कार राजधानी में गत तीन-चार अप्रैल को आयोजित 14वें दक्षेस शिखर सम्मेलन के साथ ही शुरू हुए दक्षिण एशियाई देशों के साहित्यकारों के दो दिवसीय सम्मेलन में प्रदान किया गया।

साहित्यकारों के इस सम्मेलन का विषय 'शब्द संस्कृति और पहचान : दक्षिण एशिया संवाद' रखा गया था।

- **योही सासाकावा को गांधी पुरस्कार**

कुष्ठ निवारण अभियान के लिये निप्पॉन फाउंडेशन के अध्यक्ष जापान के योही सासाकावा को वर्ष 2006 का अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने श्री सासाकावा को महाराष्ट्र के वर्धा में यह पुरस्कार दिया।

- **द्रविड़ की कप्तानी बरकरार**

विश्व कप में खराब प्रदर्शन के बावजूद राहुल द्रविड़ को बांग्लादेश दौरे के लिये भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान बरकरार रखा गया है। भारतीय क्रिकेट टीम इसी महीने बांग्लादेश का दौरा करेगी। बोर्ड ने रवि शास्त्री को बांग्लादेश दौरे के लिये भारतीय क्रिकेट टीम का मैनेजर नियुक्त किया तथा बांग्लादेश दौरे के लिये युवा टीम भेजने का फैसला भी किया। भारतीय क्रिकेट टीम को सुधारने के लिये बोर्ड ने कई कड़े कदम उठाए हैं। उसने न सिर्फ़ खिलाड़ियों के भुगतान की अनुबंध पद्धति को रद्द कर दिया है बल्कि क्षेत्रीय आधार पर चयन प्रक्रिया को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया है। इसके अलावा निवर्तमान कोच ग्रेग चैपल से अघोषित वाकयुद्ध के दौरान मीडिया में बयानबाजी के लिये सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। पूर्व तेज़ गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद को गेंदबाजी और रॉबिन सिंह को क्षेत्ररक्षण का कोच बनाया गया है। मीडिया से बातचीत और विज्ञापनों को लेकर भी कई फैसले किए गए हैं।

प्रत्येक खिलाड़ी के विज्ञापनों की संख्या तीन तक सीमित कर दी गई है। इसके अलावा अब कोई भी प्रायोजक एक उत्पाद के विज्ञापन के लिये दो से ज्यादा खिलाड़ियों को अनुबंधित नहीं कर सकेगा। बोर्ड के कोषाध्यक्ष एन. श्रीनिवासन ने एक प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि भुगतान की मौजूदा अनुबंध प्रणाली को रद्द करते हुए बोर्ड ने प्रति मैच भुगतान की व्यवस्था फिर लागू कर दी है। निवर्तमान कोच ग्रेग चैपल के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि चैपल ने बोर्ड को बताया था कि वे अपने अनुबंध का नवीकरण नहीं कराना चाहते और भारतीय टीम के कोच के रूप में हर तरह के दबाव झेलने के बाद अब कुछ समय के लिये क्रिकेट से ब्रेक चाहते हैं।

श्रीनिवासन ने बताया कि यह भी फैसला किया गया कि खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा घरेलू टूर्नामेंट खेलेंगे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में भारत 'ए' टीम के दौरों में इजाफ़ा किया जाएगा। सात पूर्व कप्तानों - मंसूर अली खान पटौदी, चंदू बोर्डे, सुनील गावसकर, श्रीनिवास वेंकटराघवन, कपिल देव, रवि शास्त्री और के. श्रीकांत और बोर्ड के पदाधिकारियों की सदस्यता में एक क्रिकेट सलाहकार समिति भी बनाई गई है। दो साल के लिये एक स्थायी मैनेजर की नियुक्ति का भी फैसला किया गया है। प्रदर्शन के आधार पर भुगतान पर श्रीनिवासन ने कहा कि हर मैच और हर टुर्नामेंट में फीस दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी राज्य-संघों को क्रिकेट अकादमियां शुरू करने का भी निर्देश दिया गया है।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की कार्यसमिति ने कुछ कठोर फैसले भी लिये हैं। मुंबई में हुई दो दिवसीय बैठक के दूसरे दिन सबसे महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए खिलाड़ियों का अनुबंध खत्म कर दिया।

अब खिलाड़ियों को खेलने पर ही पैसे मिलेंगे और जीत दिलाने पर ही बोनस से नवाज़ा जाएगा। यानी अब मैच फीस के तौर पर उन्हें 1.60 लाख रुपये की जगह एक लाख रुपये ही मिलेंगे। बोर्ड ने उनकी जेब में और सेंध लगाते हुए उनकी व्यावसायिक गतिविधियों पर भी लगाम कस दी है। अब वे किसी भी मैच से दो सप्ताह पहले तक ही कोई कमर्शियल शूट कर पाएंगे। यह गाज खासतौर पर सीनियर खिलाड़ियों पर गिरी है। ❑

# वक़्त के पाबंद बनिए

○ ज़ियाउर रहमान जाफ़री

मंथन

एक कंजूस व्यापारी ने दिन-रात एक कर तीन सौ करोड़ सोने के सिक्के कमाए। उसने ज़िंदगीभर सोचा ही नहीं कि एक दिन उसे मौत भी आएगी। एक दिन मौत सामने आ गई और कहने लगी - चलो वक़्त हो गया है। अरे, अभी कैसे? व्यापारी बोला - अभी तो मैंने पैसे कमाए हैं, उसे ख़र्च कर ज़िंदगी का मज़ा लेने दो। मौत ने कहा - कुछ नहीं, वक़्त हो गया है। व्यापारी ने कहा - मुझे एक साल की मोहलत दे दो और उसके बदले में एक करोड़ सोने के सिक्के ले लो। मौत ने कहा- बकवास मत करो, वक़्त हो गया है, चलो। व्यापारी ने वक़्त कम करने के साथ क़ीमत बढ़ानी शुरू कर दी, पर बात न बनी। थककर उसने कहा, मुझे एक पंक्ति लिखने दो, फिर मैं चलूंगा। मौत राज़ी हुई। व्यापारी ने लिखा - "वक़्त की क़ीमत जानते हुए ज़िंदगी का हर पल जीओ। मैं तीन करोड़ सोने के सिक्के में भी एक घंटा न ख़रीद सका।"

इसलिये कहा गया है कि समय बड़ा बलवान है और यह भी कि जिसने समय को बर्बाद किया समय ने उसे बर्बाद किया। चाहे चंद्रमा हो, सूर्य हो, तारे हों, ग्रह या उपग्रह हों, सभी अपने समय से उदय या अस्त होते हैं, अथवा परिक्रमा करते हैं। किसी महान पुरुष का पहला लक्षण समय की प्रतिबद्धता होती है। हमारे सामने टिक-टिक करती घड़ी हर क्षण यही कहती है कि समय की महत्ता को समझिए। जो पल गुज़र जाता है वह लौट कर कभी नहीं आता। प्राचीन काल में शिष्य जब गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने जाते थे तो सबसे पहले उन्हें वक़्त का पाबंद बनाया जाता था। समय से सोना, समय से जागना, व्यायाम करना, गुरु सेवा, पूजा-पाठ, अध्यवसाय सब का समय नियत होता था। यहां तक कि एक समय के बाद उसे गृहस्थ जीवन में प्रवेश दे दिया जाता था।

अत: हमें चाहिए कि हम समय के पाबंद बनें। छात्र जीवन में तो यह और भी ज़रूरी है। कारगर योजना बनाकर, सच्चे मन से समय के साथ जो काम किया जाता है, उसमें सफलता अवश्य मिलती है। विदुर नीति है : दिनभर में ही वह कार्य कर लें जिससे रात में सुखी रह सकें, और आठ महीने में वह कार्य कर लें, जिससे वर्ष के चार महीने सुख से व्यतीत कर सकें। इस संबंध में चाणक्य का यह कथन भी स्मरणीय है कि जीवन का एक पल भी व्यर्थ गंवाना पाप है।

स्वतंत्रता की लंबी लड़ाई में भारत के न जाने कितने सपूतों को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। गांधीजी, नेहरूजी, सुभाषचंद्र, मोतीलाल जैसे महान नेता कितनी ही दफ़ा जेल गए, लेकिन जेल में रह कर भी उन्होंने अपना समय नहीं गंवाया, बल्कि इस दौरान उन्होंने विश्व को कई अमूल्य कृतियां दीं। पंडित नेहरू ने अपनी सर्वोत्तम कृतियों- *आत्मकथा* एवं *भारत की खोज* का प्रणयन जेल जीवन में ही किया।

एल.ई. लंडन ने ज़ोर देकर कहा है कि जो व्यक्ति अधिक व्यस्त रहता है, वह कभी दुखी नहीं होता।

याद रखिए अपने काम को कल पर टालने वाला स्वयं भी जीवन में टलता रहता है। इसलिये निर्गुणवादी संत कवि कबीर कल के काम को आज और आज के काम को अभी कर लेने की सलाह देते हैं। विश्वास कीजिए जब हम किसी काम को पूरे मन और लगन के साथ करते हैं तो ईश्वर भी हमारी सहायता करता है। पवित्र ग्रंथ *कुरआन* के एक आयत का अर्थ है कि जब तुम ख़ुदा की तरफ एक क़दम बढ़ाते हो, तो अल्लाह दस क़दम बढ़ाता है।

ईश्वर की बनाई सारी सृष्टि समय का पालन करती है, फिर वह कैसे चाहेगा कि उसकी सर्वोत्तम कृति मानव लापरवाह बना रहे। अमृतवचन है कि उद्यम करने वाले सिंह के समान पुरुष को लक्ष्मी स्वयं प्राप्त हो जाती है। भाग्य ही सब कुछ देता है, ऐसा पुरुषार्थहीन मनुष्य ही कहते हैं। भाग्य की उपेक्षा कर के अपनी शक्ति के अनुसार निरंतर पुरुषार्थ करना चाहिए। एक बड़ी सार्थक लोकोक्ति है - ख़ाली दिमाग शैतान का घर है। इसलिये दिमाग़ में शैतान को बसाने से बचाइए। एक बार चाणक्य के शिष्य ने चाणक्य से कहा, आपके आदमी आपका साथ छोड़कर राक्षस से जा मिले हैं। तब चाणक्य ने कहा, सभी को जाने दो - *मा यातु बुद्धिर्मिम* अर्थात एक मेरी बुद्धि न जाए।

जीवन सुख-दुख दोनों की आंख-मिचौनी है। हमारी बुद्धिमत्ता इसी में है कि दुख के समय अपना धैर्य न खोएं और साहस के साथ सुख के समय की प्रतीक्षा करें। *यजुर्वेद* का स्पष्ट मानना है कि आलस्य दरिद्रता का मूल है।

हज़रत मुहम्मद की उक्ति है, हर रोज़ सुबह उगने वाला सूरज यही कहता है कि मैं कल फिर लौट कर आऊंगा।

वक़्त हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, जिसने इस पूंजी के साथ खिलवाड़ किया उसका पतन भी तय है। विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है। एल.ई. लंडन की राय है कि कुछ न कुछ जानकारी नियमपूर्वक नित्य एकत्र कीजिए। रोज़ प्रयोग में आने वाली चाबी चमकदार बनी रहती है और रखी हुई चाबी में जंग लग जाता है। तभी तो कहा गया है कि गुज़रे वक़्त को भूल जाओ और आने वाले समय का हर क्षण उपयोग करो। देखोगे सफलता तुम्हारे क़दम चूम रही है। ❑

# तंबाकू से प्रतिवर्ष एक लाख लोग मरते हैं

❍ हरनारायण महाराज

रोगों के पैदा होने का प्रमुख कारण है, गलत खानपान। अर्थात खानपान में स्वास्थ्य की उपेक्षा करना, ऐसे पदार्थों का सेवन करना, जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। अस्वास्थ्यकर पदार्थों में तंबाकू तथा तंबाकू के उत्पाद प्रमुख हैं।

एक सर्वेक्षण से पता चला है कि जो लोग तंबाकू व तंबाकू से बने पदार्थों का सेवन नहीं करते उनकी आयु 75 से 95 वर्ष के मध्य होती है तथा उक्त पदार्थों का सेवन करने वाले लोगों की आयु 50 से 70 वर्ष के मध्य होती है। यही नहीं, अधिक धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों में 40 प्रतिशत व्यक्ति 60 वर्ष की आयु आते-आते इस संसार से विदा हो जाते हैं, जबकि धूम्रपान न करने वाले 10 प्रतिशत व्यक्ति ही इस आयु में मरते हैं।

## 31 मई, विश्व तंबाकू रहित दिवस पर विशेष

हमारे देश में 65 प्रतिशत पुरुष तथा 33 प्रतिशत स्त्रियां किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करती हैं। तंबाकू से संबंधित बीमारियों से हमारे यहां प्रतिवर्ष 9 लाख लोग मौत के शिकार होते हैं।

तंबाकू का सेवन लोग दो प्रकार से करते हैं - धूम्रपान द्वारा तथा तंबाकू व तंबाकू मिश्रित पदार्थ गुटके आदि चबाकर। भारत में प्रतिवर्ष 51 करोड़ किग्रा से अधिक तंबाकू का उत्पादन होता है, जिसमें 41 करोड़ किग्रा की खपत केवल धूम्रपान के द्वारा होती है, शेष खाने के रूप में। देश में तंबाकू की खपत 21.1 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है।

### धूम्रपान और महिलाएं

धूम्रपान पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को अत्यधिक हानि पहुंचाता है। महिलाओं का मां बनने का सपना धूम्रपान से उड़ सकता है। धूम्रपान से महिलाओं की प्रजनन क्षमता का ह्रास होता है। धूम्रपान डिंबों की गुणवत्ता को कम कर देता है, जिससे महिलाओं में बच्चा पैदा करने के लिये आवश्यक डिंबों की संख्या में कमी आ जाती है। धूम्रपान से महिलाओं में डिंबों की संख्या में औसतन 11.7 से 9.5 तक की कमी आती है। प्रमुख शोधकर्ता डॉ. माइकल जिट्जमैन कहते हैं, "प्रजनन क्षमता का इलाज करा रही महिलाएं यदि धूम्रपान बंद नहीं करतीं तो उन्हें उस इलाज से कोई लाभ नहीं होगा। उन्हें बार-बार असफलता का मुंह देखना पड़ेगा।"

सामान्य महिलाओं की अपेक्षा गर्भवती महिलाओं के लिये धूम्रपान विशेष हानिकारक है। शोधों से पता चला है कि धूम्रपान गर्भवती महिला के स्वास्थ्य पर ही कुप्रभाव नहीं डालता, अपितु उसके गर्भस्थ शिशु की (यदि वह लड़की है) जनन क्षमता पर भी कुप्रभाव डालता है। यह संभवत: उस शिशु की फेलोपियन ट्यूब पर तंबाकू के विनाशकारी प्रभाव के कारण होता है। धूम्रपान प्रतिरोध तंत्र को प्रभावित कर पेल्विस के संक्रमण के ख़तरे को बढ़ा देता है।

वैज्ञानिकों का मानना है कि गर्भवती माताओं के धूम्रपान से जन्म के पहले ही तंबाकू के संपर्क में आनेवाली गर्भस्थ बच्चियों का ओविडक्ट (फैलोपियन ट्यूब का वह भाग जहां अंडों का निषेचन होता है) स्थायी रूप से नष्ट हो सकता है। डॉ. सारा मैथ्यू का कथन है कि गर्भवतियों का धूम्रपान उनके शिशु के ओविडक्ट में रक्तप्रवाह को कम कर सकता है। अत: गर्भवती महिलाओं को अपना तथा अपने गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखकर भूलकर भी धूम्रपान नहीं करना चाहिए।

### धूम्रपान के ख़तरे

तंबाकू के सेवन से न सिर्फ कैंसर होने का ख़तरा होता है बल्कि नयी शोधों से पता चला है कि तंबाकू के सेवन से कैंसर के साथ-साथ प्रजनन तथा यौन शक्ति का ह्रास, हृदय की बीमारियां, एड्स, टीबी, दंत रोग, नेत्र-ज्योति हीनता, सिरदर्द आदि अनेक रोग होने की संभावना रहती है।

### शक्ति का ह्रास

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आप धूम्रपान करते हैं तो इससे न सिर्फ़ आप शीघ्रपतन के शिकार बनते हैं, बल्कि आपकी संतान उत्पन्न करने की क्षमता भी नष्ट हो

सकती है। प्रजनन क्षमता पर चल रहे शोधों से पता चला है कि धूम्रपान संतान पैदा करने की शक्ति को घटा देता है।

शोधकर्ताओं का कहना है कि धूम्रपान शुक्राणुओं में मौजूद डीएनए को क्षतिग्रस्त कर देता है। फलत: भ्रूण का विकास ठीक से नहीं होता। जिन महिलाओं के पति धूम्रपान नहीं करते, उन्हें मां बनने में उतनी दिक्कतें नहीं आती, जितनी दिक्कतें एक धूम्रपानकर्ता की पत्नी को आती है।

अमरीका के सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च ह्यूनेन रिप्रोडक्शन इनफर्टीलिटी और सेक्सुअल फंक्शन के शोधकर्ता अशोक अग्रवाल का कहना है, "तंबाकू व तंबाकूयुक्त पदार्थों के खाने तथा धूम्रपान का नपुंसकता से सीधा संबंध है। तंबाकूयुक्त पदार्थों के सेवन से गुणसूत्रों में कमी हो सकती है।"

तंबाकूयुक्त पदार्थों के सेवन का यौन क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे स्थायी रूप से नपुंसकता की समस्या पैदा हो जाती है। ऐसी स्थिति आने पर व्यक्ति का गृहस्थ जीवन असंतुष्ट हो जाता है और वह निराशावादी तथा नकारात्मक सोच से भर जाता है।

**हृदय रोग**

तंबाकू में निकोटीन जैसे कई विषाक्त रसायन रहते हैं। ये विषाक्त रसायन धूम्रपान के माध्यम से शरीर में पहुंचकर मस्तिष्कीय कोशिकाओं पर तो अपना प्रभाव डालते ही हैं, हृदय, रक्तवाहियों और स्नायु तंत्रिकाओं पर भी बुरा असर डालते हैं। नियमित धूम्रपान की आदत से दिल की धड़कन अनियमित होने लगती हैं, रक्तवाहियां संकरी व कठोर होने लगती हैं, रक्त का दबाव बढ़ने लगता है और रक्तवाहियों में रक्त का प्रवाह धीमा पड़ने लगता है। ये सारी समस्याएं अंतत: हृदय रोगों के रूप में ही सामने आती हैं।

निकोटीन हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है, जिससे हृदय को अधिक काम करना पड़ता है। इससे खून आसानी से जम जाता है तथा हार्टअटैक के ख़तरे बढ़ जाते हैं। कार्बन मोनो ऑक्साइड खून को खींच लेता है तथा हार्टअटैक की संभावना बढ़ा देता है। अत: हार्टअटैक व हृदय रोगों से बचने के लिये धूम्रपान निषेध आवश्यक है।

हाल ही में किए गए एक अध्ययन के मुताबिक सिगरेट पीने वालों को सिगरेट न पीने वालों की तुलना में एचआईवी वायरस के संक्रमण का ख़तरा तीन गुना अधिक रहता है। धूम्रपान करने वालों में एड्स संक्रमित व्यक्ति से संक्रमण का ख़तरा अधिक होता है, चाहे ये संक्रमण यौन संबंधों पर आधारित ही क्यों न हो। शोधकर्ताओं ने यह निष्कर्ष उपलब्ध आंकड़ों के अध्ययनों एवं हाल ही में एड्स पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस से जुटाई गई सामग्री के आधार पर किया है। इस संबंध में किए गए छह अध्ययनों से पता चला है कि सिगरेट पीने वालों में एचआईवी संक्रमण का ख़तरा साठ फीसदी या तीन गुना तक अधिक हो सकता है। शोधकर्ताओं ने धूम्रपान के कारण फेफड़ों में ख़राबी आने के कारण एचआईवी वायरस से प्रतिरोधक क्षमता में आई कमी को इसका मुख्य कारण बताया है। गौरतलब है कि संसार में 4 करोड़ लोग इस समय एड्स से जूझ रहे हैं।

**कैंसर**

कैंसर एक बहुत ही ख़तरनाक रोग है। यह जिस आदमी के पीछे पड़ता है, उसके प्राण लेकर ही रहता है। इस असाध्य रोग के कारणों की अभी पूर्ण जानकारी नहीं हो सकी है, किंतु जो भी जानकारी हुई है उसके अनुसार कैंसर के कुल रोगियों में पुरुषों में 50 प्रतिशत तथा स्त्रियों में 25 प्रतिशत तंबाकू के पदार्थों के सेवन से होते हैं। मुंह के कैंसर के मामले में विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। भारत में जितने कैंसर के रोगी होते हैं उनमें एक तिहाई मुंह के कैंसर के रोगी होते हैं तथा इनमें 90 प्रतिशत तंबाकू के खाने के कारण होते हैं। एक अध्ययन से पता चला है कि धूम्रपान करने वालों को धूम्रपान न करने वालों की अपेक्षा 10 गुना अधिक फेफड़े का कैंसर होने की संभावना रहती है।

**टीबी**

भारत तथा विदेशों में हुए अध्ययनों से धूम्रपान और टीबी के बीच कार्य कारण संबंध पाया गया है। चेन्नई में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि धूम्रपान करने वालों में फेफड़े का टीबी का जोखिम 4.2 गुना अधिक होता है। टीबी के कारणों में धूम्रपान एक प्रमुख कारण है।

**दंतरोग**

धूम्रपान न करने वालों की अपेक्षा धूम्रपान करने वालों के दांत जल्दी गिर जाते हैं। *जनरल ऑफ क्लीनिकल पीरियडॉटलॉजी* में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया कि धूम्रपान करने वालों को धूम्रपान न करने वालों की अपेक्षा मसूढ़ों की समस्या से ग्रस्त होने का ख़तरा छह गुना अधिक रहता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के वरिष्ठ शोध वैज्ञानिक डॉ. प्रकाश सी. गुप्ता कहते हैं कि तंबाकू दांतों व मसूढ़ों के लिये तो हानिकर है ही, तंबाकूयुक्त टूथपेस्ट भी दांतों व मसूढ़ों को हानि पहुंचाता है।

**अन्य ख़तरे**

तंबाकू के सेवन तथा धूम्रपान से पेट में अल्सर होने तथा मूत्राशय में कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। सिगरेट के धुएं में हाइड्रोजन सायनाइड और कुछ दूसरे हानिकारक रसायन होते हैं, जो श्वसन नलिकाओं को रोकते हैं, जिससे दमे का ख़तरा बढ़ जाता है। ऑक्सीजन की कमी तथा रक्तवाहिनी के सिकुड़ने से दौरे पड़ सकते हैं। धूम्रपान से सिरदर्द होना तो साधारण बात है। धूम्रपान नेत्र ज्योति भी कम करता है।

तंबाकूयुक्त पदार्थों से होने वाले रोगों तथा हानियों की सूची बहुत लंबी है। हमने उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दी है। बीड़ी, सिगरेट, गुटकों आदि के पैकटों पर लिखा रहता है – 'इसका सेवन स्वास्थ्य के लिये हानिकर है' फिर भी लोग इसका सेवन करते हैं। इसके सेवन से कैंसर हो सकता है यह पढ़कर भी लोग इसका सेवन करते हैं। जो लोग जानबूझकर स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले पदार्थों का सेवन करते हैं, वैसे लोगों के लिये यह कहना क्या ग़लत है कि वे स्वस्थ नहीं रहना चाहते हैं, अस्वस्थ बनने के लिये प्रयत्नशील हैं? ❑

# भोजपुर का आंचलिक इतिहास

○ राजेन्द्र प्रसाद सिंह

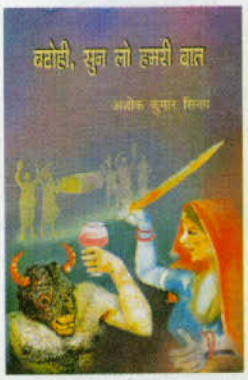


**पुस्तक** : बटोही, सुन लो हमरी बात **(उपन्यास)**; **उपन्यासकार** : अशोक कुमार सिन्हा; **प्रकाशक** : साहित्य संसद, कैलाशपुरी एक्स, नयी दिल्ली-45; **प्रथम संस्करण** : 2007; **पृ.सं** : 92; **मूल्य** : 125/- रुपये

हिंदी में अपने देश की मिट्टी की सुवासित सुगंध से सराबोर उपन्यासों ने अपनी अलग पहचान बनाई है। इसे आलोचकों ने 'आंचलिक उपन्यास' कहा है। ज़ाहिर है कि हिंदी में ऐसे आंचलिक उपन्यासों की चर्चा फणीश्वरनाथ रेणु के *मैला आंचल* के साथ जुड़ी है। *मैला आंचल* में पूर्णिया अंचल के आंचलिक शब्द हैं, प्राकृतिक परिवेश है और जनपदीय मिट्टी की गंध है। बावजूद इसके इसमें वह इतिहास नहीं है जो वृंदावनलाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यासों में मिलती है। वृंदावनलाल वर्मा ने अपने ऐतिहासिक उपन्यासों के लिये बुंदेलखंड को चुनकर वहां के लोकजीवन को विस्तार से अपने उपन्यासों में स्थान दिया है। अशोक कुमार सिन्हा का उपन्यास *बटोही, सुन लो हमरी बात* का औपन्यासिक व्यक्तित्व फणीश्वरनाथ रेणु और वृंदावनलाल वर्मा के उपन्यासों की सरहद पर खड़ा है। यह एक प्रकार से आंचलिक-ऐतिहासिक उपन्यास है जिसमें भोजपुर अंचल के मिथक भी लगे-लिपटे हैं।

इतिहास पर आधारित उपन्यास लिखने की परंपरा प्रत्येक भाषा में उपलब्ध है। इतिहास को उपन्यास का विषय बनाना विवादों के घेरे में रहा है। इसी से यह प्रश्न भी फूटा है कि क्या अतीत की पुनर्व्याख्या करना उपन्यासकार का दायित्व है या इसे इतिहासकार के जिम्मे छोड़ दिया जाना चाहिए। बहरहाल, इस बहस में ज्यादा न उलझते हुए इतना तो मानना पड़ेगा कि *बटोही, सुन लो हमरी बात* में अशोक कुमार सिन्हा ने इतिहास के खंडहरों में स्वच्छंद विचरण करते हुए अतीत को पुनर्जीवित किया है। इसीलिये इस उपन्यास का संवाहक पात्र बटोही हवा के पंख पर सवार होकर अपनी स्वछंद यात्रा करता है। वह समय-पुत्र है तभी तो उसमें धूल लिपटे इतिहास को बेधड़क खोलने का साहस है। बटोही इस अर्थ में लोकमानस का इतिहासकार है और लेखक इस बटोही के बहाने मुनिमानस से अलग एक फटेहाल इतिहास का बयान करता है।

विष्णु प्रभाकर की एक चर्चित कृति *आवारा मसीहा* है। यह बांग्ला के प्रख्यात उपन्यासकार शरतचंद्र के जीवन पर आधारित है। शरतचंद्र का जीवन अनेक किंवदंतियों और विवादों का विषय रहा है। ऐसे में निश्चय ही शरतचंद्र की जीवनी के सूत्र अपने में उलझे हुए हैं। बावजूद इसके अनेक कठिनाइयों से जूझते हुए विष्णु प्रभाकर ने शरतचंद्र की मुकम्मल जीवनी लिखी है। एकदम ठीक या कहें इससे भी ख़राब उलझाव के सूत्र महतोइन देवी के साथ हैं। पर लेखक ने अत्यंत धैर्य तथा कौशल के साथ इस महिला की उपन्यासपरक जीवनी लिखी है। सचमुच यह कृति इस मायने में डोला प्रथा के खिलाफ़ लड़ती हुई शहीद महिला महतोइन देवी की जीवनी है। उपन्यासकार-सह जीवनी लेखक अशोक कुमार सिन्हा ने लोककंठ में जीवित इस सती शिरोमणि की जीवनी इतनी तटस्थता से लिखी है कि आश्चर्य होता है। गिरिराज किशोर का उपन्यास *पहला गिरमिटिया* जितना इतिहास-स्रोतों से प्रभावित है, उतना ही गांधी की अनेक चर्चित जीवनियों से और लिखा गया है अंततः एक उपन्यास। *पहला गिरमिटिया* जितना इतिहास है उतनी ही जीवनी है और उतना ही उपन्यास है। ऐसे में यह तय हुआ कि *बटोही, सुन लो हमरी बात* भी इतिहास है, जीवनी है और उपन्यास है।

महतोइन देवी के चरित्र का उद्घाटन इस उपन्यास का मुख्य उद्देश्य है। यह एक ऐतिहासिक महिला है। इसीलिये पुस्तक के बारे में जीवनी और उपन्यास विधा में से किसी एक की सम्यक अवधारण बनाना कठिन है।

शायद इसीलिये उपन्यास का भी कोई स्थिर ढांचा नहीं बना है क्योंकि उसमें अनेक विधाओं की आवाजाही बनी रहती है। तब भी जीवनी में लोकप्रियता के लिये झूठ या छल का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए जबकि उपन्यास में किसी महत्वपूर्ण या पूज्य व्यक्ति के जीवन के दुर्बल या सबल पक्षों को अतिरंजित करके रखा जा सकता है। सलमान रुश्दी के कुछ उपन्यासों में ऐतिहासिक नायकों या महत्वपूर्ण चरित्रों का विद्रूप विडंबनापूर्ण ढंग से चित्रण किया गया है। पर अशोक कुमार सिन्हा की इस कृति में सलमान रुश्दी की भांति कुछ भी ऐसा नहीं है। सब कुछ संयत और संतुलित है।

स्व. कमलेश्वर के शब्दों में, यह पुस्तक 'एक लोकधर्मी सत्यकथा है।' इसीलिये यह लोकजल में प्रतिबिंबित भोजपुर का आंचलिक इतिहास भी है। इसमें सोन तट का प्राकृतिक परिवेश है जिसमें भोजपुर जनपद की लोकभाषा, लोक संस्कृति और लोकव्यवहार एक साथ मौजूद है। सबसे बड़ी बात कि इस कृति में एक खास सांचे में ढले हुए शब्द हैं, एक अलग किस्म के वाक्य विन्यास हैं और बीच-बीच में लोकगाथाओं एवं गीतों की बेसुध कर देने वाली थपकी है। उपन्यास की भाषा लेखक की अपनी कमाई है। इसलिये उसमें छाती को वेध देने वाली भाषायी ऊर्जा है। सचमुच लोकमानस की ज़मीन पर लिखा गया हिंदी का यह उपन्यास लोकविश्रुत होने का दावेदार है। ❑

**(समीक्षक भाषाविद हैं)**

# RAU'S IAS

## A name that Nation trusts

### Amazing Success

**Our 2005 Exam Results :** Nine positions secured by our students in first 20 and 49 in first 100 with overall 203 total selections. As regards the past achievements, Study Circle has contributed nearly one-third of the total selections done for Civil Services by UPSC since 1953.

It is a well known fact that Rau's is the most trusted and recommended name all over the country for IAS & PCS coaching.

### Unbeatable Strategy

**Answers that matter :** The most crucial fact about coaching is that it should improve the quality of your answers in the minimum possible time. It is precisely this training on which we focus on at Rau's to give an extra edge to the answers you give / write in the Civil Services Examination.

### Be Sure

We have no branches or associates any where in India except Jaipur. Our name which has become a legend among students for the highest standards in teaching, and hence has been copied by a lot of people across India, but no one can match our quality.

### Programme Highlights

**Civil Services/PCS Exam - 2008**

- Personal Guidance (English Medium) is available for -
  **General Studies/ Essay, History, Sociology, Public Administration, Geography, Psychology, Law & Commerce.**
- पर्सनल गाइडेंस (हिन्दी माध्यम) -
  सामान्य अध्ययन / निबंध, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र एवं लोक प्रशासन में उपलब्ध।
- Postal Guidance in English Medium available for -
  **General Studies, History, Sociology, Public Administration and Geography.**
- पोस्टल गाइडेंस (हिन्दी माध्यम) -
  केवल सामान्य अध्ययन, भारतीय इतिहास एवं भूगोल में उपलब्ध।
- Hostel facility arranged.

कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं ।
जीता वही जो डरा नहीं ।।

***If you are taught by the stars, sky is the limit.***

**New batches for 2008 Exam, start from 1st June, 2007**

**Admission Open, Apply Now.**

**Contact personally or write for prospectus with a DD/MO of Rs. 50/- favouring**

**RAU'S IAS STUDY CIRCLE**

**Head Office** : 309, Kanchanjunga Bldg., 18, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001
Phone : 23738906-07, 23318135-36, 32448880-81, 65391202, Fax: 23317153

**Jaipur Centre** : 701, Apex Mall, Lal Kothi, Tonk Road, Jaipur - 302015, Ph.: 0141-6450676, 3226167, 9351528027

**For full details on fast-track log-on our website: www.rauias.com**

***The Original Rau's - Since 1953***



प्रकाशक व मुद्रक वीणा जैन, निदेशक द्वारा प्रकाशन विभाग के लिये अरावली प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स (प्रा.) लिमिटेड, डब्ल्यू-30, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस-2, नयी दिल्ली-110 020 से मुद्रित एवं प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. कांप्लेक्स, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003 से प्रकाशित। कार्यकारी संपादक : राकेशरेणु

Licenced under U (DN)-53/2006-08
रजि.सं.डीएल (एस)-05/3231/2006-08 तथा डाक व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक में डालने के लिए लाइसेंस–प्राप्त पंजी सं. 951/57
Reg. No. D.L.(S)-05/3231/2006-08 Licenced to post without pre-payment at RMS, Delhi. R.N. 951/57


# संघ एवं राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन हेतु अत्यन्त लाभदायक सामग्री, विभिन्न विश्वविद्यालयों के भारतीय अर्थशास्त्र के प्रश्न-पत्र के लिए भी उपयोगी.

15 अप्रैल, 2007 तक के अद्यतन आँकड़े

मूल्य 170.00 रुपए

Data upto 15th April, 2007

Price Rs. 175.00

## टॉपर्स की राय में...

...प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्तांक योजनाबद्ध, संक्षिप्त, सटीक एवं अद्यतन तथ्यों से परिपूर्ण हैं.
–सुश्री मोना प्रूथी
*सिविल सेवा परीक्षा, 2005 में प्रथम स्थान*

....प्रतियोगिता दर्पण की अतिरिक्तांक सीरीज बहुत ही अच्छी एवं लाभदायक है. इसमें प्रारम्भिक परीक्षा से सम्बन्धित सभी जानकारी एक ही स्थान पर एकत्रित मिल जाती है. मैंने भारतीय अर्थव्यवस्था के अतिरिक्तांक का उपयोग किया है तथा इसे बेहद लाभप्रद पाया है. मुझे सम्पूर्ण विश्वसनीय जानकारी एक ही स्थान पर मिल गई.
–सुश्री गुरनीत तेज
*सिविल सेवा परीक्षा, 2005 में द्वितीय स्थान*

....प्रतियोगिता दर्पण की अतिरिक्तांक सीरीज वास्तव में विलक्षण है. इसके भारतीय अर्थव्यवस्था तथा राजनीति विज्ञान के अतिरिक्तांक से मुझे विशेषकर बहुत सहायता मिली. –रन्धीर कुमार
*सिविल सेवा परीक्षा, 2005 में तृतीय स्थान*

....प्रतियोगिता दर्पण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्तांक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए परम उपयोगी है.
–जुहैर बिन सगीर
*सिविल सेवा परीक्षा, 2005 में 5वाँ स्थान*

....प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्तांक इतने अच्छे हैं कि इनकी मदद से मेरी तैयारी काफी आसानी के साथ और कम समय में पूरी हो गई.
–ऋचा अग्रवाल
*उ.प्र. पी.सी.एस. परीक्षा, 2004 में प्रथम स्थान*

## मुख्य आकर्षण

* भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं-एक दृष्टि में * महत्वपूर्ण आर्थिक शब्दावली * राष्ट्रीय आय, कृषि, उद्योग, विदेशी व्यापार एवं विदेशी ऋण आदि के अद्यतन आँकड़े * जनगणना-2001 के अन्तिम आँकड़े * मौद्रिक एवं साख नीति * विदेशी व्यापार नीति * 2007-08 का केन्द्रीय बजट एवं रेल बजट * 11वीं पंचवर्षीय योजना सहित भारत की समस्त पंचवर्षीय योजनाएं * भारत में संचालित रोजगारपरक एवं निर्धनता निवारण कार्यक्रम * भारत-2007, आर्थिक समीक्षा : 2006-07 तथा प्रमुख केन्द्रीय मंत्रालयों के नवीनतम प्रतिवेदनों पर आधारित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री * सामयिक आर्थिक विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ * महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न.

## आपके नजदीकी बुक स्टालों पर उपलब्ध

**प्रतियोगिता दर्पण**
2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा–282 002
फोन : 2530966, 2531101, 3208693/94 फैक्स : (0562) 2531940
E-mail : info@pratiyogitadarpan.org

फोन नं. : दिल्ली 23251866, 23251844, इन्दौर 2535892, पटना 2226540, लखनऊ 2270019, इलाहाबाद 2460028, कोलकाता 22527816, चरखी दादरी (01250) 220120, जयपुर 2326019, देहरादून 2658555, रायपुर 2225851, राँची 2307374, धनबाद 2203179, मुम्बई 22075640

To purchase online log on to www.pratiyogitadarpan.org